राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का २९ वां दिवस [संख्या २३

सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९७०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, वित्त, पंचायत, वन, चुनाव, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, अकालराहत, खाद्य विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री जुझारसिंह ।

चम्बल सिंचाई योजना

५३८. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चम्बल सिंचाई योजना के तहत कुल कितना रकबा सिंचित किये जाने की योजना थी और अब तक राइट व लेफ्ट मेन कैनालों से कितना कितना रकबा सिंचित किया जा रहा है ?

(२) सिंचित क्षेत्र में से कितना-कितना क्षेत्र दो फसली व कितना एक फसली के रूप में सिंचित किया जा रहा है ? सारे क्षेत्र को दो फसली क्षेत्र नहीं बना सकने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) चम्बल सिंचाई योजना के प्रथम चरण में सिंचाई का लक्ष्य ५.५ लाख एकड़ तथा द्वितीय चरण के तहत राना प्रताप सागर बांध बन जाने पर ७ लाख एकड़ रखा गया था। दायीं तथा बायीं नहर से अधिकतम सिंचित रकबा सन् १९६८-६९ में क्रमशः २१५४४६ एकड़ तथा १५१४२३ एकड़ (कुल ३६६८६९ एकड़) था।

(२) सिंचित क्षेत्र में से सन् १९६८-६९ में ४९८९६ एकड़ क्षेत्र दो फसली के रूप में सिंचित किया गया है तथा २६७०७७ एकड़ क्षेत्र एक फसली के रूप में सिंचित हुआ है। सारे क्षेत्र को दो फसली बनाना इस क्षेत्र के काश्तकारों एवं कृषि तथा विकास विभाग के प्रयत्नों पर निर्भर है।

श्री जुझारसिंह : आपका जो टारगेट है ५.५ लाख एकड़ उसके मुकाबले में ३.६६ लाख एकड़ सिंचित कर पाये हैं तो इस शार्टफाल के क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जितना कमान्ड इसका होना चाहिये उतना पूरा कमान्ड इसका 'डवलप' नहीं हुआ है। क्योंकि प्रोजेक्ट में लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम, चम्बल इर्रीगेशन स्कीम और रिवाइन रिक्लेमेशन शामिल है जो सिंचाई योग्य नहीं है क्योंकि भूमि एक्सटेन्शन ब्रान्च बनी हुई है,

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिफ्ट इर्रीगेशन ब्रान्च बनी हुई है और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के पास संशोधन के लिये गयी हुई है। धन की उपलब्धि न होने के कारण यह जमीन कमान्ड में नहीं लायी जा सकी है। ७६ परसेन्ट की इन्टेन्सिटी है। ५५ परसेन्ट रबी में और २१ परसेन्ट खरीफ में। खरीफ की २१ परसेन्ट की इन्टेंसिन्टी है वह ८-६ परसेन्ट हाइयेस्ट अचीव कर पाये हैं। टोटल दो फसली एरिया कम आता है। किसान ऐसी फसलें बोते हैं जिससे नहर के पानी का ज्यादा उपयोग नहीं होता है। अब गन्ना और चावल बोया जाने लगा है। आशा की जाती है कि इस क्षेत्र को आगे और बढ़ा सकेंगे।

श्री जुझारसिंह : खरीफ की फसलें हैं उसमें पानी का ज्यादा एश्योरेन्स है इसलिये खरीफ का टारगेट ज्यादा होना चाहिये क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी की कमी के कारण खरीफ का टारगेट अचीव न कर पाये हों यह नहीं है। खरीफ में ऐसी फसलें बोयी जायं जिससे नहर का पानी काम में आ सके ऐसा दिमाग अभी तक बनना चाहिये था वह नहीं बना है। गन्ना, चावल आदि की फसलों को बोने के लिये प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है और शुगर फैक्टरी भी लग गयी है। क्राप पेटर्न का सुधार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है। २१ परसेन्ट की इनटेन्सिटी खरीफ के लिये रखी है क्या यह कम नहीं है जब कि आप पानी की सप्लाई ज्यादा एश्योर कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें हमें एतराज नहीं है। अब तक मैं यह कह रहा हूं कि २१ परसेन्ट की इनटेन्सिटी भी अचीव नहीं हो रही है।

श्री जुझारसिंह : कुछ नहीं करने से काश्तकार नहीं ले रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? आपके क्राप पेटर्न बनाया। आपकी तरफ से क्या एफर्ट किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्राप पेटर्न की दृष्टि से धीरे २ खरीफ को बढ़ाते गये और यदि सन् १६६०-६१ से आंकड़े बताऊं तो आपको ज्ञात होगा शनैः प्रगति हो रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि पेडी के लिए प्रर्याप्ति पानी नहीं है। क्राप पेटर्न बदलने के लिए राइट मेन कैनाल पर पेडी को पानी देने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी की कमी तो नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम है कि राइट मेन कैनाल की समस्या पानी की नहीं है किन्तु सिल्ट की है जिसको ठीक करने के लिए थोड़े दिनों बाद ही उसका काम प्रारम्भ होने वाला है ताकि उस समस्या को करने से नहर से पूरी कैपेसिटी का पानी जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

Page No 3

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

वित्त मंत्रीजी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राइट मेन कैनाल············

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न संख्या ५३६ ।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अथोरिटी दी है ।

जालौर के लिए गृह निर्माण के अन्तर्गत दी गई राशि

५३६, **श्री रघुनाथ विश्नोई** सांचोर की अनुपस्थिति में **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : द्वारा पूछा गया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या वह सत्य है कि जालौर में, पिछले तीन सालों में गृह निर्माण ऋण की राशि कुछ भी मंजूर नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस वर्ष में कितनी राशि किस किस प्रकार की दी गई ?

(२) क्या सरकार भविष्य में जालौर गृह निर्माण ऋण ज्यादा दिलाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कितना ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार भीनमाल नगर-पालिका क्षेत्र में भी गृह निर्माण ऋण दिलाना उपयुक्त समझती है ? अगर हां, तो यह कब तक दिलाया जावेगा ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री वित्त (**श्री विश्म्बर नाथ जोशी**) : अध्यक्ष महोदय, यह नगर न्यास विभाग से सम्बन्धित है उसके लिए संबन्धित मंत्री महोदय के पास भेज दिया गया है । वह अपनी टर्न में उसका उत्तर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड ।

प्रश्न संख्या ५४०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

लूणी नदी पर बांधों का निर्माण

५४१. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लूणी नदी पर कितने बांधों का किन किन स्थानों पर कब कब निर्माण हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि लूणी नदी पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पाली जिले में फौलाद, सिन्दरु, गिरोलिया, केसूली आदि बांधों का निर्माण किया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि लूणी नदी का पानी जोधपुर के जिले के लूणी क्षेत्र, बाड़मेर जिले के बालोतरा, सिवाना, सिण-धारी एवं गुढ़ा क्षेत्र और जालौर जिले के सांचोर क्षेत्र में बह कर कच्छ की खाड़ी तक जाता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र में कुओं से सिंचाई एवं खेती होती है ?

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

(४) क्या यह सही है कि उक्त अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बन रहे बांधों के और उनसे पहले बने बांधों में लूणी नदी का पानी जोधपुर बाड़मेर एवं जालौर जिलों में बहुत कम दर बिल्कुल नहीं आ सकेगी जिससे यह क्षेत्र जहां कि कुओं से सिंचाई एवं खेती होती है वीरान एवं सूनसान हो जायेगी।

(५) क्या सरकार उक्त बांधों के निर्माण के कार्य को तुरन्त बन्द कर उक्त क्षेत्रों को बर्बाद होने से बचाने में सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है ?

सिंचाई मन्त्री (**श्री रामप्रसाद लड्ढा**) : (१) सूची 'अ' संलग्न है।

(२) जी हां।

(३) औसत वर्षा के वर्षो में नदी में जोधपुर व पाली जिलों का पानी लूनी जालौर व बाड़मेर के क्षेत्रों में नहीं पहुंचता है। केवल जालौर व सिरोही की नदियों का पानी ही सांचोर तक पहुँचता है।

(४) इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए राज्य सरकार ने भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री मोतीराम की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

(५) जिन कार्यों का प्रावधान बजट में कर दिया गया है तथा जिन कार्यों की अकाल राहत मद में स्वीकृति दी जा चुकी है उनके अलावा कोई ऐसे कार्य उपरोक्त कमेटी की रिपोर्ट आने तक नहीं किये जावेंगे, जिनका प्रभाव बालोतरा, सांचोर आदि क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, श्री मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आवे तब जो कार्य अकालराहत के अन्तर्गत बन रहे हैं उनको रोका जावेगा या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका भाग ५ में उत्तर दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : राज्य सरकार आयन्दा से लूणी नदी पर कोई बांध तो नहीं बनायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर में यही निवेदन कर सकता हूँ कि समिति इसी दृष्टि से बनायी गयी है कि यदि जालौर और बाड़मेर जिलों को दिक्कत आती हो और पानी की दिक्कत आती हो तो आयन्दा ऐसे काम न खोलें जिससे यह समस्या और उग्र हो। रिपोर्ट आने पर ही निर्णय लेंगे। लेकिन यह विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि प्रभाव पड़ता होगा तो कभी नये कार्य नहीं खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इन

(श्री आईदानसिंह)

बांधों के बंधने से जालोर, बाड़मेर और जोधपुर के इलाकों में इसका असर पड़ेगा या पड़ा है ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : इसका जवाब इसमें दे दिया है ।

श्री आईदानसिंह : क्या राज्य सरकार इस समिति की रिपोर्ट को ढंग से लागू करने का आश्वासन देगी ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : समिति की रिपोर्ट इसलिये मांगी जा रही है कि हम को वास्तव में सही स्थिति का ज्ञान हो जाये और आगे कार्यवाही की जा सके ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि वहां जो बांध का निर्माण हो रहा है, उनके बन जाने पर इस कमेटी की रिपोर्ट से कोई समाधान नहीं होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : अगर कोई दिक्कत हो तो आप कहें । आपकी जानकारी के लिये यह बता दूं कि ५ मिलियन क्युबिक फीट पानी इसका और इसकी सहायक नदियों का है और १.७ हजार क्युबिक मिलियन फीट पानी पहले से ही १५ वर्षों से जो वहां पर तालाब बने हैं उनसे रोका जा सका है । अब भी अगर आप चाहें तो यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत ७ हजार मिलियन क्युबिक फीट पानी की योजना है । कुछ तो बन चुकी है और कुछ पर काम अधूरा है इसके बाद भी हमारे हिसाब से ७ हजार मिलियन क्युबिक फीट पानी नदी में बहने को रहता है । चूंकि सदस्यों ने शंका व्यक्त की है, या इससे विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंकाएं की हैं । इसलिये इस समिति का निर्माण किया गया है ताकि सही स्थिति का ज्ञान हो सके ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर

चराई के लिये बाहर से आने वाले पशु

५४२. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या वन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :-

(१) क्या प्रति वर्ष राजस्थान के बाहर के पशु राज्य में चराई हेतु आते हैं ?

(२) यदि हां, तो वे किस मौसम में आते हैं और कब लौट जाते हैं ? गत दस वर्षों में पशु विभिन्न राज्यों में राजस्थान में चराई हेतु आये, उनके आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(३) ये पशु किन क्षेत्रों में चराये जाते हैं ?

(४) प्रत्येक पशु की चराई शुल्क क्या ली जाती है ? उनकी तुलना में राजस्थान के पशुओं से क्या चराई शुल्क ली जाती है ?

(५) गत दस वर्षों में राज्य के बाहर से आये पशुओं की चराई से कितना राजस्व मिलता है ?

(६) क्या राजस्थान के पशुओं के चराई हेतु पर्याप्त चरागाह राजस्थान में हैं ?

(७) यदि नहीं, तो राज्य सरकार राज्य के बाहर से आने वाले पशुओं पर नियंत्रण लगाने संबंधी नीति अपना रही है?

Page No 6

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, इसका लम्बा चौड़ा जवाब है जो अभी प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये आज इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात है ? यह कैसे कहा कि लम्बा चौड़ा जवाब है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : क्योंकि प्रश्न ही लम्बा चौड़ा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मनोहर सिंह मेहता ।

कोठारी नदी पर बांध

५४३. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कोटड़ी तहसील के गपेसरा गांव के पास बोरी माता नामक स्थान पर कोठारी नदी में बांध बांधने का अच्छा मौका है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि कोटड़ी तहसील में बांधों की बड़ी कमी है और इस बांध के बंधने से यह कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्डा) : (१) जी हां, बांध बनाया जा सकता है।

(२) इस मौके पर फीजीबिलिटी सर्वे करवा लिया जायेगा।

(३) कोटड़ी तहसील में पंचायत समिति के लगभग २५ तालाबों के अलावा सिंचाई विभाग के १५ तालाब हैं। दो लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। तीन योजनाएं सरकार के विचाराधीन है तथा एक का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह बड़ा बांध हो सकता है। इसको करेंगे तो कृपा होगी।

श्री रामप्रसाद लड्डा : इसके लिये ना किस ने कहा है।

प्रश्न सं. ५४४

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५४५

श्री श्रवण लाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५४६

श्री रिद्धी चंद पालीवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५४७

श्री मजलिस खां

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५४८

श्री देवीदत्त गाड़िया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५४९

श्री मोतीलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं ५५०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५५१

श्री लादूराम सुलानियां

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

लेक्चरार्स की रीडर पद पर पदोन्नति

५५२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या अजमेर और जोधपुर मेडिकल कालेजों में १९६७ में फार्मोकोलोजी विभाग में दो लेक्चरार्स की रीडर के पदों पर पदोन्नति की गई ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(ख) क्या यह सही है कि इन पदोन्नत व्यक्तियों को मई १९६९ में लेक्चरार के पदों पर रिवर्ट किया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त दो कालेज के आचार्यो ने पुनः रीडर के पदों की स्वीकृत करने के प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां तो किस आधार पर और सरकार का इस पर क्या निर्णय हुआ है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(क) जी हां, संबंधित मेडिकल कालेजों में अध्यापन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर लेक्चरार्स की पदोन्नति की गई थी जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अपेक्षित अध्यापक अनुभव रखते थे।

(ख) जी हां, ऐसा इसलिये करना पड़ा कि वित्त विभाग द्वारा स्टाफिग पैटर्न के अंतर्गत जोधपुर तथा अजमेर मेडिकल कालेजों में रीडर की बजाय लेक्चरार के पद स्वीकृत किये गये थे।

(ग) उक्त कालेजों के प्रधानाचार्यो ने फार्मोकोलोजी विषय में रीडर के पद के प्रस्ताव भेजे हैं। इसका आधार यह है कि अन्य नानक्लिनीकल विषयों में भी इन कालेजों में रीडर के पद स्वीकृत हैं। इन कालेजों में सर्व प्रथम विद्यार्थियों की भर्ती का पैटर्न ५० था जो अब १०० हो गया है। इसके लिये प्रशासनिक विभाग ने वित्त विभाग को आवश्यक प्रस्ताव भेजे हैं और उन पर अभी निर्णय होना बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : जिन कालेजों में इस प्रकार लेक्चरार्स को रिवर्ट किया है उन कालेजों में उनकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जब संख्या कम हो गई तो युनिर्वसिटी में इस पर रोक है कि नानक्लिनीक विषय में कम विद्यार्थी हैं और नई क्लास शुरू की है तो लेक्चरार से काम चला सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : केवल विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण रिवर्ट किया गया है और कोई कारण नहीं था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वित्त विभाग ने रीडर के पद को स्वीकृत नहीं किया था ।

श्री भैरोंसिंह : फिर दुबारा नियुक्त करने की बात सरकार क्यों कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसलिये समझती है कि जितने भी कालेज हैं जोधपुर, अजमेर वे अब पूरे कालेज बन चुके हैं और उनकी संख्या ५० से बढ़ाकर १०० कर दी गई है । अकेला लेक्चरार १०० विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में ५० से ज्यादा संख्या थी जिस समय उनको रिवर्ट किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वित्त विभाग से कहा गया किन्तु उसने मंजूर नहीं किया जब स्टाफिंग पैटर्न में लेक्चरार की पोस्ट है तो उसको ही स्वीकृत किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : अब स्वीकृति आ चुकी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कागज भेजे गये हैं, स्वीकृत होना शेष है ।

प्रश्न सं. ५५३

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५५४

श्री केशरीसिंह हाडा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५५५

श्री दिग्विजयसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी ।

कर्मचारियों की बकाया के बिल

५५६. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीनस्थ कर्मचारियों में से गत तारीख १-१-६९ से तारीख २८-२-७० तक किस किस कर्मचारी को वेतन व यात्रा भत्ता एक माह या उससे आगे के दूसरे माह में चुकारा नहीं हो सका । इस अर्से के या इससे भी पहिले के कितने बिल तारीख २८-२-७० तक पेंडिंग पड़े रहे ? प्रत्येक बिल की राशि सब से पहिले पेश करने की तारीख एवं कर्मचारी का नाम मय ओहदा के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(२) जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को क्षेत्रीय कितने कार्यकर्ता ट्रांसफर पर दिये गये एवं उनमें से किस किस का बकाया भुगतान ९-६-६८ के पूर्व का अभी तक नहीं हुआ है ?

(३) जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने तारीख १-४-६८ से तारीख २८-२-७० तक राजकोष से कितना कितना भुगतान कब कब उठाया एवं उस उठाई गई राशि का वितरण किस किस तारीख को किया गया ?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(४) क्या चेचक उन्मूलन,कर्मचारीगण, नागौर की तरफ से निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को कोई शिकायतें जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर एवं उनके कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री ताराचंद सोनी के खिलाफ प्राप्त हुई ?

यदि हां तो उस पर क्या क्या कार्यवाहियां अब तक की गई ?

चिकित्सा मंत्री, (**श्री बृजसुन्दर शर्मा**) :

(१) सूची 'अ' संलग्न है।

(२) सूची 'ब' संलग्न है।

(३) सूची 'स' संलग्न है।

(४) जी हां, जांच करने पर शिकायत झूँठी पाई गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा-पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह कुड़ी : जांच किसने की ?

श्री बृजसुंदर शर्मा : जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने।

श्री रामसिंह कुड़ी : उनके ऊपर भी आरोप है, उनसे ही जांच क्यों करवाई गई ?

श्री बृजसुंदर शर्मा : उनसे पूछा गया था वैसे उन पर कोई आरोप नहीं है।

श्री रामसिंह कुड़ी : जिला स्वास्थ्य अधिकारी और अकाउन्टेंट दोनों ने मिलकर यह किया है, इस संबंध में शिकायत है।

श्री बृजसुंदर शर्मा : नागौर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के जवाब पर असिस्टेंट डाइरेक्टर को वहां भेजा गया और उसने मुकम्मिल जांच की।

प्रश्न सं. ५५७

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क।

प्रौढ़ शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स

५५८. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स चालू किया गया है ? यदि हां तो कब और उसकी क्या योजना है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या राज्य सरकार की ओर से भी इस कोर्स में राज्य सेवा के अधिकारियों को भेजा गया है ? यदि हां, तो कितने और अब इस कोर्स में भेजने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(३) राज्य सेवा के अधिकारी जो इस कोर्स में भाग लेते हैं उनको वेतन कहां से दिया जाता है तथा मौजूदा समय में कहां से दिया जा रहा है।

(४) क्या चालू सत्र में भाग ले रहे अधिकारियों में से किसी को वेतन प्राप्त करने में कठिनाई हुई है ? यदि हां, तो कब किन किन को और क्यों ?

Page No 10

उपमंत्री शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स सत्र १६६७-६८ से प्रारम्भ किया गया था, उसकी योजना की प्रति संलग्न है।

(२) राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष इस कोर्स में राज्य सेवा के अधिकारियों को भेजा जाता है। इच्छुक व्यक्तियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र भरा कर उप निदेशक समाज शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित किये जाते हैं। यह उक्त कार्यालय उन्हें स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेज देता है एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उन व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। अब तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

सत्र	संख्या
१६६७-६८	७
१६६८-६६	६
१६६६-७०	६

(३) इस कोर्स में भाग लेने वाले व्यक्तियों को वेतन उनके रिक्त पद से दिया जाता है जहां से उन्हें इस कोर्स हेतु कार्य मुक्त किया जाता है। वर्तमान समय में भी रिक्त पद से ही दिया जा रहा है।

(४) इस कोर्स में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों को फरवरी ७० तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है और इस समय किसी का भी वेतन भुगतान करना शेष नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने प्रश्न के भाग ४ में यह पूछा था कि वेतन भुगतान करने में कोई कठिनाई हुई है और अगर हुई है तो क्या?

श्री धीरसिंह : कोई कठिनाई नहीं हुई, समय पर वेतन का भुगतान हो रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : ज्वाइन कब किया और वेतन कब मिला ?

श्री धीरसिंह : वेतन उन्हें जहां से प्रतिनियुक्त किया जाता है वह डिपार्टमेंट देता है। इस दौरान में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जहां से वे प्रतिनियुक्त पर लिये जाते हैं और उन्हें नियमानुसार वेतन मिल रहा है और हमारे पास में इसकी कोई शिकायत नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : ज्वाइन कब किया और वेतन कब मिला ?

श्री धीरसिंह : सत्र एक जुलाई से शुरू होता है। उसके बाद वे प्रति नियुक्त किये जाते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : वेतन कब दिया ?

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं न-यह नहीं मालूम।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में साफ पूछा है। बार बार डाइरेक्टर और डिपार्टमेंट को लिखा और अब जो वेतन दिया गया है वह अधूरा दिया गया है। जानकारी कैसे नहीं है। क्या कोई कठिनाई हुई है।

श्री धीरसिंह : कोई कठिनाई हुई नहीं है। यदि कोई कठिनाई होती तो वेतन रूकता। वेतन समय पर मिलता रहा है।

प्रश्न सं. ५५९

(अनुपस्थित, कृपया, आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामप्रसाद वोहरा। श्री राजवी रूपसिंह।

चुरू जिले में राहत कार्य

५६०. राजवी **श्री रूपसिंह** : (सरदार शहर) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चुरू जिले की राजगढ़ तहसील में कहां कहां व कितने राहत कार्य खोले गये और हर कैम्प पर कितने कितने मजदूर लगे, क्या कार्य हुआ तथा कितना रूपया खर्च हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री अकाल राहत, (श्री गंगाराम चौधरी) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

स्थगित प्रश्न

(१०-३-७० व २१-३-७०)

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मुकदमें

२४. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् १९६८-६९ एवं सन् १९६९ व ७० में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में कितने मुकदमें किन किन के किस किस दफा में दर्ज हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मुकदमों में से कितनों की तफतीश कब से चालू है? कितने मुकदमें कब कब चालान हुए एवं कितने अदालतों में किस स्टेज पर चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त मुकदमें की कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उप मंत्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी): (१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) सम्बन्धित सूचना इस सूची में उपलब्ध है।

(३) सम्बन्धित सूचना सूची में उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई जो आवश्यक है।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, करप्शन के केसेज से संबन्धित है जो राहत कार्यों में हुये हैं। ऐसे १०८ केसेज हैं विभिन्न जिलों में जो पुलिस में और एण्टी करप्शन में रजिस्टर किये गये थे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं जानना चाहता हूं जो केस पुलिस में दर्ज किये गये हैं और जो एण्टी करप्शन में हैं उनकी पेरवी करने के लिये सहायता विभाग दिलचस्पी ले रहा है या नहीं, इसके निपटाने के लिये विलम्ब न हो इसलिये कोई कदम उठा रहा है या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, १०८ केसेज रजिस्टर हुए हैं उनमें से १४ केसेज में फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है। अदम वकुआ अदम सबूत में २० चालान हो चुके हैं। और ७४ केसेज अण्डर इन्वेस्टीगेशन हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिनका चालान हो चुका है, उनकी पेरवी करने के लिये सहायता विभाग ने कोई विशेष व्यवस्था की है ?

श्री परसराम मदेरणा : करप्शन केसेज क्रिमिनल ओफेन्स है पुलिस जिस तरह से दूसरे केसेज के अन्दर जो केसेज रजिस्टर हुए हैं वे आई० पी० सी० के अन्तर्गत किये गये हैं उनकी पेरवी की व्यवस्था जेसे अन्य केसेज में होम डिपार्टमेण्ट करता है वे इसकी भी करते हैं। इसके लिये सहायता विभाग से अलग ऑफिसर मुकर्रर करने की आवश्यकता नही समझी गई।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर इन केसेज के बारे में विशेष दिलचस्पी नही ली गई और अच्छी तरह से पेरवी नहीं की गई तो फेल्योर हो सकते हैं इससे करप्शन को और बढावा मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये विशेष व्यवस्था निगरानी के लिये की जानी चाहिये ताकि ये अच्छी तरह से कण्डक्ट किये जा सकें यह तो स्पेशल सरकम्सटान्सेज में व्यवस्था करने की बात हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो कोई ओफेन्स स्टेट में कमिट होता है उसके लिये पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वे ओफेण्डर को सजा दिलवाने के लिये पूरी कोशिश करें। इसमें भी क्रिमिनल ओफेन्स हुआ है उससे उम्मीद की जाती हैं पुलिस डिपार्टमेण्ट अपने प्रोसीक्यूशन विभाग के जरिये सतर्कता साव-धानी वरत रहा है।

जहां तक रिलीफ डिपार्टमेण्ट का प्रश्न है इसके लिये अलग से व्यवस्था की जाय यह हमने नहीं सोचा, आपका सजेशन है इस पर विचार करेंगे। रिलिफ डिपार्टमेण्ट द्वारा उन सब केसेज में पेरवी करने के लिये अलग से स्टाफ लगाया जाय। विभाग के अधिकारी तो कर नहीं सकते उसके लिये एडवोकेट्स की नियुक्ति होनी चाहिये। ताकि वे हियरिंग में सम्मिलित हो सकें और वहां सजेशन दे सकें। इस तरह की प्रोसीक्यूशनल ब्रान्च के बिना वह नहीं हो सकती इसके लिये हमें अलग से पोस्ट क्रिएट करनी होगी।

श्री भेरोंसिह : (किशनपोल, जयपुर) राजस्थान सरकार ने अब भी इस प्रकार का नियम बना रखा है उन नियमों के आधार पर पुलिस तो अपनी पैरवी करती ही है विभाग भी अपनी तरफ से आफिसर इनचार्ज इस संबन्ध में भेज सकता है।

Page No 13

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इस बारे में पता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य के अनुसार आप उनके सजेशन को स्वीकार करलें ।

श्री परसराम मदेरणा : आफिसर इन्चार्ज ऐसे केसेज बनाये जाते हैं जो आई० पी० सी० के तहत नहीं आते हों या रिट एप्लीकेशन्स हों । पंचायत डिपार्टमेण्ट के मामले आई० पी० सी० में आते हैं । फिर भी हमारा डिपार्टमेण्ट चलाता है क्योंकि उस संबन्धी तमाम फाइलें हमारे पास रहती हैं । इसलिये आफिसर को साथ लगाना जरूरी है ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा हो आप इस बारे में अपने विभाग से पूछ लें ?

श्री परसराम मदेरणा : पुलिस में जो केस रजिस्टर हो गया उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत अनुसन्धान आदि का कार्य पुलिस ही करती है उसके लिये आफिसर इन्चार्ज मुकर्रर नहीं किया जा सकता ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो कोर्ट में केसेज चालान हो गये उनमें से किसी का डिसीजन हुआ है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : २० केसेज जो चालान हुए हैं उनमें से किसी का फैसला नहीं हुआ ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या यह सही है कि जो केसेज पेण्डिंग हैं वे इसलिये पड़े हैं कि पी० डब्लू० डी० वाले रेकार्ड नहीं देते ?

प्रश्न सं० २२८

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीविट्ठल प्रसाद शर्मा ?

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ३५२

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४१

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४५

श्री श्रवणलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४७

श्री मजलिसखां

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया ।

मांगरोल में बुनकर कालौनी

५४८. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(१) क्या यह सही है कि मांगरोल जिला कोटा में जो बुनकर कालोनी बनाई गई वह अभी तक अधूरी पड़ी है ?

(२) यदि हां, तो कितने घरों की बुनकर कालोनी कितने रुपयों को लागत से कब लागू की थी और अब तक कितने रुपये व्यय हो चुके बाकी रुपया क्यों नहीं खर्च किया और अब यह कब तक बनकर पूरी हो जायेगी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त बुनकर कालोनी का करीब ६२ या ६५ हजार रुपया जो पचायत समिति अन्ता में जमा पड़ा था वह सरकार ने वापिस ले लिया ?

यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां।

(२) कालोनी में पचास घर बनाये जाने थे जिसके लिये वर्ष १९५९ में १,८०००० की स्वीकृति हुई थी। अब तक ८०,००० रुपये खर्च हो चुके हैं। निर्धारित सीमा तक कार्य न होने के कारण आगे धनराशि नहीं दी गई। बुनकर समिति को चाहिये कि निर्धारित सीमा तक कार्य करादें।

(३) जी नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितने मकान पूरे बन चुके व कितने अधूरे पड़े हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पूरे मकान निर्धारित सीमा तक नहीं बने।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्यों नहीं बन पाये सरकार द्वारा रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है ? अधूरे क्यों पड़े हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : तीन इन्स्टालमेण्ट्स द्वारा पूरी रकम दी जाती है। निर्धारित सीमा के अनुसार काम नहीं होने के कारण रुपया नहीं दिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पंचायत समिति से पैसा लेकर दिया गया हैं वह भी अधूरा दिया गया है बाकी का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पहली किश्त के युटिलाइजेशन के बाद जब प्लिन्थ लेवल पर आजाता है उसके बाद दूसरी किश्त देते हैं उसके बाद छत तक आजाने के बाद तीसरी किश्त दी जाती है। वे मकान प्लिन्थ लेवल तक ही नहीं आये हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरी कोन्स्टीटयूएन्सी है उसमें मैं रात दिन आता जाता रहता हूं प्लिन्थ लेवल तक क्या मकान छत तक आ गये हैं फिर भी उनको पैसा नहीं दिया गया, अब क्या सरकार उनको पैसा देगी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह उद्योग विभाग से हमें ट्रान्सफर हुआ था। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट ने पूरा पैसा हस्तान्तरित नहीं किया। माननीय सदस्य ने कहा है कि मकान प्लिन्थ लेवल से भी ऊपर आगये हैं। मैं इसकी जानकारी कर लूंगा तथ्य क्या है, पहली किश्त का ठीक प्रकार से उपयोग हो गया है। तो दूसरी किश्त मिलनी चाहिये। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट ने आगे इसके लिये प्रोविजन रखा है या नहीं यह मैं नहीं कह

(श्री परसराम मदेरणा)

सकता। वे ट्रान्सफर हमें करेंगे या नहीं हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। जांच के बाद आपके तथ्य सही साबित हुये तो उनको पैसा देने के संबन्ध में जो कुछ उचित होगा कार्यवाही की जायगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा, इण्डस्ट्रीज विभाग ने दूसरी किश्त नहीं दी, इस बारे में मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूँ इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने पंचायत समिति अन्ता को ६५ हजार रुपये दिये थे और वह रुपये तीन वर्ष तक पंचायत समिति के पास पड़े रहे। १६६४ में पंचायत समिति से राज्य सरकार ने न मालूम किन कारणों से पैसे वापिस ले लिये-यह जानना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : वापिस लेने की इनफारमेशन अभी मेरे पास नहीं है। यह बात सही है कि इस साल पैसे वापिस लिये थे जो अन-युटिलाइज्ड पड़ा है। यह बात क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है इसलिये यह जानकारी मेरे पास नहीं है। जहां तक मेरी इनफारमेशन का सवाल है, पहली किश्त के युटिलाइजेशन ठीक होने के बाद ही दूसरी किश्त दे सकते हैं इसलिये नहीं दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पंचायत समिति में राशि जो जमा थी वह बुनकर निर्माण समिति के लिये थी और तीसरी किश्त जो बाकी थी वह राज्य सरकार ने पूर्ण निर्माण के लिये दी थी।

श्री परसराम मदेरणा : ६२-६३ में वापिस लेने की कह रहे हैं वह जानकारी मैं आपको दूं एक लाख ८० हजार की पूरी योजना थी। इस एक लाख ८० हजार में एक लाख २० हजार की ग्रान्ट थी और ६० हजार का अनुदान था। हमको जो राशि हस्तान्तरित हुई है वह ६० हजार है। बाकी राशि बची या नहीं बची यह इनफारमेशन नहीं है। पंचायत समिति से जो इनफारमेशन मिली है उसके आधार पर ही कह सकता हूं-कोई राशि वापिस नहीं ली गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय जो वक्तव्य दे रहे हैं उसको मैं चुनौती दे रहा हूं······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय यह गरीबों का प्रश्न है। बुनकर सहकारी समिति का सवाल है·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उस इलेक्टेड बाडी के मेम्बर हैं। यह बात वहां पर खड़ी करनी चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायत समिति में यह प्रश्न रखा था और पंचायत समिति ने आपत्ति की है।

Page No 16

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

राज्य सरकार ने वाला बाला पंचायत समिति से···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय प्रश्न बड़ा गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

प्रश्न नं० ५४९

श्री मोतीलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५५०

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५५

श्री सुलानिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय प्रश्न बड़ा गंभीर है···

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़िया ।

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया, नो रिप्लाई, (उत्तर) नहीं दिया जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बड़े बिनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं ।

आप हमेशा गरीबों पर रियायत करते आये हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी प्रश्न हो चुके हैं । नैक्स्ट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से·········

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

ग्राम पंचायत बूंदोली के सरपंच के विरुद्ध जांच ।

५५३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या पंचायत एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नवम्बर, दिसम्बर, १९६८ में ग्राम पंचायत बूंदोली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के सरपंच जगीराम ने राजस्थान में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये ग्राम वासियों से चारा, अनाज और नकद रुपया इकट्ठा किया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने यह चारा अनाज और रुपया अकाल सहायता फन्ड में जमा नहीं कराया ?

(३) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने दिनांक २४-९-६९ को स्थानीय जिलाधीश के पास एक शिकायत की थी जिसमें यह कहा गया था कि गांव में लगभग ५०० मन तूड़ा, ४-५ बोरी अनाज और कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नकदी रुपया वसूल हुआ था जिसको सरपंच ने जमा नहीं कराया।

(४) क्या इस शिकायत पर पूरे मामले की जांच करली गई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? जांच किस अधिकारी ने की ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो इतनी देर होने पर भी जांच न होने का क्या कारण है ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। पूरी जांच अभी नहीं हुई है। सब. डिविजनल आफिसर राजगढ़ से जांच करवाई जा रही है। तत्कालीन तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का स्थानान्तर अन्यत्र हो जाने से उसके बयान नहीं लिये जा सके हैं इसलिये जांच में विलम्ब हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने प्रश्न सं. (४) का उत्तर दिया है-अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है तो फिर प्रश्न सं० (१) का उत्तर कैसे दिया जी नहीं, जांच के बाद ही तो प्रश्न उठता है। जांच पूरी नहीं हुई तो आप कैसे कहते हैं, उनसे वसूल नहीं किये हैं।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : मौके पर जांच करवाई गई थी। प्राइमा-फेसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। फिर भी जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जांच की रिपोर्ट मांगी थी। अध्यक्ष महोदय क्या जो जांच की गई है उसमें गांव वालों ने यह बयान दिये हैं कि अकाल पीड़ितों के लिये जो तूड़ा सहायता के लिये दिया था वह नहीं आया है-इस तरह के बयानात लोगों ने दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बयान जरूर हुये हैं-क्या हुये हैं, क्या नहीं हुये हैं यह मुझे पता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बयान हुये हैं लोगों ने कहा है तो फिर क्वेश्चन नं० (१) के उत्तर में पूर्ण रूप से यह कैसे कहते हैं कोई वसूल नहीं किये। प्रारम्भिक जांच में कोई बात नहीं पाई गई है तो आप कैसे कहते हैं वसूल नहीं किये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कलक्टर ने प्रिलिमिनरी जांच के बाद बताया है, यह कान्फीडेन्सियल जांच कराई गई थी। अध्यक्ष महोदय, जो जांच की है उसमें यह बताया गया है कि यह बात आपसी रंजिश की वजह से है और इसी कारण शिकायत की गई है। शिकायत की कोई सत्यता नहीं पाई गई है-एक बात। दूसरी बात इस जांच में पंचायत समिति का रेकार्ड देखा है। रेकार्ड में इस तरह की कोई बात नहीं है फिर भी क्लेक्टर ने एस० डी० ओ० को लगाया है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का वहां से ट्रान्सफर हो गया है इसलिये उनके बयान लेनेके बाद पूरी जांच रिपोर्ट आयेगी और जांच रिपोर्ट से सरपच दोशी पाया गया, अकाल के लिये जो चारा एकत्रित किया गया वह बेचा गया या नहीं बेचा या कोई अनियमितता की कार्यवाही की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। मैं गांव में गया था और मैंने उनसे कहा था आप पूरा सहयोग दें। जो चारा अकाल सहायता के लिये लोगों ने मिलकर इक्ट्ठा किया था वह पंचायत समिति के रेकार्ड में जमा नहीं है। अलग अलग करके उसको बेच दिया, शिकायत इसी बात की है। इतने दिन हो गये है–नवें महीने में शिकायत की गई थी। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई तो अकाल सहायता मामलों में जो लोग दान देने के लिये आयें उनके दिमाग में राज्य सरकार के प्रति क्या रुख बनेगा, यह अध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है। आपके अधिकारी बीच में ही अकाल के धन का गबन कर जाय और फिर उसकी जांच एक्सपीडिससली न की जाय और टाल मटोल की नीति अपनाई जाय। यह अध्यक्ष महोदय बहुत बुरी बात है।

श्री अध्यक्ष : कब तक सम्पन्न करा देंगे?

श्री परस राम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, टालमटोल का कोई प्रश्न नहीं है अकाल से प्रभावित लोगों को सहायता पहुँचाने में कोई गड़बड़ी करता है तो टालमटोल का या कोई रियायत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर कोई प्राइमा-फेसी केस हो गया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जायगी। माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा अभी फरमाया कितने दिन में जांच पूरी हो जायगी? १० दिन में जांच पूर्ण होने के आदेश राज्य सरकार की ओर से दिये जा रहे है।

प्रश्न सं० ५५४

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरी सिंह हांडा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५५५

श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गंगा सहाय।

मीठड़ी बान्ध

*५५७. **श्री गंगा सहाय (कठूमर)** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवाड़ी (जिला पाली) के दो मील क्षेत्र में मीठड़ी बान्ध का निर्माण कार्य सन् १९६६ से आरम्भ हुआ था? क्या यह कार्य पूर्ण हो चुका है?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम सेवाड़ी के ४० मील, गिरासिया व मीणा परिवारों की जमीन इस बान्ध के डूब में आई हुई है जिसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की कृषि भूमि, मकान व कुये आदि भी थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया है।

(३) क्या यह भी सही है कि इन लोगों ने लगातार प्रार्थना पत्र सम्बन्धित इन्जीनियर, जिलाधीश, मंत्री व मुख्य मंत्री जी तक को समय समय पर भेजे हैं परन्तु उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई?

(४) क्या यह भी सही है कि इन ४० परिवारों को न तो डूब में आने वाली भूमि, मकान, कुये आदि का मुआवजा दिया गया है और न उन्हे बसने तथा खेती के लिये कोई अन्यत्र भूमि दी गई है?

Page No 19

सिंचाई मंत्री : (श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा (१) जी हां, कार्य पूर्ण हो चुका है (२) ३६ परिवारों की भूमि जलमग्न क्षेत्र व बारों ऐरिया में आई है जो मकान व कुयें जलमग्न क्षेत्र में आये हैं उन्हें अभी बान्ध में पानी नहीं भरने के कारण कोई क्षति नहीं पहुंची है ।

(३) जी नहीं ।

(४) जलमग्न क्षेत्र व बोरो ऐरिया की भूमि के मुआवजे का अधिकतर भुगतान कर दिया गया है । कुए व मकानों के मुआवजे के तखमीनों की स्वीकृति होने पर चुकारा शीघ्र कर दिया जायेगा ।

श्री गंगा सहाय : यह कबतक पूर्ण मकान वगैरह का मुआवजा दे देंगे ?

श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा : तीन महीने के अन्दर ।

प्रश्न सं. ५५६

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रूपसिंह ।

'आई एम सारी' पहले ले लिया गया है ।

प्रश्न सं. २२४

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ३५२

श्री शंकर लाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विकास अधिकारी बानसूर के विरुद्ध कार्यवाही

५४०. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तारीख २५-८-६९ को प्रश्न सं. ३६२ के उत्तर में भारत सरकार ने यह बताया था कि प्रधान, पंचायत समिति बानसूर का शिकायत पत्र कलेक्टर अलवर को जांच के लिये भेजा गया है ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायत के बाद भी इस विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) बानसूर (अलवर) के खिलाफ एक चार्जशीट मुख्यमंत्री को पेश की थी ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि प्रधान पंचायत समिति बानसूर ने बी. डी. ओ. बानसूर के खिलाफ एक शिकायत पत्र राजस्थान सतर्कता आयोग को पेश किया था और फिर कमिश्नर आयोग ने करीब ४ माह पूर्व जांच के लिये सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या यह सही है कि बानसूर (अलवर) के विकास अधिकारी का सरकार ने वहां से स्थानान्तरण कर दिया था मगर दूसरे दिन ही स्थानान्तरण की आज्ञा को रोक दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

(५) क्या सरकार इस विकास अधिकारी का तबादला करके जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(६) अब तक इस विकास अधिकारी के खिलाफ जांच न कराये जाने का क्या कारण है ?

(७) क्या सरकार विकास अधिकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायत पत्र की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

उत्तर

(१) जांच की कार्यवाही अभी चालू है।

(२) कथित चार्जशीट इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(३) जी हां। जिलाधीश को जांच के लिए लिखा गया है।

(४) जी हां। प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण रोका गया था।

(५) जांच की कार्यवाही चालू है स्थानान्तरण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(६) शिकायतों की जांच कार्यवाही चल रही है।

(७) प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

पंचायतों के चुनाव

५४४. **श्री जयनारायण सालोविया :** (निवाई) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने पंचायतों के चुनाव जनवरी, ७० में कराने का जो कार्यक्रम बनाया था उसको स्थगित क्यों किया गया ?

(२) इस चुनाव को कराने के लिये सरकार ने जो तैयारी की थी उस पर कितना खर्चा हो चुका था ? हर जिले की अलग-अलग मदों, जैसे वोटर लिस्टें तैयार कराना, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, छपाई, टी. ए; डी. ए; मोटर पैट्रोल ये खर्चे की सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सच है कि पंचायतों के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा भी चुनाव प्रचार में लाखों रुपये खर्च कर दिये गये थे ? यदि हां, तो फिर अन्तिम दौर में चुनाव स्थगित क्यों किये गये ?

(४) क्या यह भी सच है कि नगरपालिकाओं के चुनावों को भी राज्य में तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष हो गये हैं और अभी चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह भी सच है कि सरकार हर चुनाव को समय पर नहीं कराकर उनको येन-केन-प्रकारेण टालना चाहती है ?

उत्तर

(१) भारत के संविधान के २३ वें संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में विधान सभा

Page No 21

(चुनाव मंत्री)

का सत्र आकस्मिक परिस्थितियों में जनवरी, ७० में आह्वान किये जाने के कारण पंचायत आम चुनाव स्थगित किये गये।

(२) पंचायत चुनाव के मद में जनवरी, ७० तक कुल रु ७,४०,१४६) खर्च हुए हैं। खर्चे को जिलेवार विवरण की सूची संलग्न है। इसमें वोटर लिस्ट की तैयारी एवं वोटर लिस्ट व अन्य फर्मो के मुद्रण का व्यय रु. ६,६३,५६७) सम्मिलत है जो भविष्य में काम में लिये जावेंगे।

(३) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चुनाव स्थगित करने का कारण ऊपर वर्णित किया जा चुका है।

(४) कुछ नगरपालिकाओं के चुनावों को पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है। चुनाव न कराये जाने के कारण सदन में समय-समय पर बताये जाते हैं। नगर पालिकाओं के आम चुनाव मई-जून, १९७० में कराये जाने का विचार है।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर

५४५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि बाल-सेविका प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में चलाया जा रहा है ? यदि हां तो किस संस्था की ओर से और उसका संचालन कौन करता है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त बाल-सेविका प्रशिक्षण केन्द्र को प्रशिक्षण कार्यों के लिये प्रशिक्षण फण्ड दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना कितना और अब तक कितने प्रशिक्षण कार्यो को कितना फण्ड दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह भी सच है कि सन् १९६६-६७ में किये गये प्रशिक्षण कार्यों को प्रशिक्षण फण्ड नहीं दिया गया है ?

(४) यदि हां, तो किस किस को नहीं दिया गया है और अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां। यह प्रशिक्षण भारतीय बाल विकास समिति, नई दिल्ली की ओर से- राजस्थान राज्य बाल विकास समिति जयपुर द्वारा संचालित है।

(२) जी हां। एक प्रशिक्षणार्थी के पीछे ५०) रु० महिने के हिसाब से प्रशिक्षण फण्ड भारत सरकार द्वारा राजस्थान बाल विकास समिति को दिया जाता है अब तक कितने प्रशिक्षण कार्यो के लिये कितना फण्ड दिया गया की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

सवाई माधोपुर जिले में ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स

५४६. श्री रिद्धिचन्द पालीवाल : (गंगापुर) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर जिले में ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत किन किन व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी करौली द्वारा लाइसेन्स दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि अधिकांस लाइसेन्स होल्डरों द्वारा रेफरीजेटर दवाई रखने के लिए नियमानुसार रक्खे हुए नहीं हैं ? कृपया ऐसे लाइसेन्स होल्डरों की सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि गंगापुर में आऊट आफ डेट दवाइयों की बिक्री की जाती है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कभी चैकिंग किये गये ? अगर किये गये तो कब कब किस किस ने और इसका क्या परिणाम निकला ?

(स्थगित किया गया)

बांध सीकरी से सीपेज के कारण प्रभावित भूमि

५४७. श्री मजलिस खां : (कामां) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांध सीकरी के दोनों बाजुओं के साथ साथ काफी कृषि भूमि सीपेज होने के कारण खराब होती जा रही है ?

(२) यदि हां, तो किस किस ग्राम की कितने कितने बीघा भूमि खराब हो चुकी है ?

(३) क्या सरकार कृषि भूमि को खराब होने से बचाने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) बांध सीकरी के डाउन स्ट्रीम के कुछ भूमि में खार काफी समय से है।

(२) ग्राम झझार, हुसेपुर व सीकरी की क्रमशः ४०, ३० व ५० एकड़ भूमि प्रभावित है।

(३) इस विषय में विस्तृत जानकारी के बाद योजना बनाई जावेगी।

मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने की नीति

५४९. श्री मोतीलाल : (रेवदर) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६१ से आज तक राजस्थान के किस किस जिले में किस किस वर्ष में कितने कितनो माध्यमिक विद्यालयों को सेकेन्ड्री विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ?

(२) क्या सरकार पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ज़िलेवार विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की योजना बनाकर ही विद्यालयों को क्रमोन्नत करती है ?

(श्री मोतीलाल)

(३) यदि हां, तो तीसरी पंच वर्षीय योजना और उसके पश्चात् आज तक किस किस जिले में कितने-कितने मिडिल स्कूल प्रत्येक वर्ष क्रमोन्नत किये जाने की योजना में प्रावधान रखा गया था और उसके अनुसार सिरोही जिले में १६६२ से आज तक किस किस वर्ष में कितने कितने मिडिल स्कूल, सेकेन्ड्री स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान था और उसके विपरीत किस किस वर्ष में कितने मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया ?

(४) क्या मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने हेतु राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित की हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रति कृपया सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या सिरोही जिले में निम्न पुरानी स्कूलों को अगामी सत्र से क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ?

(१) दांताराई मिडिल स्कूल
(२) सिरोही मिडिल स्कूल
(३) जावाल मिडिल स्कूल
(४) सरूपगंज मिडिल स्कूल
(५) अनादरा मिडिल स्कूल

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) धन की उपलब्धि विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक योजना काल में शालाओं को क्रमोन्नत करने की संख्या निर्धारित करदी जाती है। प्रतिवर्ष शालाओं को खोलने के भी लक्ष्य तय किये जाते हैं। शाला खोलते समय जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं और जिला अधिकारियों की अभिसंग को ध्यान में रखते हुए शालाओं को क्रमोन्नत किया जाता में ।

(३) जिलेवार तृतीय पंच वर्षीय योजना का विवरण तैयार नहीं किया गया। सिरोही जिले में १६६१ से वर्ष १६६६ तक २ उच्च प्राथमिक शालाओं को सेकेन्ड्री शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है । वैसे इस समय सिरोही जिले में १५ सेकेन्ड्री एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूले हैं जो प्रति लाख जनसंख्या पर ४ आते हैं । राज्य स्तर का औसत प्रतिलाख जनसंख्या भी ४ है।

(४) जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

(५) आगामी सत्र १६७०-७१ में किसी उच्च प्राथमिक शाला को सेकेण्ड्री शाला में क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं है ।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम पंचायत नगर द्वारा भूमि का बेचान

५५०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १४-१०-६५ को ग्राम पंचायत नगर जिला भरतपुर ने १२० वर्ग फुट जमीन सिर्फ ३००) रुपये में श्री खूबराम को बेची गई थी ? यदि हां, तो क्या यह बेचान नियमानुसार हुआ था ?

Page No 24

(श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन ग्राम सड़क का ही एक भाग है ? यदि नहीं, तो मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर हैं ?

(३) क्या यह सही है कि दिनांक १७-४-६६ को इसी जमीन के पास ग्रौर जमीन श्री बाबूलाल पुत्र श्री राधेश्याम को बेची गई जिसकी कीमत ६१५०) रु. वसूल की गई ?

(४) क्या यह सही है कि श्री खूबराम को जो जमीन बेची गई वह नीलाम नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी, हां. । यह बेचान नियमानुसार नहीं हुग्रा था ।

(२) जी, नहीं । उक्त भूमि ग्राम सड़क का भाग नहीं है परन्तु उससे लगती हुई है ।

(३) जी, हां ।

(४) श्री खूबीराम को भूमि बिना नीलाम किये ही बेची गई थी । इस विषय में जांच जारी है ।

जयपुर रेल्वे स्टेशन से झोटवाड़ा बस सर्विस

५५१. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार रेल्वे स्टेशन जयपुर से वाया कलेक्टोरेट झोटवाड़ा तक बस सर्विस चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ग्रौर नहीं तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में झोटवाड़ा व ग्रौद्योगिक बस्ती के निवासियों व इस क्षेत्र में बाहर ग्राने जाने वाले यात्रियों को या तो चान्दपोल होकर रेल्वे स्टेशन जाना पड़ता है या मुंह मांगा किराया खर्च कर ग्राना जाना पड़ता है ?

उत्तर

(१) जी हां । इसके लिये प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर ने ग्रपने प्रस्ताव सं० ११ दिनांक १५-१२-६६ द्वारा नया मार्ग खोलने हेतु प्रस्ताव लिया ग्रौर जिस पर तीन बसों का स्कोप प्रति घंटे चलने का तय किया परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उक्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय पर दिनांक १७-१-७० को स्टे ग्रार्डर दे दिया ग्रतः स्टे ग्रार्डर के हटने पर ही ग्रग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

(२) जयपुर रेलवे स्टेशन से झोटवाड़ा जाने के लिये मुसाफिर रेल द्वारा झोटवाड़ा पहुँच सकता है ग्रौर यदि बस द्वारा यात्रा करना चाहे तो चांदपोल होकर जा सकता है । चांदपोल से झोटवाड़ा के लिये बस ग्राधे घंटे के फासले से मिलती है ।

ग्राम कापरेन, में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

५५४. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम कापरेन, जिला बुन्दी के लिये ग्रामीणों की ग्रोर से १०,००० रु. की राशि पचायत समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये कब जमा की गई थी ?

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(२) कापरेन में प्राइमरी हैल्थसेन्टर ने कब से कार्य करना शुरू किया, उसका मौजूदा ग्रमला कितना कार्य कर रहा है और उस पर सालाना व्यय क्या है ?

(३) क्या यह सत्य है कि प्राइमरी हैल्थसेन्टर में डाक्टर का होना ग्रनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कापरेन में ग्रभी तक भी नहीं है तथा केशोराय पाटन से डाक्टर महीने में एक बार कापरेन ग्राते हैं ? यदि हां, तो सरकार डाक्टर की नियुक्ति कापरेन में करने का विचार रखती है ?

(४) प्राथमिक हैल्थ सेन्टर कापरेन पर सालाना दवाइयों पर कितना व्यय किया जाता है ?

(५) प्राइमरी हैल्थसेन्टर की इमारत कब तक बनाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ग्रामवासियों की रकम का व्यौरा निम्न प्रकार है:—

दिनांक	कार्यालय जिसमें रकम रकम जमाकरण	धनराशि
१७-२-६४	जिला परिषद बूंदी	२,०००)
१३-३-६४	,, ,,	५०५)
३१-३-६४	,, ,,	१,६६५)
२६-२-६५	विकास ग्रधिकारी	१,०००)
८-२-६५	,, ,,	२००)
३१-३-६५	कोग्रापरेटिव बैंक बूंदी	४,३००)
	कुल योग	रु० १०,०००)

(२) दिनांक १६–६–६५ से। मौजूदा कार्यरत ग्रमले का व्योरा निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	पद	संख्या
१.	कम्पाउन्डर श्रेणी प्रथम	१
२.	कम्पाउन्डर ,, ll	१
३.	कम्पाउन्डर श्रेणी तृतीय	२
४.	स्वास्थ्य निरीक्षक	१
५.	ए० एच० डब्लू०	३
६.	मिडवाईफ	४
६.	एल० एच० जी०	१
८.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	७

ग्रनुमानित सालाना व्यय रु० ६८,२००) रू० है।

(३) जी हां। डाक्टरों के ग्रभाव में नियुक्ति करना सम्भव नहीं हो सका है। केशोराय पाटन से डाक्टर हर माह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाते हैं।

(४) सन् १६६६-७० में रू० १,४००) की स्वीकृति के बावजूद रु० १,८००) व्यय हुग्रा है।

(५) भवन निर्माण कार्य इस वर्ष में प्रारम्भ हो जावेगा।

टोंक जिले में बांधों को क्षति

५५५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष १६६६ के वर्षा ऋतु में जिला टोंक में ग्रधिक वर्षा के कारण सिंचाई के बांध टूट

(श्री दिग्विजयसिंह)

गये थे ? यदि हां, तो कुल कितने ? कृपया तहसीलवार मय नाम तालाब के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने इन बांधों को वापस निर्माण कराने हेतु कुछ धन राशि प्रदान की है ? यदि हां, तो कुल कितनी ? कृपया तालाबवार धन राशि जो खर्च करनी है उसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा टोंक तहसील के तालाबों पर कार्य कराने की स्वीकृति व टेन्डर निकाल दिये हैं और अन्य तहसीलों के कार्यो पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो बाकी तालाबों के कार्य कब तक शुरू करवा दिये जावेंगे ?

(३) क्या यह सही है कि अधिकतर तालाबों की स्वीकृति टोंक तहसील में ही दी गई है, जबकि अन्य तहसीलों में भी काफी तालाब टूटे पड़े हैं ?

(५) क्या यह सही है कि टोंक तहसील के भी जितने तालाबों के कार्य शुरू होने चाहिये थे वे शुरू नहीं किए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि यदि इस राशि को वर्ष १९६९–७० के मार्च तक उपयोग में नहीं ली गई तो वह राशि लेप्स हो जावेगी ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां । सन् १९६९ की वर्षा में जिला टोंक में कुल २५१ तालाबों को बाढ़ से नुकसान हुआ जिनकी तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(२) जी हां । उपरोक्त गांवों की मरम्मत के लिये सरकार ने ५ लाख रुपये की धन राशि प्रदान की थी जिसकी तालाब वार सूची संलग्न है ।

(३) जी हां । टोंक तहसील के ६ व अन्य तहसील के एक प्रतिशत तालाबों की मरम्मत का कार्य वर्ष १९६९–७० में किया गया अन्य तहसीलों के तालाबों की मरम्मत का कार्य धन उपलब्धि पर किया जा सकेगा ।

(४) टोंक तहसील के अतिरिक्त दूसरी तहसीलों में भी स्वीकृति दी गई थी परन्तु धनाभाव के कारण वे सब स्वीकृत कार्य नहीं किये जा सके ।

(५) जी हां । धनाभाव के कारण ७ में से केवल ६ टूटे बांधों की मरम्मत का कार्य किया जा सका ।

(६) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

ग्राम प्रसनावर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

५५९. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(१) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर जिला झालावाड़ की ओर से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाने के लिये दस हजार रु. जमा हुआ है, फिर भी अब तक भवन निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसके बाद जिन जिन क्षेत्रों से या ग्रामों से रकमें जमा हुई उनके भवन निर्माण किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कहां कार्य हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां। उप केन्द्र भवन निर्माण हेतु जन सहयोग की धनराशि जमा हो चुकी है। भीम सागर बनने से यह गांव डूब में आता था इस कारण योजना बद्ध निर्माण कार्य यहा पर प्रारम्भ नहीं करवाये जा सकते थे।

(२) जी नहीं। शेष, प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(२१-३-७०)

झालावाड़ जिले में चैरिटी फण्ड के नाम से ली गई राशि

२२८. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले में शक्कर कन्ट्रोल के कोटे पर शक्कर डीलर्स से चैरेटी फण्ड के नाम से कोई राशि ली जाती रही है ? यदि हां, तो यह कब से तथा किस आदेश से ली जा रही है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अब तक कुल कितनी राशि इस फण्ड में जमा हुई तथा किस किस तहसील से कितनी कितनी राशि आई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या उक्त धनराशि किसी बैंक में जमा है ? यदि हां, तो बैंक का नाम बताने की कृपा करें। यदि नहीं, तो किसके पास है ?

(४) क्या उक्त संग्रहीत धनराशि का व्यय भी किया गया है ? यदि हां, तो किस किस कार्य हेतु १ सूची प्रदान करें।

(५) क्या उक्त चैरिटी फण्ड के होने से झालावाड़ में शक्कर १)६० पैसे एवं कोटा में १)५५ पैसे किलो बिकी है ?

उत्तर

(१) जी हां। उक्त राशि लाईसेन्सड कमांडिटीज चैरेटी फण्ड के अन्तर्गत १९६३ से ली जा रही है नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जब तक इस फण्ड में कुल १,०६,१४६.७९ पैसा जमा हुआ है। उक्त राशि की पंचायत समिति वाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं, उक्त राशि राज्य कोष (ट्रेजरी) में जमा है।

(४) जी हां, संग्रहीत धनराशि में से जिन २ कार्यों पर व्यय किया गया है उनको सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं, झालावाड़ जिले में शक्कर १.८५ प्रतिकिलो (चैरेटी फण्ड के शामिल करने के पश्चात) बेची गई है।

Page No 28

(खाद्य मंत्री)

कोटा में जून तथा जुलाई १९६९ में १.५५ प्रतिकिलो बेची गई है। अन्य माहों में कीमत १.६५ व १.७० के बीच प्रतिकिलो थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बीमा विभाग का विकेन्द्रीकरण

५६७. श्री हरजीराम बुरड़क (लांडनू): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार राज्य बीमा विभाग का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है? यदि हां, तो कब तथा क्यों?

(२) मौजूदा कार्यप्रणाली में क्या कठिनाइयां हैं और विकेन्द्रीकरण से क्या क्या लाभ होने वाला है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उटता।

पंचायत समितियों द्वारा धन का दुरुपयोग

५६८, श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण के परीक्षक ने सरकार को शिकायत की है कि पंचायत समितियों द्वारा धन का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

(२) क्या उक्त रिपोर्ट में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये भी कोई सुझाव दिये हैं? यदि हां, तो क्या क्या?

(३) क्या सरकार उक्त सुझावों के अनुसार कार्य करने में सहमत है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(४) क्या उक्त शिकायत के पूर्व भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कभी विचार किया था? यदि हां, तो कब और क्या?

उत्तर

(१) जी नहीं। अलबत्ता वरिष्ठ अधिकारियों की ११वीं बैठक में एजेण्डा के लिये इस संबंध में उन्होंने सुझाव अवश्य भेजे थे।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) राज्य सरकार ने सन् १९६१ में इस विषय पर विचार किया था व यह निर्णय लिया था कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग विकास विभाग को समितियों में होने वाली गंभीर अनियमिततायें, धन के दुरुपयोग इत्यादि से सम्बन्धित मामलों की एक त्रैमासिक समीक्षा भेजे जिसकी प्रति वित्त विभाग को भी सूचनार्थ दी जावे।

देवस्थान से आय

५६९. श्री हंसराज आर्य: (भादरा) क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 29

(श्री हंसराज आर्य)

(१) पिछले साल राजस्थान में कितने लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) राजस्थान में कितने देवस्थान ऐसे हैं जिनसे सरकार को सालाना आय होती है ? वह आय किस प्रकार की है ?

(३) क्या राजस्थान से बाहर भी कोई ऐसा देवस्थान है जिसकी सेवा पूजा के लिए सरकार को प्रबन्ध करना होता है ? ऐसे कितने देवस्थान हैं, कहां कहां पर हैं व उनका नाम क्या हैं तथा उनका खर्चा क्या है ?

(४) राजस्थान में कुल कितने देवस्थान सरकार के प्रबन्ध में हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) सन् १६६८-६६ में ४३७ व्यक्तियों को देवस्थान विभाग से आर्थिक सहायता दी गई जिसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) राजस्थान में ३७ मन्दिर ऐसे हैं जिनसे सरकार को वार्षिक आय होती है और वह आय किराया, भेंट, ठेका, बागवाड़ी बिक्री परशाद आदि की है।

(३) जी हां, ऐसे ८ मन्दिर हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(४) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

गोगामेड़ी मेले से आय

१७०. श्री हंसराज आर्य : (भादरा) क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गोगामेडी के मेले से सरकार को कुल सालाना क्या आय होती है और सालाना खर्चा क्या है ? पिछले तीन सालों का ब्योरा देने की कृपा करें।

(२) क्या देवस्थान विभाग की ओर से इस वर्ष मेला गोगामेडी में बिजली का प्रबन्ध कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या गोगामेडी के मेले से होने वाली आय को मेले पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए खर्च किया जावेगा ? यदि हां, तो किस कार्य में ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) मेले की दुकानों की बोली कौन बुलवाता है ?

उत्तर

(१) गोगामेडी के पिछले ३ वर्षों में आय व्यय का विवरण इस प्रकार है—

	आय	व्यय
१६६६-६७	२६,७३६	१२,५२६
१६६७-६८	३८,०००	१५,१७५
१६६८-६६	४५,०००	१७,४७५

Page No 30

(देवस्थान मंत्री)

(२) यह कार्य सहायक अभियन्ता, राज्य विद्युत मण्डल सादुलपुर द्वारा शुरु करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(३) मेले की आय से यात्रियों की सुविधा के लिए सफाई रोशनी व पानी की व्यवस्था की जाती है।

(४) दुकानों की बोली देवस्थान विभाग द्वारा बुलवायी जाती है।

गोपालपुरा बांध

५७१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगन्ज क्षेत्र में गोपालपुरा बांध बनाने की योजना स्वीकृत हो गई है?

यदि हां, तो यह योजना कितने रुपयों की है, इसका कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो जावेगा? इस बांध से कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह योजना ३३.४१ लाख रुपये की है। इसका कार्य वर्ष ७०–७१ में शुरु किया जायेगा और लगभग चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में पूर्ण होने की सम्भवना है। इस बांध से करीब ३,८९१ एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

अधिशासी अभियन्ता हनुमानगढ़ का तबादला

५७२. श्री हंसराज आर्य (भादरा) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री गोपीराम गोयल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हनुमानगढ़ का तबादला गंगानगर जिले के बाहर किया गया था?

(२) यदि हां, तो किस तारीख को वे चार्ज देकर हनुमानगढ़ से अपने तबादले पर रवाना हुए थे?

(३) जिस बंगले में श्री गोपीराम गोयल रहते थे अब उस बंगले में कौन रहता है और कब से रहता है? क्या रहने वालों से किराया वसूल किया जाता है?

(४) यदि हां, तो माहवार क्या किराया वसूल किया जाता है? और आज तक कुल कितना किराया वसूल किया गया है?

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) श्री गोपीराम गोयल ने हनुमानगढ़ खण्ड का चार्ज २२-१०-६९ को दे दिया था। वह राजस्थान सेवा नियम के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम का लाभ उठाकर हनुमानगढ़ से अपने तबादले पर रवाना हो गये थे।

(३) अब उस बंगले में श्री मनजीतसिंह दुगल अधिशासी अभियन्ता घग्घर बाढ़ खंड दि० ७-३-७० से रह रहे हैं। रहने वालों से नियमानुसार किराया वसूल किया जाता है।

(सिंचाई मंत्री)

(४) इस बंगले का किराया रहने वाले अधिकारी के वेतन का १०% वसूल किया जाता है। श्री गोपीराम गोयल से २२-१०-६९ तक इस नियम के अनुसार किराया वसूल किया गाया दि० २३-१०-६९ से ४-२-७० तक का कुल किराया रु० ६८०.६५ बनता है जिसकी डिटेल्स संलग्न है ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

लघु सिंचाई योजना पर व्यय

५७३. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत गत वर्ष में किस किस जिले में कितनी धनराशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) जिला बूंदी में इस योजना के अन्तर्गत किस किस तहसील में कार्य शुरू कराया गया और उस पर अनुमानित व्यय क्या किया जावेगा ?

(३) क्या लघु सिंचाई योजना के हेतु वित्तीय सहायता कृषि रिफाईनेंस कोरपोरेशन, बम्बई से दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

रामकुण्ड की मरम्मत

५७४. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गढ़राजोर स्थित रामकुण्ड वन विभाग अलवर के अधीन हैं ? यदि हां, तो इस कुण्ड का वन विभाग में क्या उपयोग होता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस रामकुण्ड की गत अनेकों वर्षो से वन विभाग ने कोई मरम्मत व सफाई नहीं कराई है जिसके कारण मिट्टी जमी है और पानी का भराव कम हुआ है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । यह कुण्ड राजस्व विभाग के अधीन है ।

यह सरिस्का गेम सेन्चुरी क्षेत्र में आता है अतः वन्य जीव एवं समीपवर्ती ग्रामों के पशु इसमें पानी पीते है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

जंगलात की काबिल काश्त भूमि

५७५. **श्री नन्दलाल** (किशनगन्ज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील किशनगन्ज व शाहबाद में जंगलात की कहां किस किस खसरा

(श्री नन्द लाल)

नम्बर की कितनी कितनी एकड़ भूमि काबिल काश्त हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार जंगलात की उपरोक्त भूमि को रेवेन्यू में बदलने हेतु कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस क्षेत्र का भू-क्षमता सर्वेक्षण नहीं हुआ है अतः यह जानकारी देना संभव नहीं है कि किस खसरा नं० में कितनी कितनी भूमि काबिल काश्त हैं।

(२) राज्य में वन के वर्तमान क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए, वन क्षेत्र से अधिक भूमि कृषि हेतु देना संभव नहीं है ।

बोटून्दा में पहाड पर आबादी के पास दीवार का निर्माण

५७६. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील टोडारायसिंह में पंचायत बोटून्दा में पहाड़ पर आबादी के बराबर जो दीवार बनाई है उसकी रूपरेखा कब बनाई गई थी ? यह गांव से पश्चिम पर कितनी दूर है ? क्या गई साल जो दीवार बनाई उसमें काश्तकारों के वाड़े भी थे ? यदि हां, तो क्या ये बाड़े पहले जंगलात में थे ?

(२) यह दीवार तोड़कर गांव के नजदीक क्यों लगाई गई ? क्या गई साल जो दीवार लगाई गई, वहां पहले जंगलात की सीमा थी ?

उत्तर

(१) पहाड़ पर क्लोजर १९६३-६४ में कांटेदार तार से बनाया गया था कांटेदार तार के स्थान पर दीवार १९६९ के अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत बनाई गई ? दीवार गांव के लगभग १०० फीट दूरी पर है। दीवार के अन्दर काश्तकारी के बाड़े नहीं हैं । क्लोजर में पहले भी काश्तकारों के बाड़े नहीं थे ।

(२) वन-सीमा के अन्दर पूर्व निर्मित क्लोजर की सीमा पर स्थान स्थान पर टूटे हुए कांटेदार तार को हटा कर दीवार बनाई गई है । वन सीमा को गांव की ओर नहीं लगाया गया ।

ग्राम पंचायत प्रान्हेडा का आडिट

५७७. श्री देवी लाल बुरासिया : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अजमेर जिले के केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्रान्हेडा के भूतपूर्व सरपंच श्री सन्तोष कुमार के कार्य काल में पंचायत का आडिट और निरीक्षण कब कब हुआ ?

(२) उन आडिटों और निरीक्षणों में क्या कोई गबन, गड़बड़ और गम्भीर अनियमिततायें पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या और उन पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(पंचायत मंत्री)

(२) निरीक्षण व आडिट के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग की २३,७५० रुपये की राशि का जो पंचायत समिति केकड़ी द्वारा रैगर कोलोनी के लिए सरपंच श्री संतोष कुमार को दी गई, रोकड़ में जमा करना व फिर अपने ही नाम लिखकर पंचायत कोष से रकम उठाना व रकम का हिसाब उपलब्ध नहीं होना पाया गया। जांच से पाया गया कि श्री संतोष कुमार की बहैसियत सरपंच कोई जुम्मेदारी प्रतीत नहीं होती व पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

ग्राम सेवक का स्थानान्तरण

५७८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा) :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक श्री भगवान सिंह का परिवर्तन नीम का थाना पंचायत समिति में से चिड़ावा पंचायत समिति में एवं श्री बंशीधर, ग्राम सेवक का चिड़ावा पंचायत समिति से श्री करणपुर पंचायत समिति में दिनांक १५-१०-६९ को हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि करीब दो माह बाद उक्त दोनों कर्मचारियों के स्थानान्तरण रद्द कर दिये गये थे ? यदि हां, तो यह किन कारणों से हुआ?

(३) क्या यह सही है कि श्री भगवान सिंह चिड़ावा पंचायत समिति में ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु आ गया था लेकिन विकास अधिकारी ने उसको ड्यूटी पर नहीं लिया जिसकी सूचना उक्त कर्मचारी समय समय पर जिलाधीश, झुंझुनूं एवं विकास आयुक्त कार्यालय, जयपुर को देता रहा ? यदि हां, तो विकास अधिकारी ने ड्यूटी पर किन कारणों से नहीं लिया और ग्राम सेवक की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त कर्मचारी को १५-१०-६९ से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) दिनांक १५-१०-६९ को स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे।

(२) जी हां, प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये।

(३) जी हां। श्री बंशीधर ग्राम सेवक पंचायत समिति, चिड़ावा को कार्यभार से मुक्त न करने के कारण श्री भगवानसिंह को ड्यूटी पर नहीं लिया। श्री भगवानसिंह द्वारा भेजे गये पत्रों पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चिड़ावा को स्थानान्तरण आदेश की पालना हेतु लिखा गया था।

(४) वेतन भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

Page No 34

खेरवाड़ा तहसील में राहत कार्य

५७९. श्री विद्या सागर (खेरवाड़ा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खेरवाड़ा तहसील में १ जनवरी, १९६९ से १५ अगस्त, १९६९ तक कहां कहां निर्माण विभाग द्वारा अकाल के अन्तर्गत काम चलाये गये, और उन कार्यों पर इस अवधि में किस किस कार्य पर कितना कितना खर्च किया गया ? कार्य के अनुसार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) १ जनवरी, १९६९ से १५ अगस्त, १९६९ तक खेरवाड़ा तहसील में किन सड़कों की मन्जूरी कब कब हुई व कार्य कब कब शुरू किये गये ?

(३) किन किन सड़कों का पेमेन्ट किस किस तारीख को किया गया तथा कौन सा पेमेन्ट दिन में तथा कौन सा रात्रि में किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि अधिकांश पेमेन्ट दिन में नहीं होकर रात्रि में किया गया है, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों को पैसा नहीं मिला है ?

(५) क्या यह सही है कि अधिकांश पैसा मूंदड़ा ओवरसियर, खेरवाड़ा के समय का बाकी है ? यदि हां, तो इस व्यक्ति के समय का ही इतना पैसा क्यों बाकी रहा है ? यदि नहीं, तो यह बताने की कृपा करें कि खेरवाड़ा तहसील जिला उदयपुर में कौन कौन ओवरसियर उपरोक्त तारीख के अनुसार रहे हैं तथा किसके समय में कितना पैसा बाकी रहा है ?

(६) क्या यह सही है कि खेरवाड़ा तहसील में १ जनवरी, १९६९ से १५ अगस्त, १९६९ तक की अवधि का अधिकांश मजदूरों का पैसा बाकी है ?

उत्तर

(१) सूची (क) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) उपरोक्त सूचना सूची 'क' में उपलब्ध है।

(३) सूची 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है। रात्रि को पेमेन्ट का कोई रेकार्ड नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं श्री मूंदड़ा, ओवरसियर को पेमेन्ट का ११७०) रु० का रहा क्योंकि उनके पास मजदूर ज्यादा थे एवं सड़कें भी ज्यादा थीं। दूसरे ओवरसियर भी रहे उनके नाम जितना बकाया जिस जिस सड़क का रहा उसकी सूची ग' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(६) जी नहीं। केवल ३२५१ रुपये ७० पैसे की मामूली रकम बकाया रही जबकि कुल खर्चा २३,६१,३८० रु० का हुआ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

कोटा व झालावाड़ जिलों की पंचायत समितियां

५८०. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 35

(श्री जुझारसिंह)

(१) कोटा व झालावाड़ जिलों में अलग अलग कितनी पंचायत समितियां हैं और उन पर अलग अलग कितना खर्चा किया जाता है ?

(२) उपरोक्त पंचायत समितियों की अलग अलग निजी आय कितनी कितनी है और किन किन लोगों से ?

(३) इन अलग अलग पंचायत समितियों में कितनी कितनी जीप मोटरें हैं और उन पर गत तीन वर्षों में पेट्रोल, रिपेयर व ड्राइवर आदि पर कितना कितना खर्चा किया गया है ?

(४) इन पंचायत समितियों में से कितनी कितनी में अपने ट्रेक्टर्स हैं और उनके ड्राइवर, डीजल, रिपेयर आदि पर गत तीन वर्षों में कितना कितना खर्चा किया गया है और उनसे क्या क्या आमदनी हुई है ?

उत्तर

(१) कोटा व झालावाड़ जिलों में क्रमशः ११ व ६ पंचायत समितियां हैं। उनमें वर्ष १६६८-६६ में जो खर्चा हुआ उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) वर्ष ६८-६६ में हुई निजी आय का उल्लेख सदन की मेज पर रखी गयी सूचना में कर दिया गया है।

(३) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सदन की मेज पर रखी गयी सूचना में इसका भी उल्लेख कर दिया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थाई समितियों की बैठक

५८१. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि जिला परिषद् सवाई माधोपुर में बनी स्थायी समितियों की मिटिंग जब से बनी हैं तब से आज तक नहीं हुई ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? तथा भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने जा रही है।

उत्तर

(१) चार स्थाई समितियों में से दो समितियों की बैठकें समय समय पर होती रही हैं।

(२) अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण दो स्थाई समितियों की बैठकें नहीं हुई है। अध्यक्ष के चुनाव हेतु कार्यवाही चालू है।

सीकर जिले में राहत कार्यों पर व्यय

५८२. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 36

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(१) सीकर जिले में गत साल अकाल राहत कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों पर पैसे के दुरुपयोग व गबन की गम्भीर शिकायतें जिला अकाल सलाहकार समिति में हुई ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा ?

(३) क्या जो पैसा कार्यो पर खर्च किया गया है वह पी. डब्ल्यू. डी. की रेट के अनुसार सही है ?

उत्तर

(१) सीकर जिले में गत वर्ष अकाल राहत कार्यो पर ६८.१२ लाख रुपया व्यय हुआ ।

(२) जी हां । जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की बैठक में अकाल राहत कार्यो पर पैसे का दुरुपयोग व गबन की शिकायतें विचारार्थ आई थीं । इन शिकायतों की जांच के लिए उप जिलाधीश फतेहपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(३) जो पैसा सहायता कार्यों पर खर्च किया गया है यह सामान्यतया फेमिन की दर के अनुसार सही है ।

शिक्षा शालाओं को छात्रवृत्ति

५८३. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया**(नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बीकानेर जिले में पिछड़ी जाति के छात्रों को किन किन शिक्षा शालाओं में कितनी कितनी छात्रवृत्ति इस वित्तीय वर्ष में दी जा रही है ? संस्था का नाम छात्रों के नाम राशि दर्शाते हुए सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सही है कि यह छात्रवृति समय पर न दी जाकर बहुत देरी से दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? यह राशि किस किस तारीख को दी गई ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) छात्रवृत्ति देरी से स्वीकार करने का मुख्य कारण यह है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से बजट का आवंटन देरी से किया जाता है व समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति के प्रार्थना पत्र समय पर नहीं जाते । शिक्षा विभाग द्वारा देरी कभी नहीं की जाती है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

गर्ल्स मिडिल स्कूल का भवन

५८४. **श्री प्रेम सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि कोटा कलेक्टर ने छीपा बड़ोद गर्ल्स मिडिल स्कूल के भवन बनवाने हेतु कोटा जिले की शूगर चैरिटी फंड नामक संस्था से १५,००० रु. देने का आश्वासन दिया था ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम अभी तक वहां पर उपरोक्त भवन बनवाने हेतु नहीं दी गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह सही है।

एस. टी. सी., ट्रेण्ड अध्यापक

५८५. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने एस. टी. सी. ट्रेंड अध्यापक हैं जो बेरोजगार हैं ? उसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने हैं ?

(२) राजस्थान में कितने व्यक्ति बी. एड. व एम. एड. की ट्रेनिंग प्राप्त कर ट्रेनिंग सेन्टरों से प्रतिवर्ष निकलते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जब राज्य सरकार को बी.एड. व एम.एड. ट्रेंड व्यक्ति मिल जाते हैं तो एस. टी. सी. ट्रेंडों को नहीं लिया जाता है ?

(४) सन् १-१-६७ से १-१-७० तक राजस्थान में कुल कितने अध्यापकों की नव नियुक्तियां की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। प्रत्येक जिले में कितने ट्रेंड अध्यापक प्रार्थियों की लिस्ट में हैं तथा इनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने कितने हैं ?

उत्तर

(१) विभाग में ऐसी सूचियां नहीं साधी जाती हैं।

(२) प्रतिवर्ष लगभग बी० एड० में २००० व एम० एड० में २५ व्यक्ति उत्तीर्ण होते हैं।

(३) ऐसी कोई नियम नहीं है।

(४) यह सूचना एकत्रित करना बहुत कठिन है और इसमें बहुत विलम्ब लगेगा।

तहसील खेरवाड़ा में परिवार नियोजन कार्य

५८६. **श्री विद्यासागर** (खेरवाडा) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में १ अप्रेल १६६४ से ३१ मार्च, १६६६ तक प्रत्येक वर्ष में परिवार नियोजन पर कितना खर्चा किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि खेरवाड़ा तहसील में राजकीय परिवार नियोजन विभाग से कहीं अधिक ईसाई मिशनरी द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के अनुसार डाक्टर बैंक ने अधिक नस बन्दी व अधिक लूप प्रविष्ट किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो यह बतलाने की कृपा करें कि डाक्टर बैंकने कितने व्यक्तियों की नसवन्दी की तथा कितनी महिलाओं को लूप प्रविष्ट कराये ? तथा परिवार नियोजन विभाग ने कितने व्यक्तियों के नसबन्दी की तथा कितनी महिलाओं के लूप प्रविष्ट कराये ?

(श्री विद्यासागर)

(३) क्या यह सही है कि नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति तथा लूप प्रविष्ट कराने वाली महिलाओं को डिस्पेन्सरी या परिवार नियोजन कैम्प तक ले जाने वाले को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों व लूप प्रविष्ट कराने वाली महिलाओं को कितना कितना आर्थिक लाभ दिया गया तथा ले जाने वालों को कितना ?

उत्तर

(१) जिला परिवार नियोजन संस्थान, उदयपुर १ अप्रेल, १६६७ से स्थापित हुआ। इससे पूर्व व्यय का हिसाब प्रत्येक तहसील के ग्रामीण केन्द्रानुसार नहीं रखा जाता था। सन् १६६७-६८ एवं १६६८-६६ में तहसील खेरवाड़ा का खर्चा निम्न प्रकार है :—

१६६७-६८	८,२०६ रुपये
१६६८-६६	६,८७२ रुपये

(२) जी नहीं।

परिवार नियोजन विभाग द्वारा २४७ पुरुष नसबन्दी ओपरेशन किये जबकि डा० बैंक ने केवल ८५ नसबन्दी आपरेशन किये और १२ लूप प्रविष्ट किये। चूंकि परिवार नियोजन केन्द्र ऋषभदेव पर लूप प्रविष्टी हेतु कोई प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं था विभाग द्वारा कोई लूप प्रविष्टी नहीं की गयी। अतः डा० बैंक द्वारा की गयी १२ लूप प्रविष्टी का भुगतान जिला परिवार नियोजन संस्थान से किया गया।

(३) जी हां।

दिसम्बर ६७ से पूर्व नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति को १४) रुपये तथा लूप प्रविष्टी कराने वाली महिला को ५) रु० क्षतिपूर्ति के तथा प्रेरित कर लाने वाले व्यक्ति को क्रमशः २) रु० एवं १) रु० दिया जाता था। अब नसबन्दी कराने वाले को १६) रु० तथा लूप प्रविष्टी कराने वाली महिला को ७) रु० और प्रेरित कर लाने वाले व्यक्ति को ७) रु० तथा २) रु० क्रमशः दिये जाते हैं।

१ मार्च १६६६ तक नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को ४,८०२) रु० तथा डा० बैंक द्वारा लूप प्रविष्टी कराने वाली महिलाओं को ६६) रु० क्षतिपूर्ति के तथा नसबन्दी के लिए प्रेरित कर लाने वाले व्यक्तियों को १०४६) रु० तथा लूप प्रविष्टी के लिये प्रेरित कर लाने वाले व्यक्तियों को १५) रु० दिये गये।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से जो अवशेष समय बचा है दूसरे बिजनेस में उसका उपयोग करता हूं।

(११.४० म. पू.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :—

श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री विजयसिंह, श्री भैरोंसिंह, श्री दौलतराम सारण, श्री मेघराज पंवार व श्री हरजीराम बुरड़क सदस्य, विधान सभा ने भादरा,

(श्री अध्यक्ष)

सांगरिया व चूरू गोलीकाण्ड की जांच के लिए कमीशन नियुक्त होने के पश्चात् भी दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को वहां से न हटाए जाने व उनके द्वारा घायल व्यक्तियों व गवाहों को डराने धमकाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगनत प्रस्ताव की सूचना दी है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें दिनांक २८ मार्च १६७० को कपासन (जिला चितौड़) के पास ग्राम धमाए में जनसंघ के मंत्री श्री बद्रीलाल व्यास जो पंचायत के भी सदस्य हैं, पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला कर घायल कर देने का उल्लेख किया गया है किन्तु फिर भी पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है ।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने कोटा नगर से प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा को उदयपुर हस्तान्तरित करने के संबंध में दी है ।

श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर में नगर-परिषद के हरिजनों द्वारा १५ दिनों से हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इसी आशय का एक प्रस्ताव श्री रामानन्द जी ने दिया था । जो सरकार के २७-३-७० के उत्तर को देखते हुए अस्वीकार कर दिया है ।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इसके अतिरिक्त श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में अग्रिम राशि कुछ जिलों में कम और कुछ जिले में अधिक वसूल करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस पर विचार किया जाय । अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है और आपने उसके संबंध में जानकारी सरकार से लेने के लिए कहा है । मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से आज्ञा प्रसारित हो चुकी है उसको उदयपुर हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में इसलिए आवश्यक है कि जो स्थगन प्रस्ताव है उसकी मन्शा बेकार हो जायेगी अगर वह वहां से शिफ्ट हो जायेगा तो । इसलिए राज्य सरकार को बाध्य किया जाये कि कल ही इसका उत्तर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस संबंध में जानकारी आज ही लेने का प्रयास किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुतसी पाण्डु लिपियां हैं और वह सरकार की नहीं बल्कि प्राईवेट पार्टीज ने, एच० एच० कोटा ने, सब लोगों ने मिलकर दी है ताकि स्कालर्स वहां जाकर रिसर्च कर सकें। अगर राज्य सरकार उसको वहां से शिफ्ट कर देगी तो फिर मेरे स्थगन प्रस्ताव देने का क्या लाभ है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार को संकेत कर देता हूं कि जब तक जानकारी नहीं आ जाये वह सदन की भावनाओं को समझ ले।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस पर आपने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी चाही है। यह सरकार से जानकारी चाहने का प्रश्न नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन लोगों को दबाकर उनसे हलफनामे तस्दीक कराये जा रहे हैं और एक तरफ इन्क्वायरी चल रही है और इक प्रकार की कार्यवाही सरकार द्वारा गोली काण्ड को दबाने के लिए की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई जानकारी का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार से गोली काण्ड की जांच को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं। हमारी बराबर मांग करने के बाद भी उनको वहां से नहीं हटाया जा रहा है और वहां पर सरकारी अधिकारियों ने आतंक फैला रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस बारे में आज ही उत्तर आना चाहिए क्योंकि यह जानकारी का प्रश्न नहीं है। इसमें जानकारी की जरूरत ही क्या है। आज भी वह वहां बैठे हुए हैं। + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य। आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यहां पहले भी प्रश्न को

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उठाया था कि गंगानगर जिले के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि इस गोलीकाण्ड के संबंध में और उसके निर्णयों के बारे में एक और वक्तव्य वह देगें जो कि बहस से पहले ही दे दिया जायेगा। पहले दिन जब मैंने उठाया था तो आपने कहा था कि मुख्य मंत्री जी आ जायेगें तो इस वक्तव्य को देने के लिए उनसे कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : १० तारीख को दे रहे हैं।

श्री रामान्द अग्रवाल : इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिये......

श्री अध्यक्ष : १० को देगें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १० तारीख को बहस हैं। उन्होंने कहा था कि जब जनरल बहस होगी उससे पहले और मामले रह गये हैं और गवर्नमेन्ट के निर्णयों की सूचना मैं सदन को पहले दे दूंगा ! मेरा ख्याल है कि जो निर्णय रह गये हैं गोलीकाण्ड और जांच संबंधी मामले हैं उनका इस संबंध में वक्तव्य हो जाये......

श्री अध्यक्ष : मैं आज जानकारी प्राप्त कर लूंगा मुख्य मंत्री जी से इस संबध में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर नगर-पालिका में संबंध में......

श्री नत्थीसिंह : (भरतपुर) अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामचन्द्र जी ने यह मामला पहले भी उठाया था और दुबारा आया है और वहां पर लोगों को जबरदस्ती हलफनामे तस्दीक कराये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि गोलीकाण्ड की जांच हो तो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। और इस तरह से लोगों के हलफनामे लेते हैं तो बड़ी विषम स्थिति पैदा होती है......

श्री अध्यक्ष : यही रामचन्द्र जी ने कहा है। मैं आपकी भावनाओं को भी समझता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था सर्किट हाउस जोधपुर के बारे में......

श्री रामचन्द्र आर्य : आज ही वक्तव्य होना चाहिए। तथ्यों को दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामचन्द्र आर्य। आप बारबार अवहेलना कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य...और उन लोगों...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र आर्य। आप बारबार अवहेलना कर रहे हैं। माननीय नत्थीसिंह जी ने भी इसी प्रश्न को उठाया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इसलिए अवहेलना कर रहा हूं कि गंगानगर के लोगों के सामने + +

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो माननीय श्री आर्य। स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर

श्री रामचन्द्र आर्य + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

+ + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 42

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की उग्रता का कारण यह है कि कमिशन ने ११ तारीख तक सारे गोलीकाण्ड से संबंधित लोग हैं उनके स्टेटमेंट मांगे हैं और वह स्टेटमेन्ट्स दोनों पक्षों से मांगे हैं। एक तो सरकारी पक्ष से भी मांगे है हलफनामों के रूप में और बाकी लोगों से भी मांगे हैं। यह सही है कि पुलिस अधिकारियों ने और दूसरे अधिकारियों ने जनता के लोगों को धमकाकर हलफनामे लिये हैं। इसलिए जहां तक उग्रता का सवाल है यह उग्रता स्वाभाविक है और इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आप सरकार से कहें कि आज ही कार्यवाही स्थगित होने से पहले यह कहा जाये कि हलफनामे लिये जा रहे हैं उसके संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी आश्वासन मिलना चाहिए कि उन अधिकारियों को आज ही वहां से हटाने के आदेश होने चाहिए क्योंकि कमीशन की कार्यवाही शुरु हो गयी है······

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उस संबध में इस प्रश्न को उस सन्दर्भ में देखा जाना उपयुक्त होगा कि एक इन्क्वायरी है जो चल रही है। इन्क्वायरी के परे भी जो तथ्य माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्तुत किये हैं और आज ही यह स्थगन प्रस्ताव आये में आज ही गृह मंत्री जी या राज्य मंत्री जी जो कोई भी यहां उपस्थित होंगे, नहीं होंगे तब भी बुलाकर इस विषम तथाकथित स्थिति जो बताई है······

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिलकुल सही तथ्य हैं, मैं जाकर आया हूँ······

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य···मैं आपको नाम से पुकारता हूँ मैं बारबार माननीय श्री आर्य से निवेदन कर चुका हूँ। कहीं पर भी तो आप सीमा रखें······

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय श्री आर्य। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य + +

श्री अध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के बैठने पर) अब मैं आपको कुछ कहूँ तो भी उपयुक्त नहीं है। इसको समाप्त करता हूँ कुछ कहना आपके सम्बन्ध में।

मैंने निवेदन किया था कि गृह मंत्री जी से आज ही बात करके जो तथ्यों का उल्लेख स्थगन-प्रस्ताव में किया गया है उस सम्बन्ध में जानकारी और जानकारी के बाद जो कुछ भी निराकरण हो सकता है उस सम्बन्ध में बातचीत करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त जब तक मैं स्थगन-प्रस्ताव पर निर्णय न दूं तब तक मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामानन्दजी का स्थगन-प्रस्ताव ११॥ बजे ही आया है। इसलिए मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ सिवाय इसके कि मैं शीघ्रातिशीघ्र जानकारी इस सम्बन्ध में प्राप्त करूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैने एक स्थगन-प्रस्ताव जोधपुर में सर्किट हाउस में २९ तारीख की रात को एक फ्रान्सिसी विदेशी……

श्री अध्यक्ष : आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जानकारी नहीं आई आज फिर याद दिहानी करूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : वहां पर आतंकपूर्ण……

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। मैं जानकारी के लिए आज याददिहानी कर लेता हूँ और मेरे ख्याल से मैं कल उस पर निर्णय दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, श्री वित्त मंत्री।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपके पास समय के अन्दर आया है। वह इतना जरूरी है कि मैं उसको आज ही उठाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जानी जाहिए।

श्री अध्यक्ष : आज ही तो आपका प्रस्ताव आया है। मैं उसको देख रहा हूं।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि जिस दिन इस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहें तो उसकी पूर्व सूचना उस दिन के लिए दे दें जिस दिन वह प्रश्न उठता है। यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, कि नियमों में आवश्यक है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का गम्भीर प्रश्न है उसे देखते हुए निश्चित रूप से आज ही सदन में लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सदन में लिया जाना चाहिए या नहीं तो उसमें दोनों स्थितियां नियमों के अन्तर्गत है। विशेषाधिकार का प्रश्न सदन की अनुमति से भी लिया जा सकता है विशेषाधिकार समिति को अध्यक्ष भी रूल १६२ में रेफर कर सकता है। मैं बिजिनेस ट्रान्जेक्ट होते समय उसको देख लूंगा और इसी बीच में यहां से जाने से पहले कोई निर्णय ले लूंगा। वित्त मंत्री महोदय।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सिंचाई मंत्री : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (वित्त मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय में निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं—

१. राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे १९६८–६९

२. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे १९६८–६९

३. वर्ष १९६८-६९ के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन।

Page No 44

श्री रामचन्द्र आर्य : सुनाई नहीं देता है बिल्कुल ही ।

श्री अध्यक्ष : उनका तो ख्याल रखें, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री नत्थीसिंह : मंत्री जी मन ही मन में बोल रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उतने ही जोर से ।

श्री नत्थीसिंह : थोड़ा कम ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो आप कोशिश करेंगे तब भी नहीं हो सकेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं —

१. राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे १६६८–६६

२. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे १६६८–६६

३. वर्ष १६६८–६६ के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: भैरोंसिह, राजकीय उपक्रम समिति के पांचवें और छठे प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे ।

श्री भैरोंसिह (चेयरमेन, राजकीय उपक्रम समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के पांचवें प्रतिवेदन का जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की गैर-संचालन आय (नान आपरेशनल रेवेन्यू) से सम्बन्धित है, तथा छठा प्रतिवेदन का जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष १६६६–६७ से सम्बन्धित है) उपस्थापन करता हूं ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री जुझारसिंह, श्री केसरीसिंह हाड़ा, शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के आदिवासी सहरियों की भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में···

श्री देवीदत्त गाड़ियां : माननीय अध्यक्ष जी ···

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, हाउस को सहरिया और गाड़िया पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया अलंकारों से विभूषित हो गये हैं ।

राजस्व मंत्री (**श्री रामकिशोर व्यास**) : अध्यक्ष महोदय, वे शुरू करें इससे पहले एक बात कह दूं ।

श्री भैरोंसिह : इनको सुन लें बाद में कह दें ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी । वे कहे बिना न रहेंगे इसलिए आप बाद में कह दें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किशनगंज-शाहबाद के क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहेंगे ।

Page No 45

श्री देवीदत्त गाडिया : संक्षेप में ही।

...सहरियों के सम्बन्ध में जो भूमि आवंटित की गई थी और उस भूमि पर कई बड़े बड़े जागीरदारों, जमींदारों और धनाढ्य व्यक्तियों ने जिस नाटकीय ढंग से फर्जी कार्यवाही करके कब्जा किया है, उस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है।

माननीय अध्यक्षजी, किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के अन्दर जो भूमि का आवंटन सन् १९५५ से लेकर आज तक हुआ है उसको मैं चार अंगों में लेता हूं। एक तो वह जो प्लाट्स पड़े थे पंचायत समिति का गठन हुआ उस समय इन सहरियों को जिनकी आबादी किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में ५०,००० की है, उनको राज्य सरकार द्वारा निर्धन, अशिक्षित आदिवासियों के जीवन-यापन के लिए और उनके उत्थान के लिए पंचायत समिति के समय में कालोनीज का निर्माण किया गया था—एक कालोनी साबरा, दूसरी खुशालपुरा और तीसरी चंडालिया। माननीय अध्यक्ष, इन कालोनीज के अन्दर एक कालोनी के अन्दर १०० परिवार, दूसरी के अन्दर ८२ परिवार और चंडालिया कालोनी के अन्दर ५० सहरिया परिवारों को बसाने के लिए निर्णय लिया गया था, और इन तीनों कालोनीज के प्रत्येक परिवार को २०-२० बीघा जमीन दी गई। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह जो जमीन सहरियों को दी थी उसका राजस्व विभाग ने एलाटमेंट कर दिया, उसके पट्टे दे दिये गये, लेकिन, अध्यक्षजी, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बन्दोबस्त विभाग के पट्टे दिये जाने के बाद उनका इन्तकाल नहीं खोला। सेटलमेंट विभाग ने उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये। जब इस प्रकार की यह हालत हुई तो स्वर्गीय माणक लालजी वर्मा ने जो सहरियों के लिए मसीहा थे उस कारण से उन्होंने सन् १९६०-६१ में सीताबाड़ी जो प्रमुख धार्मिक स्थान उस शाहबाद के इलाके में है वहां पर सहरियों को एक किसान सम्मेलन बुलाया। उस समय तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री दामोदर लाल व्यास, तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री खाड़ीवालजी और वन मंत्री श्री सम्पत्त रामजी उपस्थित थे, और श्री माणिकलाल जी के प्रयासों से उन्होंने एक स्पेशल कमेटी राज्य सरकार की स्वीकृति से सहरियों को भूमि-आवंटन के लिए बनाई। उस कमेटी में, अध्यक्ष महोदय, उस समय के तत्कालीन तहसीलदार श्री गोरधनसिंह जी झाला थे। उस कमेटी में मैं, अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर वन विभाग के रेंजर, बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी, बी० डी० ओ० शाहबाद पंचायत समिति, और जनता के प्रतिनिधि श्री ब्रह्मदत्तजी शर्मा, श्री गौरीशंकर और श्री बृजमोहन और उस समय के प्रधान श्री सरदार गुरुदीपसिंहजी थे। उस कमेटी ने लगातार प्रयास कर एक हजार सहरियों को १५-२० हजार बीघा भूमि एलाट की। एलाट कर दी और साथ ही साथ पटवारी से उन सहरियों को उनके नाम पट्टा दिला दिया गया। तहसीलदार ने पट्टा दिया और साथ ही साथ पटवारी ने यह लिखा कि इनकी जमीन इनको सुपुर्द कर दी गई, दखल दे दिया गया है इनको। लेकिन उस कमेटी ने जो जमीन एलाट की है तो इस एलाटमेंट में, माननीय अध्यक्षजी, सहरियों को एलाटमेंट जरूर हुआ, पट्टा जरूर दे दिया गया, और पटवारी ने कब्जा दे दिया दिखाया,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस जमीन पर सहरियों का आज कब्जा नहीं है।

(१२ मध्यान्ह)

जबकि १६६०-६१ के अन्दर उन सहरियों को जमीन दी। उस समय सेटिलमेंट हुआ और उस समय वहां के अधिकारी श्री दुलीचंद थे, उन्होंने बड़े बड़े जागीरदारों से मिलकर वह जमीन सहरियों को न देकर बड़े बड़े आदमियों को जैसे सरदार स्वर्णसिंह को जो कि गंगानगर निवासी है जिसकी जमीन गंगानगर में १८ बीघा मौजूद है उन सरदार स्वर्णसिंह और सरदार अमरीकसिंह को उस समय के सेटिलमेंट आफीसर दुलीचन्द, उन्होंने जिन सहरियों को जमीन अलाट की थी वही जो बड़े बड़े धनाढ्य किसान थे, उन से पैसा लेकर इन सहरियो की जमीन को उनके खाते में बांट दी।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मामला गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मामला गंभीर है इसी लिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस लिए उस समय के तहसीलदार घनश्याम और बद्रीनारायण शर्मा के जो शाहबाद में थे, पैसा लेकर उनके खाते में बांट दी। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जो स्पेशल कमेटी थी, जिस स्पेशल कमेटी ने भूमि अलाट की थी वह सारी लिस्ट अपने कब्जे में लें। दूसरी मर्तबा १६६६-६७ के अन्दर दो भूमियों का एलाटमेंट दो तहसीलदारों ने किया है। मैं आप को निवेदन करूंगा कि जिन सहरियों को भूमि अलाट की थी, मैं राजस्व मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि उस समय बी० डी० ओ० चौधरी रणवीरसिंह थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को किस प्रकार सुरेन्द्रसिंह, तेजपालसिंह, विजयपालसिंह को १५ बीघा जमीन अलाट करवाई है। इतना ही नहीं उसी बी० डी० ओ० ने खेरवाड़ा ग्राम में उन्हीं भाइयों के नाम जमीन अलाट-करवाई जो कि सुरेन्द्रसिंह, आनन्दसिंह और शीशपालसिंह के नाम अलाट हुई। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी, से पूछना चाहता हूं कि एक ही जगह छः छः आदमियों को कैसे अलाट हो गई? ६६-६७ में ३३६ बीघा जमीन अलाट हुई है। तहसील शाहबाद की ग्राम पंचायत के पटवारी द्वारा खेरवाड़ा ग्राम पंचायत में सारा फर्जी अलाटमेंट हुआ है। उस समय के तहसीलदार बद्रीनारायण द्वारा फर्जी अलाटमेंट हुआ है। शाहबाद में भीलखेड़ा माल में ऐसे लोगों को अलाटमेंट हुआ है जो कि वहां के रहने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को भूमि अलाट हुई है। वह वहां के वोटर नहीं हैं। शाहबाद ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश चन्द्र गोयल के दस्तखत हैं। सरपच ने दस्तखत किये हैं जबकि उन का जुरिस्डिकस्न नहीं है। शाहाबाद के सरपंच ने अपने भाइयों के नाम अलाटमेंट करवाये हैं। फर्जी अलाटमेंट करवाये हैं उन्होंने जो वहां के जो प्रधान हैं, सरपंच हैं। ३४५ ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न एलाटमेंट हुए हैं, जो पहले ही भूमि के मालिक हैं, जिनके पास भूमि है। जब कि यह कानून है कि जिनके पास भूमि है उन को अलाटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन रमेश चन्द्र गोधा पुत्र

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्यारे लाल, योगेश चन्द्र पुत्र भगवती प्रसाद, बद्रीलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल इस प्रकार से अपने परिवार वालों को फर्जी अलाटमेंट करवाये हैं। इस प्रकार से पटवारी फोरेस्ट वाले, अस्पताल वाले हैं, उन्होंने सब ने फर्जी अलाटमेंट करवा लिये हैं ? यह कोई भी भूमिहीन नहीं हैं। अलाटमेंट कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। अलाटमेंट कमेटी के रूल्स का ध्यान नहीं रखा। ६६-६७ में और ६७-६८ में १० हजार बीघा भूमि का अलाटमेंट हुआ है। माननीय माणिकलाल जी वर्मा ने जो भूमि दिलवाई थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार से प्रमुख जागीरदार सरदार स्वर्णसिंह ने तहसीलदार से मिलकर खाते मंडवा दी। इतना ही नहीं सेटिलमेंट के नाम पर भूमि एलाटमेंट होती है। तो ये मध्य प्रदेश से आदमियों को बुला लेते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं यह कहूंगा कि सरदार स्वर्णसिंह ने २० हजार बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसने दोनों तहसीलों में तहसीलदारों से मिलकर, ए० डी० एम० से मिल कर यह करवाया है। ये सहरियों की जवान लड़कियों को उड़ाकर उनका अपहरण करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी समाप्त करता हूं। तहसीलदार और एस० डी० ओ० जे० पी० श्रीवास्तव ने पहले वाले जो जागीरदार थे, उस भूमि को वापिस जागीरदारों के खाते मांड दी। जो ट्रेस पासर्स थे उनको जमीन नहीं दी। उनको निकाल दिया गया है। सरदार स्वर्णसिंह ने २० हजार बीघा भूमि हथिया ली है।

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय,

एक मिनिट निवेदन और करना चाहूंगा। ६६–६७ में रिक्वीजिट जब किया था, वह क्या हुआ ? ६६–६७ और ६७–६८ में जो शाहबाद में तहसीलदार था वह आज कलेक्टर का रीडर बना हुआ है ! जो बड़े बड़े आदमियों को झूठे अलाटमेंट कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, तहसील शाहबाद और किशनगंज में सहरियों को जो भूमि आवंटित की गई है उस सम्बन्ध में आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। मैं उसमें निवेदन करना चाहूँ कि तहसील किशनगंज और शाहबाद में सहरियों को भूमि दी गई है, उनको कब्जे भी दिये गये हैं और पट्टे भी दिये गये हैं और सेटलमेंट में उनको खातेदारी में उनके नाम भी लिखें हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं जिनमें नहीं हों। मेरे पास

Page No 48

(श्री रामकिशोर व्यास)

कुछ केसेज की शिकायत आई हैं कि उनको जो भूमि दी गई, उसमें आवंटन में कुछ अनियमिततायें भी हुई हैं और उसके बाद जो भूमि उनको दी गई वह उनकी मुन्तकिल कर दी और कुछ लोगों ने भूमि लेली है और कायदे के अनुसार वह रिकार्ड नहीं हुई है और काफी जमीन दूसरे लोगों के पास चली गई है उनकी रजामन्दी से। ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं, यह सारी बातें सोच कर यह निर्णय किया है कि इसकी जांच हो जाय। आपने भी इस प्रश्न को काफी अहमियत दी है और इसको गम्भीर बताया है, इसलिए इसकी गम्भीरता को लेते हुए, मानते हुए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि किशनगंज और शाहबाद में जो आवंटन हुआ है उसकी पूरी तहकीकात हो जाय। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब कोटा जिले की समस्या सामने आयी थी उस समय यह बात भी सामने आई थी और उसी वक्त यह फैसला कर लिया था और असेम्बली में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी जांच के लिए रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य श्री रामसिंह को इस काम के लिए नियुक्त किया है। वह सारे मामले की तहकीकात करेंगे और वहां वह आठ तारीख को पहुंच जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौनसी ८ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यही आठ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह गलत होगा। हमने इस संबन्ध में पहले भी इतला दी थी।

श्री अध्यक्ष : वह बात कर लेंगे तारीख की आपकी सुविधा से।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जल्दी चाहते हैं तो जल्दी की बात हो सकती है। आप देरी से चाहते हैं, देरी से जांच कराना चाहते हैं तो देरी से करा देंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय यह सत्र के बाद होनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास: मुझे इन्कार नहीं है। आप देरी चाहेंगे तो देरी से करा देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम देरी से नहीं चाहते, हमने इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा था।

श्री अध्यक्ष : हो गया, तारीख का सुविधाजनक हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जैसा चाहते हैं वैसा कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब इस सम्बन्ध में फैसला जल्दी हो गया था।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो आज तक जांच क्यों नहीं हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, दस पन्द्रह दिन पहले सूचना पड़ती है, इतला देनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें अहसान क्या कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहां दी है इत्तला।

Page No 49

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मै एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ······

श्री अध्यक्ष : **अब प्रश्न क्या होता है।**

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े जमींदारों ने जमीन पर कब्जा रखने के लिए खाते बनवा लिए हैं, तहसील दार से बनवा लिए हैं और वह न्यायालय से जाकर स्टे ले आते हैं। उसके बारे में क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : पूरी तहकीकात के लिए कह दिया ।

श्री रामकिशोरव्यास : पूरी तहकीकात करायेंगे।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, १९७०। श्री उद्योग मन्त्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (राव श्री नारायण सिंह के खड़े होने पर) आप उद्योग मन्त्री नहीं हैं, आप तो जंगल मन्त्री हैं।

श्री विजय सिंह : यह पोर्टफोलियो चेंज हो गया क्या ?

राव श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, में राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल । यह क्या है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, १९७०।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय यह बता दें कि यह है क्या, काहे के बारे में है ?

श्री अध्यक्ष : खैर, में इसको रख दूं। अभी तो इजाजत का प्रश्न है। (राव श्री नारायण सिंह के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राव श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, में राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक १९७२ को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री ! राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९७०।

श्री रामकिशोर व्यास : (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सरक्यूलेट नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : हो गया था ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करता हूँ।

विशेषाधिकार प्रस्तावों संबंधी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्ताव रखा था विशेषाधिकार का, पहले उस सम्बन्ध में मैं सदन को अवगत करा दूं।

यह विशेषाधिकार का प्रश्न साप्ताहिक घुमक्कड़ से सम्बन्धित है जिसकी प्रति दिनांक २-४-७० में उन्होंने कुछ समाचारों का उल्लेख किया है, जिसका शीर्षक है- 'घुमक्कड़राम की डायरी' रिश्वत नेता व विधायक ले और बदनाम मन्त्री हों'' ''मन्त्री आंख खोले'' ''रोला कौन मचाते हैं : वे अपना गौरव देखें'' आदि आदि समाचार उसमें प्रकाशित किये हैं । मैंने इस प्रश्न को जो उल्लेख उन्होंने समाचारों का जिस स्थिति में किया है, प्राइमा फेसी एवीडेंस के तौर पर जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न बनने का है, उसको माना है और मैं उक्त प्रश्न को अनुसंधान और जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को हमारे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम १६२ के अन्तर्गत सुपुर्द करता हूँ-अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिए और यह कार्यवाही विशेषाधिकार की सम्पादक, प्रकाशक और प्रिन्टर तीनों के विरुद्ध की जायेगी । इन समाचारों की स्थिति को देखते हुए मैंने यह भी उपयुक्त समझा है कि श्री सोहनलाल तलवार, जो इसके सम्पादक हैं, का प्रेस गैलेरी का पास भी विथड्रा किया जाय ।

राजस्थान आवासन बोर्ड, विधेयक, १९७० । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो मर्यादा भंग के प्रस्ताव मैंने काफी दिन पूर्व प्रस्तुत किये थे, एक का सम्बन्ध तो श्री अमृतलाल यादव, यातायात मंत्री से है, उनके द्वारा पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लिए जाने के सम्बन्ध में जो आरोप श्री मोहनलाल मोदी ने लगाया था—उसके सम्बन्ध में मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । दूसरा श्री मनफूल सिंह, पशुपालन मंत्री के विरुद्ध मर्यादा भंग का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है । मैं निवेदन करूंगा कि श्री अमृतलाल यादव और श्री मनफूल सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत दोनों विशेषाधिकार प्रस्तावों में जो अंकित तथ्य हैं वह बहुत गम्भीर हैं । एक मर्यादा भंग का प्रस्ताव श्री मनफूल सिंह जी के सम्बन्ध में है और दूसरा यातायात मंत्री श्री अमृतलाल यादव के विरुद्ध जो पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लिये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल मोदी द्वारा आरोप लगाया गया था उसका निराकरण नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था । इन दोनों विशेषाधिकार के प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह दोनों प्रस्ताव तथ्यों से सम्बन्धित हैं, जो माननीय सदस्य ने उठाये हैं । इसलिए मैं उनकी जानकारी

(श्री अध्यक्ष)

प्राप्त कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि थोड़े ही समय में जानकारी प्राप्त करके जहां तक तथ्यों का सवाल है, मैं संतुष्ट हो जाऊं, उसके बाद में उन पर निर्णय ले लूंगा ।

श्री रावत राम : अध्यक्ष महोदय...

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैंने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपका एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है, श्री विजय सिंह जी का, उसमें भी वही तथ्य हैं जिनका उल्लेख माननीय श्री सतीशचन्द्र जी ने अभी किया है ।

श्री रावत राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था, छापर नगरपालिका के बारे में स्वायत शासन मंत्री को आदेश दिया था।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक रा. आवासन बोर्ड अध्यादेश १९७० संबंधी परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : वह स्टेज अब चली गई । अब मैं विधेयक पर आ रहा हूँ ।

राजस्थान आवासन बोर्ड, विधेयक, १९७० । श्री रामकिशन । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल । श्री जयनारायण सालोदिया । श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा । श्री भगवान दास शास्त्री । श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य विधान सभा परिनियम संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदरणीय अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष : आज यह नया शब्द का प्रयोग हो गया ।

श्री विजय सिंह : जब से आपने उनको आदरणीय बना दिया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश १९७० को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में एक परिनियत संकल्प की सूचना मैंने पेश की है। मैं यह संकल्प निम्न शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक १२ फरवरी १९७० को प्रख्यापित राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ३ सन् १९७०) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है मैं इस सम्बन्ध में एक विशेष अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ कि इस मेरे संकल्प पर बोलने की अनुमति से माननीय श्री भैरों सिंह मेरे स्थान पर बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरों सिंह जी बोल सकेंगे और माननीय सतीशचन्द्र जी अग्रवाल मेरे स्थान पर आ जायेंगे ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा उठाई जा रही है उस विधेयक के महत्व को ध्यान में रखते हुए ...

(१२ २० म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

मैं इस सदन के समक्ष यह निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी किया है। सभापति महोदय, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान में राज्य सरकार को मिला है—इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में जब कि विधान का सत्र नही चल रहा हो, अध्यादेश जारी कर सकती है। 'लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ने अध्यादेश जारी करना एक इस परिपाटी के रूप में आरम्भ किया है जिस परिपाटी का सम्बन्ध न तो कोई विशेष परिस्थिति से है, न कोई विशेष विपत्ति से है और न कोई जन हित से। लेकिन इन सब चीजों की आड़ में राज्य सरकार अध्यादेश जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग कर अपने लोगों का पोषण किस प्रकार किया जा सकता है, केवल इस बात की व्यवस्था करती है। इस सदन को जानकारी होगी कि २६ जनवरी को हमारे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई थी, जिस दिन सदन की कार्यवाही स्थगित हुई उस दिन सभापति महोदय, सदन के अधिकांश सदस्यों को इस बात की जानकारी थी कि विधान सभा का अगला सत्र २२ फरवरी से आरम्भ होगा। वह २२ फरवरी से आरम्भ न होकर ६ मार्च से आरम्भ हुआ। २६ जनवरी से ६ मार्च की अवधि में मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि राजस्थान में कोई संकट कालीन स्थिति पैदा नही हुई, न राजस्थान में किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति हमारे सामने आई। अगर कोई संकटकालीन स्थिति होती या विशेष परिस्थितियां हमारे सामने आती तो मैं निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि उनका उल्लेख बजट में राज्य सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता। पर सारे बजट पर वाद विवाद होने के पश्चात् मैं ऐसा कह कर चलता हूँ कि न तो राज्य सरकार की ओर से और न इस विभाग के मंत्री की ओर से इस बात की सदन को जानकारी दी गई कि राजस्थान में ऐसी कोई संकटकालीन परिस्थिति या किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके लिये कि अध्यादेश जारी करने की नितान्त आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि इस प्रकार को साधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार अध्यादेश जारी कर एक तरफ लैजिस्लेटिव के पावर्स, लेजिस्लेचर के जो प्रिविलेजेज हैं, उनके ऊपर एन्क्रोचमेंट करना चाहती है। सरकार यह कह कर इस सदन को तसल्ली दिला सकती है कि यह लेजिलेचर्स के प्रिविलेजेज का किसी प्रकार का एन्क्रोचमेंन्ट नहीं है। पर यदि वास्तव में इस अध्यादेश की भूमिका को देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा कि सरकार ने यह लेजिस्लेचर्स के प्रिविलेजेज के ऊपर एक भयंकर एन्क्रोचमेंट किया है। आर्डिनेन्स जारी करने के बाद आर्डिनेन्स के इम्प्लिमेन्टेशन के लिये, रूल्स बनाने की आवश्यकता है, इस गठित किये गये बोर्ड के द्वारा रेगुलेशन्स के बनाने की आवश्यकता है पर सरकार ने न तो रूल्स ही बनाये हैं और न इस हाउसिंग बोर्ड ने रेगुलेशन्स का निर्माण किया है। और इस प्रकार रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स के अभाव में न तो यह हाउसिंग बोर्ड फंक्शन ही कर सकता है और न इस एक्ट या इम्प्लिमेन्टेशन ही हो सकता है। तो ऐसी हालत में यह निश्चित है कि इस एक्ट वा आर्डिनेन्स के माध्यम से जिस हाउसिंग प्रोब्लेम को हम सोल्व करना

Page No 53

(श्री भैरों सिंह)

चाहते हैं, उसको हम सोल्व नही कर सकते। इस आर्डिनेन्स को ला कर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, न तो हाउसिंग बोर्ड के फाइनेन्सेज की व्यवस्था हुई है और न बोर्ड ही हाउसिंग प्रोब्लेम को सोल्व करने की गरज से जिस भूमि का अवाप्त किया जाना आवश्यक था, उस भूमि को ही अवाप्त कर सका है और न इस हाउसिंग बोर्ड की किसी प्रकार की स्कीम्स ही बनाई गई हैं। इन सब बातों के अभाव में यह बात अपने आप में स्पष्ट होती है कि इस आर्डिनेन्स के नाते आज तक हम जो कार्यवाही आर्डिनेन्स के रूप में करना चाहते थे, वह नहीं हुई है।

सभापति महोदय, इस आर्डिनेन्स में इस बात की व्यवस्था है कि कोई इमर्जेन्सी अराइज हो जाय तो उसको मीट करने के लिये रेकरिंग और नौन रेकरिंग के नाम पर बोर्ड खर्चा कर सकता है। रेगरिंग एक्स्पेन्सेज के नाम पर २५,००० और नान रेकरिंग "एक्स्पेन्सेज के नाम पर १,००,००० रुपये तक खर्च कर सकता है। पर इन पिछले दिनों में क्या किसी प्रकार का राजस्थान में तूफान आया, क्या मकान गिरें इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में आई हैं ? न बिजली पड़ी और न भूकम्प ही आया, यह कुछ नहीं हुआ। आखिर बिजली पड़ी हैं तो वह सरकार की बुद्धि पर अवश्य पड़ी है, सरकार की पक्षपात करने की नीति पर तो बिजली नहीं पड़ी पर उसको चरम सीमा पर लाने के लिये उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाकर सरकार ने अपनी पक्षपात की नीति का प्रदर्शन किया है। हां बिजली राजस्थान के कर दाताओं पर अवश्य गिरी है।

ऐसी स्थिति में आर्डिनेन्स को जारी करना, जहां २० दिन के बाद ही विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाने वाला हो, ऐसा भी नहीं कि विधान सभा का अधिवेशन कोई ६ महिने बाद बुलाया जायगा क्योंकि मंत्रीजी को और बातों का ज्ञान हो न हो पर इतना ज्ञान तो अवश्य होगा कि राजस्थान विधान सभा का अगला सत्र बजट अधिवेशन है, उस बजट अधिवेशन में बजट को पास करना आवश्यक है, ३१ मार्च तक राजस्थान का बजट पास होना आवश्यक है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन स्थगित किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता।

ऐसी परिस्थिति में जब कोई रूल्स नहीं बने, बोर्ड द्वारा किसी प्रकार के रेगुलेशन्स का निर्माण नहीं किया गया. हाउसिंग प्रोब्लेम को सोल्व करने के लिये कोई लैंड एक्वायर नहीं की गई, बोर्ड के लिये फाइनेन्सेज की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई, बोर्ड का फंक्शन नहीं हुआ, विधान सभा का अधिवेशन होने ही वाला था, ऐसी हालत में राज्य सरकार आर्डिनेन्स जारी करती है तो यह लेजिस्लेचर्स के प्रिविलेजेज पर सीधा एन्क्रोंचमेंट है। सरकार ने यह कानून बना दिया, सरकार जिसको चाहेगी उसको इस बोर्ड का चैयरमैन बना दिया, जिसको चाहा उसको इस बोर्ड का सदस्य बना दिया, जिसको चाहा हाउसिंग कमिश्नर बना देगी पर यह सारी स्थिति कुछ लोगों को पैट्रोनाइज करने के लिये की है। मंत्रीमहोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यदि यह विधेयक इस सदन में लाया जाकर कानून के रूप में पास किया जाता तो क्या हाउसिंग बोर्ड नहीं बन सकता था ? क्या उस हालत में इस हाउसिंग बोर्ड

Page No 54

(श्री भैरोंसिंह)

की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होती थी ? यदि सदन को विश्वास में लेते तो सदन की और कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इसे पारित किया जा सकता था। लेकिन आपने देखा कि संविधान के अनुसार आपको इस प्रकार के आर्डीनेन्स को जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं और आपने यह आर्डीनेन्स जारी कर दिया। मैं एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे हम विरोधी दल में बैठे हों और आप उधर बैठे हों लेकिन इस विधान सभा के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम केवल विरोधी दल का ही नहीं है, विधान सभा के अधिकारों की रक्षा के लिये कांग्रेस के सदस्य भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितने कि विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य। आज हमारे अधिकारों का इन्क्रोचमेंट आर्डिनेन्स के आधार पर किया जा रहा है, वह कल और नाम पर किया जा सकता है। आज आर्डिनेन्स जारी करके राज्य सरकार ने श्री द्वारकादास पुरोहित को चेअरमेन बना दिया और मान लो यह सदन अगर यह तय कर ले कि हम इस आर्डिनेन्स को पारित नहीं करते, इस बिल को एक्ट का रूप नहीं देते तो द्वारकादास जी की क्या स्थिति होगी ? इस बोर्ड के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी क्या स्थिति होगी, सरकार के प्रति लोगों के दिलों में क्या आस्था रहेगी। लेकिन आपको यह जोम है कि आप बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करवा लेंगे, आज सदन चाहे तो इसे रद्द नहीं कर सकता। और गैरसरकारी सदस्य ही इसका चेअरमेन हो इसको चेंज नहीं करे, इस बोर्ड के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, और कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बोर्ड के कान्सटीट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं ला सकते, जिस व्यक्ति को आपने अपोइन्ट किया है, उसको डिस्एप्रूव नहीं कर सकते तो ऐसा कहना पड़ेगा कि राज्य सरकार ने अपनी इच्छाओं को इस सदन पर थोपा है। जब इच्छाओं को थोपने का सवाल आता है तो निश्चत रूप से मान्यता बनती है कि सरकार का लोकतांत्रिक परपराओं में और सदन के विशेषाधिकारों में विश्वास नहीं है। सरकार अपने बहुमत के आधार पर दोनों पर एन्क्रोचमेंट करती जा रही है। यह सही है कि राजस्थान में नहीं सारे हिन्दुस्तान में आज तक बहुत ही आवास की समस्या है। पिछले दिनों सारे देश का सर्वे किया गया था, उसके आधार पर भारत की ५२ करोड़ जनसख्या में से ८.३७ लाख हाउसिंग यूनिट्स की कमी है। आप अंदाजा लगायें कि जहां ५२ करोड़ जनसंख्या हो और ८.३७ लाख मकानों की कमी हों, उसमें १.२० लाख मकानों की कमी केवल अर्बन क्षेत्रों में हो तो यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण है, इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। यह समस्या एक दिन पैदा नहीं हुई, यह समस्या १९६७ के बाद पैदा नहीं हुई, १९५७ के बाद पैदा नहीं हुई। यह सरकार का डिफेक्टिव प्लानिंग था, सरकार ने आवास समस्या को कभी समझा नहीं कि इस समस्या का निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर चिंतन नहीं किया। इस समस्या को मीट करने के लिए जो भारत सरकार से पैसा मिला, उसका सदुपयोग नहीं किया बल्कि उस पैसे को अन्य कार्यों में उपयोग करके इस समस्या को ज्यादा एग्रीवेट करने की चेष्टा की है। समस्या तो बरसों से चली आ रही है, उसको आर्डिनेन्स से मीट करने की बात किसी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार से होती तो इस बिल में इस बात का प्रावधान होता कि सरकार ने अमुक संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया है, अमुक सेठ या साहूकार की संपत्ति अपने अधिकार में ली है या जिन सेठों ने बड़े-बड़े बाग खड़े कर रखे हैं, उन बागों को अपने अधिकार में लेकर झुग्गी झोपड़ी वालों को बसाने की चेष्टा की है या भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था की होती......

श्री रामान्द अग्रवाल : या महाराजाओं को......

श्री भैरोंसिंह : हां, हां। महाराजा की संपत्ति हो, सेठ साहूकार की हो, रामानंदजी की संपत्ति हो, मेरी संपत्ति हो उस संपत्ति को लेकर उसके माध्मम से राज्य सरकार इस आवास समस्या को मीट करने के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को बसायेगी, उस जमीन की एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स में समय लगेगा, उसमें अवार्ड देने में वर्ष लग सकते हैं, उस संपत्ति को लेकर समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो समझ में आता।

सभापति महोदय, यदि सरकार इस अध्यादेश के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करती कि जिन लोगों के पास अधिक मकान हैं, पर वह लोग जिनके पास छाया के लिए स्थान नहीं है, उन लोगों को उनमें रखने की व्यवस्था करते रहे हैं और चूंकि इस प्रकार का कोई कानून नहीं है इसलिए हम अध्यादेश जारी कर रहे हैं, तो समझ में आता। या राजस्थान में जहां कच्ची बस्तियां व झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके लिए कोई रिहाइशी मकान लेने हैं, कृषि भूमि को कन्वर्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई है तो समझ में आता या उसके लिए वित्तीय व्यवस्था की जायगी उसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता तो समझ में आता लेकिन अध्यादेश जारी किया श्री द्वारकादास पुरोहित और दूसरा श्री के. एल. जैन के लिए। श्री के. एल. जैन के लिए अध्यादेश जारी करने की जरूरत नहीं है, उनकी संविधान में कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। आज वह राजस्थान के डीफैक्टो मुख्यमंत्री हैं, उस आदमी को चाहे अध्यादेश के जरिए हाऊसिंग बोर्ड का सदस्य बनायें या किसी और गवर्नमेंट नामीनेटेड बोडी में मेम्बर बनाना चाहें, आज राजस्थान के शासन की चोटी, दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री ने श्री के. एल. जैन के हाथ में दे रखी है और उसके माध्यम से साहू जैन के हाथ में राज्य सरकार की चोटी है। उनको मेम्बर बनाना, श्री द्वारकादास को चेयरमैन बनाना, केवल इन दो बातों से यदि राजस्थान की आवास समस्या का समाधान होता है तो भीखाभाई, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप अध्यादेश के महत्व को नहीं समझ सकें और आप खुद मानकर चलते हैं कि इस अध्यादेश को जारी करने से या श्री के. एल. जैन को बोर्ड का मेम्बर नामीमेट करने से या श्री द्वारकादास पुरोहित को जो कई वर्षों से चुनाव में हार रहे हैं, उनको रीहैबिलिटेट करने से आवास समस्या सोल्व हो जायगी, तो यह स्वप्न जैसी बात है। इससे तो आपने एक आदमी या दो आदमियों का घर बना दिया है। यह सही है कि श्री द्वारकादास बेकार घूम रहे थे, किसी प्रकार का धंधा नहीं था, श्री मथुरादास माथुर के लिए जोधपुर में हेडेक था, वह तो नवलिजीन से दूर हो सकता था, उसकी जगह आप अध्यादेश के द्वारा हेडेक दूर करें, मुझे आपत्ति नहीं लेकिन उस चीज को आपने छिपाकर श्री के. एल.

Page No 56

(श्री भैरोंसिंह)

जैन को हाऊसिंग बोर्ड का मेम्बर बनाया ताकि वह अपने नाम, अपने घर वालों के नाम ज्यादा से ज्यादा भूमि अपने अधिकार में ले, इस उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस के. एल. जैन ने राजस्थान में कई प्लाट्स लिए हैं। कुछ दिन पहले, भीखाभाई आप जानते हैं, यू. आई. टी. में एक एप्रूव्ड स्कीम में जो प्लाट्स थे, वह सब एलाट हो गए लेकिन कम्यूनिटी पर्पज के लिए जो रिजर्व्ड प्लान था, उसके अन्दर उसकी मां के नाम से प्लाट एलाट किया गया है। भीखाभाई भी उसमें साझेदार हैं। प्लाट्स के बारे में भीखाभाई कितनी धांधली करते हैं, आगे जब चर्चा होगी तो बोलूंगा कि राजस्थान के किस किस मंत्री ने यू. आई. टी. के माध्यम से अपने और रिश्तेदारों के नाम पर, फर्जी कागज पेश कर झूठे हलफनामे पेश कर, किस प्रकार जमीन लेकर बेची हैं और मुनाफा कमाया है। मैं मोटे रूप से कहना चाहता हूं कि इस मामले में किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है तो वह भीखाभाई हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वह किसी से कम नहीं रहे हैं डिटेल्स नहीं दूंगा......

श्री वृद्धिचन्द जैन: यह तो सही नहीं है।

श्री भीखाभाई : आप एक भी बता दें।

श्री भैरोंसिंह : आपकी लड़की के नाम से प्लाट्स हैं?

श्री भीखाभाई : कमला के नाम से एक प्लाट है, १९६७ का है, १९६९ में प्रायरिटी का और उसके बाद में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स, जब गांधी जयंती के नाम--

श्री भैरोंसिंह : कितने प्लाट्स हो गए?

श्री भीखाभाई : एक प्लाट।

श्री रामनंद अग्रवाल : कितने प्लाट्स का टारगेट है।

श्री भीखाभाई : टारगेट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रूपारामपुरा में कितने प्लाट्स हैं?

श्री भीखाभाई : रूपारामपुरा में प्लाट्स नहीं हैं, अभी तक एलाट नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : एप्लीकेशन है?

श्री भीखाभाई : बार बार उस बात को रिपीट क्यों करते हैं? इन्कवायरी हो गई अभी तक किसी को कब्जा नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि कब्जा नहीं मिला है। इन्कवायरी कराने में आप बड़े होशियार हैं।

श्री भीखाभाई : आपने जो कुछ कहा, अच्छा कहा।

श्री भैरोंसिंह : आप खामोश है तो खामोशी को मुझे तोड़ना पड़ेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आप २-४ उदाहरण दें। जनरल बात कहकर, किसी को बदनाम करना, वाजिब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं, वह बिल्कुल वाजिब है।

श्री सभापति : बैठे बैठे न बोलें।

Page No 57

श्री भैरोंसिंह : ऐसी हालत में निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह प्लाट्स एलाटमेंट और यू. आई. टी. के माध्यम से एलाटमेंट, इसमें कितनी धांधली होती है, आज जब सदन में हम चर्चा करेगें उस समय आपको जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों ने किस प्रकार से प्लाट्स का एलाटमेंट अपने नाम से करवाया।

श्री रामानंद अग्रवाल : समय बच जायगा यदि मंत्री महोदय एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट मंत्रियों का दे दें कि किस किस के कितने प्लाट्स हैं तो आसानी होगी।

श्री भीखाभाई : यह हाऊसिंग बोर्ड की बात है, माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है, वह······

श्री भैरोंसिंह : वह दे नहीं रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा था, आज कोई अधिकारी आपसे मिलने गया था, मिलने की कोशिश की आप नहीं मिले। यह तो विधेयक की बात है, उसका तो इस विधेयक के साथ बहुत कम संबंध है।

श्री भैरोंसिंह : बातें तो वहीं आयेंगी। इसको प्रश्न के माध्यम से चाहता था कि अगर जानकारी पर सरकारी मोहर लग जाये और उस मोहर के बाद में सदन में प्रस्तुत करूं इसलिए पांच दिनों के बाद प्रश्न पूछा है। उसको स्थगित कराया अध्यक्ष महोदय, ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र उत्तर मिल जावेगा। रात तक इसकी मैं चेष्टा कर रहा था कि प्रश्न का उत्तर मिले। सुबह भी प्रयत्न किया। भीखाभाई जी कह रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर तैयार है। वे सारी डिटेल्स जो मुंह से कहना चाहता था अब उनको कागजों के आधार पर सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा।

सभापति महोदम, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आर्डिनेन के जरिये चूंकि इनको यह आभास हुआ था कि केन्द्रीय सरकार ने एक हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की है। दो करोड़ रुपये का रिवोल्विंग फण्ड इसके लिए रखा है। इसलिए ३१ मार्च से पहले आर्डिनेण्स नहीं इश्यू किया या एक्ट नहीं बनाया तो पैसा नहीं मिलेगा। माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि रिवोल्विंग फण्ड लेप्स नहीं होने वाला है। चार स्टेट्स के सिवाय बाकी में बोर्ड नहीं बना है। इस रिवोल्विंग फण्ड को लेने के लिए ३१ मार्च से पहले आर्डिनेन्स या एक्ट बन जावेगा जब ही पैसा मिल सकेगा और बाद में नहीं मिलेगा यदि वह भी माना जाय उनकी दृष्टि से तो वह अवधि भी समाप्त हो गयी है। आर्डिनेन्स के जरिये हाउसिंग बोर्ड बन गया और एक्ट नहीं बनेगा तब तक रिवोल्विंग फण्ड से पैसा मिल जाय अब तक एक पैसा नहीं मिला है। वह अवधि भी निकल गई। जो रिवोल्विंग फन्ड के लिए आर्डिनेन्स निकालना चाहते थे वह परपज भी सर्व नहीं हुआ।

सभापति महोदय, हर प्रश्न पर सरकार नोमिनेटेड बोर्ड बनाने की पद्धति को लेकर चल रही है। हाउसिंग बोर्ड बना। दूसरे रूप में इसको लेना चाहूँगा कि डुप्लीकेट वर्क कितना बढ़ा। अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट बना हुआ है, म्युनिसिपल एक्ट बना हुआ है पंचायत एक्ट बना हुआ है और

(श्री भैरोंसिंह)

जो परपज हाउसिंग बोर्ड के लिए रखा हुआ है वही परपज उनके लिए भी है। म्युनिसिपैलिटी की किसी स्कीम को ले सकते हैं गली और सफाई के लिऐ रिजर्वे-शन कर सकते हैं, कॉलोनी के लिए भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है और दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड है। दोनों के एक्शन एक हैं, ड्यूटीज एक हैं और दोनों के फन्कशन्स भी एक हैं। दोनों के फन्कशन्स जब एक है तो क्या आपने इस बात का फैसला कर लिया है कि राजस्थान के जितने अरबन इम्प्रूव-मेन्ट ट्रस्ट एक्ट है वे सब समाप्त हो जावेंगे? अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में प्लाट्स का अलाटमेन्ट किया जा सकता है। वह हाउ-सिंग बोर्ड में नहीं रखा है। प्लाट के अलामेन्ट के लिए यू. आई. टी. की व्यवस्था करें और हाउसिंग के निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था करें ये डुप्लीकेट चीज होगी जिससे काम में डुप्लीकेशन होगा। जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से न तो हाउसिंग का निर्माण होगा और न कोलोनीज बसेगी और न ही हाउसिंग प्रोब्लम सोल्व हो सकेगी।

नोमिनेशन की जो प्रथा है उसके संबंध में मैं जयपुर से ही आरम्भ करता हूँ। बालचन्दजी वैद्य यू. आई. टी के चेयरमेन हैं, किस्मतराय इसके मेम्बर हैं, अब्दुलसमद बाजेवाला इसके मेम्बर हैं और हीरालाल घाधिया इसके मेम्बर हैं। जयपुर शहर में चारों सीटें कांग्रेस हारी है। और स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के लोग जीते हैं। नगर पालिका के चुनावों में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। जयपुर की हाउसिंग की प्रोब्लम को आप इन चार व्यक्तियों के द्वारा हल कराना चाहते हैं। ये चार व्यक्ति है कांग्रेस के। बालचन्द जी वैद जो इसके चेयरमेन हैं ये वे ही बालचन्दजी वैद्य हैं जिनको जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने छः हजार वोटों से हराया था। यह भी बात नहीं है कि बालचन्दजी वैद्य कोई टेक्निकल आदमी हो, हाउसिंग का उनको ज्ञान हो और डेवलपमेन्ट में कोई अथोरिटी हो। लेकिन यह कुछ नहीं। वे चुनाव में हार गये। उनको रिहेबिलिटेट करना था उनको यु. आई. टी. का चेयरमेन बना दिया। उनको लेकर आप जयपुर की प्रोब्लेम को सोल्व करना चाहते हैं। पहले आपने सरदार मल सिंधी को बनाया। जो चुनाव में हार गये उनको जयपुर के डेवलपमेन्ट का काम दिया जाय, असेम्बली के निर्वाचन में जो हार गये उनको जयपुर के विकास का काम दिया जाय इससे या तो आपका लोकतान्त्रिक मान्यताओं में विश्वास नहीं है, विश्वास है तो आप आचरण नहीं करते। राजस्थान में जहां जहां पर भी कांग्रेस हारी है उन हारे हुए लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाय और प्रोटेक्शन देकर उनका रिहेबिलिटेशन किसी प्रकार भी हो सके उसका इन्तजाम आप कर रहे हैं।

जयपुर में किस प्रकार से प्लाट्स का अलॉटमेन्ट हुआ वह तो मैं बाद में रखना चाहूँगा। जोधपुर में तारक प्रसादजी व्यास यू. आई. टी. के चेयरमेन हैं। धर्मनारायण जी माथुर, मेम्बर हैं, लियाकत उल्लाखां, मखवूलसिंह मेम्बर हैं। ये चारों कांग्रेस के सदस्य हैं। जोधपुर में एक जन संघ ने और

(श्री भैरोंसिंह)

एक कांग्रेस ने सीट जीती। यदि जन प्रतिनिधित्व को लेकर ही चला जाय तो जनता की भावनाओं की आप इज्जत नहीं करते हैं लेकिन अपने लोगों का किस प्रकार से पोषण किया जाय इसकी परवाह करते हैं। हिन्डौन में गजानन्दजी को बनाया। उदयपुर में गिरधारीलालजी को बनाया। ये सब कांग्रेस के नेता हैं। गिरधारीलालजी वे ही हैं जो सुखाड़ियाजी के चुनाव एजेन्ट थे। जिसकी कृपा से ही उनके पक्ष में बयान कराये गये। उनको इनाम यू. आई. टी. का अध्यक्ष बना कर दिया। द्वारकाप्रसादजी को बना ही दिया। अजमेर में कृष्णगोपालजी हैं यू. आई. टी. के चेयरमेन। केसरीचन्दजी और डा० वान्चू इसके मेम्बर हैं। डा० वान्चू के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सैनिटेशन के लिए किसी एक्स्पर्ट व्यक्ति को लिया जाय तो विरोध करने पर इसके बारे में कोई विरोध नहीं होगा। अलवर में छोटूसिंहजी को चेयरमेन बनाया, गोकुलचन्दजी जाटव इस विधान सभा के सदस्य हैं वे उसके मेम्बर हैं, कुमारी उमा माथुर को भी उसका मेम्बर बनाया। यह वही कुमारी उमा माथुर हैं जो चुनाव में हार गयीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : के. एन. भार्गव हैं। आप पहले के नाम बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले के ही कह रहा हूं। जनता का सर्टिफिकेट लेकर पहले आ जाते। योग्य २ सब कांग्रेस में ही भरे हैं क्या ? योग्यता का ठेका कांग्रेस ने ही लिया है क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अधिकांश।

श्री भैरोंसिंह : बाकी थोड़े बहुत तो हैं। विरोधी दल के किसी एक्स्पर्ट को लिया है क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वान्चू का नाम बताया।

श्री भैरोंसिंह : वान्चू को अब लिया है।

इस प्रकार से, सभापति महोदय, अलवर में गड़बड़ी की है। इसी प्रकार से भीलवाड़ा में ज्ञानमलजी कोठारी है। इसलिये बनाये गये कि नाहर साहब समझेंगे, सुखाड़िया जी से धर्म का सम्बन्ध रख कर चलते हैं। उनको इस रूप में प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ५०० रुपये माहवार पर ज्ञानमलजी कोठारी को भीलवाड़ा नगर न्यास का चेयरमेन बना दिया। चित्तौड़ में पंकज पंचोली को चेयरमेन बनाया। यह वही पंकज पंचोली हैं जो चुनाव में हार गये।

सभापति महोदय, कांग्रेस के लोग जो विशेष तौर से चुनाव में हार गये ऐसे कांग्रेस के लोगों को, जनता ने जिनको भारी वोटों से हराया, जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उस रिजेक्टेड माल को आपने यू. आई. टी. के अध्यक्ष बना दिया। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड भी सरकार ने एक नीयत से बनाया है कि द्वारकादासजी पुरोहित को चेयरमेन बना कर उनको किसी प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाय। उसके साथ साथ के. एल. जैन जो सुखाड़ियाजी के कान्शियस कीपर हैं, जो तबादले कराने में एक्सपर्ट हैं, किस पार्टी को कितना कोटा दिया जाय किस पार्टी को किसका परमिट दिया जाय,

Page No 60

(श्री भैरों सिंह)

जिनके टेलीफोन पर मंत्री लोग नाचते हैं, उन्हीं के. एल. जैन को हाउसिंग बोर्ड का आपने मेम्बर बनाया। द्वारकादासजी को चेयरमैन बनाया लेकिन वैसे उनको उनके नीचे रखा गया। इस प्रकार के हाउसिंग बोर्ड से क्या उन्नति कर पायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर यहां पर अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट नहीं हैं। इनमें मंडी कमेटीज बनी हुई हैं। उनमें भी वे ही कांग्रेस के नेता हैं जो चुनावों में हारे हुए हैं। उनको मनोनीत किया है। कहीं अध्यक्ष बनाया है। यह भी देख लीजिये कि कहां पर हाउसिंग की प्रोब्लम को सोल्व किया है। आप जयपुर को देख लीजिये। कितनी जयपुर में कोलोनी बनी है ? प्लाट्स का अलाटमेंट जरूर किया है। सभापति महोदय, यदि इसका विश्लेषण किया जायेगा तो यह स्पष्ट होगा कि जो अधिकांश प्लाट्स हैं वे उन लोगों को मिले हैं जो किसी न किसी प्रकार का अपना प्रभाव रखते हैं। उनकी रजिस्टर में इन्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं। निर्धारित प्रोफार्मा या ऑक्शन के झगड़े में उनको पड़ने की आवश्यकता नहीं। प्राइस में उन्हीं को प्लाट मिले हैं जिनका कि कोई असर है। यह देखना हो तो सी स्कीम, बनीपार्क और दूसरी तरफ नाहरी का नाका, हसनपुरा, बस्सी सीतारामपुरा की कोलोनी को देख लीजिये। किस प्रकार से इन्ट्रेस्टेड लोगों को ही प्लाट्स मिले हैं। इससे लोगों में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा हुई है। एक गरीब व्यक्ति एप्लीकेशन दे उसको प्लाट नहीं मिलता है। जो रजिस्टर है, मंत्री महोदय उसको सदन के सामने रख दें, सदन की मेज पर रख दें तो मालूम हो जायेगा कितने लोगों को रजिस्टर के अनुसार, फर्स्ट कम फर्स्ट की बेसिस पर प्लाट्स अलॉट किये गये हैं। प्लाट्स के एलाटमेंट के लिये यू. आई. टी. में दो ही प्रकार की व्यवस्थाएं हैं—प्लॉट का ऑक्शन किया जाये या उसको फिक्स्ड प्राइस पर दिया जाये। जो प्लॉट फिक्स्ड प्राइस पर दिये जाते हैं वे फर्स्ट कम फर्स्ट के सिद्धांत पर दिये जाते हैं लेकिन सरकार ने आज तक इस बात की चिन्ता नहीं की है। सरकार ने जो व्यवस्था की है वह डुप्लीकेट व्यवस्था की है। हाउसिंग बोर्ड बनाकर वह फिर डुप्लीकेट व्यवस्था कर रही है। म्युनिसिपैलिटिज के नाम पर, पंचायतों के नाम पर सरकार जो दोहरी व्यवस्था कर रही है उससे न तो राजस्थान का विकास होगा और न राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड के बनने से नगरपालिकाएं ठीक प्रकार से काम कर न पायेंगी और पंचायतें भी काम नहीं कर पायेंगी और न अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ही काम ठीक प्रकार से कर पायेगा। हाउसिंग बोर्ड भी इन सबको देखते हुए ठीक प्रकार से राजस्थान में काम नहीं कर पायेगा। इसलिये राजस्थान की हाउसिंग प्रोब्लम को मीट करने के लिये एक ही प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। हाउसिंग बोर्ड बने उसके पहले आप यू. आई. टीज को खत्म कर दीजिये और डवलपमेंट का काम म्युनिसिपैलिटिज और पंचायतों से, उनके हाथ से आप ले सकते हैं। लेकिन उसके करने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों में भी मकानों की समस्या है। उनको मकान बनाने के लिये जमीन मुहैया नहीं होती है। वहां पर जमीन देने की हमने क्या व्यवस्था की है। गांवों में आबादी की भूमि इस प्रकार बढ़े इसके

(श्री भैरोंसिंह)

लिये आपके आर्डिनेन्स में कोई व्यवस्था नहीं है। जयपुर और कुछ बडे-बड़े शहरों के लिये आप योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनमें कच्ची झौंपड़ियों वालों के लिये, उनके विकास के लिये आपके इस आर्डिनेन्स में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यवस्था है तो वह है श्री द्वारकादासजी के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय भीखा भाई जानते हैं कि इस हाउसिंग बोर्ड के गठन के पहले श्री पुरोहित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह पहले सदन के सामने रखी जाये। राज्य सरकार समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसको सदन के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहती है। अगर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये तो माननीय सदस्यों को पता चल सकेगा कि किस परपज के लिये आज से ६ महिने पहले यह समिति नियुक्त की गई थी और हाऊसिग बोर्ड के गठन के लिये उसने क्या सुझाव प्रस्तुत किये हैं? उन सुझावों में क्या आर्डिनेन्स का सुझाव है, उसका उल्लेख है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो राजस्थान में हाऊसिंग प्रोब्लम एक्यूट हो जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा इस सदन की मेज पर रखी जाये।

सभापति महोदय, यह विचित्र स्थिति है कि जिस व्यक्ति को हाऊसिंग बोर्ड का चेयरमेन बनाया है उसको ही ६ महिने पहले इस बात के लिये नियुक्त किया गया था कि वे यह मालूम करें कि राजस्थान में हाऊसिंग बोर्ड की आवश्यकता है या नहीं? वे इस सम्बन्ध में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उसके लिये कमेटी की नियुक्ति की गई थी। क्या उस समिति ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी कि राजस्थान में हाऊसिग बोर्ड की आवश्यकता है या नहीं? राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय किया है या वह केवल एक एम्पलायमेंट प्रोवाइड करना चाहती है। या भारत सरकार के मंत्री श्री के. के. शाह ने जब लोकसभा में हाऊसिग रिवाल्वींग फंड के बारे में घोषणा कर दी तो राजस्थान सरकार ने देखा कि हमें भी वह मिलने वाला है इसलिये श्री द्वारकादासजी पुरोहित को चेयरमेन बना कर इसका गठन जल्दी से जल्दी करने के बारे में सोचा। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपको इस सम्बन्ध में कोई नैतिक अधिकार नहीं है। या तो सदन के सामने रिपोर्ट रख दें या सरकार यह स्पष्ट करे, घोषणा करे कि इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि ६ महिने के उपरांत श्री द्वारकादासजी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उसने किस प्रकार की राय दी है? इन सारी परिस्थितियों में सदन को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस हाउसिह बोर्ड के आर्डिनन्स को रिजेक्ट कर दें। इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने की आवश्यकता हमें इसलिये है कि विधान सभा के अधिकार को हम सुरिक्षित रखना चाहते हैं। इसे पास करते हैं तो यह विधान सभा के अधिकारों पर एक प्रकार से एनक्रोचमेंट होगा और उसे प्रोत्साहन देंगे। और यह सरकार आर्डिनेन्स के जरिये ही सारा विधायी कार्य आरम्भ कर देगी जैसे गुजरात विधान सभा में फाइनेंस बिल

Page No 62

(श्री भैरोंसिंह)

भी आर्डिनेन्स द्वारा पारित कराया गया है। यही परिस्थिति कहीं राजस्थान में भी पैदा न हो जाये कि सरकार सभी विधायी कार्य आर्डिनेन्स के जरिये करें, तो वह दिन खराब होगा। इसलिये राजस्थान सरकार को लेसन देने के लिये मैं यह चाहूंगा कि सदन एकमत होकर इस हाउसिंग बोर्ड के आर्डिनेन्स को निरस्त कर दे और जो संकल्प जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका समर्थन करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सिर्फ संकल्प पर ही बहस हो और बाकी जो प्रस्ताव जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये दिये गये हैं क्या उनको अलग से लिया जायेगा ? उन पर क्या बहस अलग से होगी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : और प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, यह प्रस्ताव भी आया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : व्यवस्था का सवाल है आपका। क्या कहना है आपको ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रस्ताव यह आया है कि इस आर्डिनेन्स को निरस्त किया जाये और उसके बाद इस विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री भीखा भाई (स्वायत शासन मंत्री): सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की आपत्ति उठाई है कि राजस्थान के अन्दर हाउसिंग बोर्ड के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय मैं आशा करता हूं कि आप इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि आपकी सरकार ने क्या यह ठीक किया है और क्या इसी तरह से वह प्रोत्साहन देगी ? यह परम्परा क्या ठीक है ?

श्री भैरोंसिंह : इनका इसमें कोई दोष नहीं है। नामीनेशन हो जाता है और उसकी चिट्ठी आ जाती है तो ये बेचारे उस पर एप्रूवल के दस्तखत कर देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस पर दया नहीं मैं घोर रोष प्रकट करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : दया और रोष का समन्वय बिठा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स के पहले श्री द्वारकादास पुरोहित ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है क्या ? और वह रिपोर्ट सरकार के पास आई है ? और उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें ताकि इस संबंध में माननीय सदस्य गंभीरता से विचार कर सकें।

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय,

श्री सभापति : माननीय सदस्य रामानंदजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर आपको क्या कहना है ?

श्री भीखा भाई : मुझे तो ध्यान नहीं रहा क्या कहा।

श्री सभापति : दुबारा जानकारी देंगे माननीय सदस्य ।

श्री भीखा भाई : जो प्रस्ताव है उसका जवाब देने के बाद में इस विधेयक को विचारार्थ पेश करूंगा । मैं यह निवेदन कर रहा था कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है ?

श्री भीखा भाई : पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री भैरोंसिंह : किस बुनियाद पर आपने यह आर्डिनन्स इशू किया है ?

श्री भीखा भाई : आर्डिनेन्स में रिपोर्ट के उल्लेख की आवश्यकता नहीं है...

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं केवल यह चाहता हूं कि पहले मेरा पोइंट आफ आर्डर डिसपोज किया जाये । इस सम्बन्ध से जो रिपोर्ट आई है, वह आर्डिनेन्स के ऊपर चर्चा होने के पहले राज्य सरकार को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिये ।मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रख दी जाये ताकि उसको पढ़ा जा सके । उस रिपोर्ट के आधार पर वह आर्डिनेन्स निकला है या अन्य किसी कारण से यह मालूम हो सके ।

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं निवेदन करुंगा सरकार को आर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार है, यह अधिकार संविधान में निहित है। इससे राजस्थान असेम्बलीके पावर्स पर किसी प्रकार से कुठाराघात नहीं होता है । आर्डिनेन्स किन परिस्थितियों में जारी करना पड़ा यह मैं बाद में बताऊंगा ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) :आपका मतलब यह है कि श्री द्वारकादास पुरोहित की रिपोर्ट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स किस लिये जारी किया क्या उस रिपोर्ट में इस प्रकार का उल्लेख था या आपने उस रिपोट को रिजेक्ट कर दिया ?

श्री मदनसिंह : उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में यह आवश्यक है जितने विषयों पर विचार विमर्श हो उसके लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिये । उसका मिलना नितान्त आवश्यक है । क्या राज्य सरकार के पास वह रिपोर्ट आई भी है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा है रिपोर्ट आयी है लेकिन उसमें आर्डिनेन्स जारी करने का उल्लेख नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान के अन्दर हाउसिंग समस्या है उस समस्या को किस प्रकार से मीट आउट किया जा सकता है इसके बारे में सरकार द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई ? श्री द्वारकादास पुरोहित ने हाउसिंग प्रोब्लेम्स के किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, अपनी रिपोर्ट दी है ? क्या इस आर्डिनेन्स के लाने का आधार वह रिपोर्ट है ?

श्री भीखाभाई : इसका आधार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस विधेयक के सम्बन्ध में सारी चर्चा होने वाली है। वह रिपोर्ट आप क्या सदन की टेबल पर रखना आवश्यक नहीं समझते ?

श्री भीखाभाई : पहले जो व्यवस्था का प्रश्न है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं डिबेट का उत्तर बाद में दूंगा। राजस्थान सरकार को आर्डिनेन्स निकालने का हर समय अधिकार है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या आप उस रिपोर्ट को सदन में पेश करना नहीं चाहते ? इस तरह से आपके आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार नहीं चलेगा। सभापति महोदय, जिस विषय पर चर्चा होने वाली है उस संदर्भ में एक डाक्यूमेण्ट तैयार किया गया है जिस पर सरकार का हजारों रुपया व्यय हुआ है। आखिर उसका प्रयोजन क्या था ? किस प्रयोजन से वह रिपोर्ट तैयार करवाई गई क्या उस रिपोर्ट को राज्य सरकार सदन को देना नहीं चाहती ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिस सम्बन्ध में बहस हो रही है उस सम्बन्धी रिपोर्ट आनी चाहिये ताकि उस पर बहस हो सके।

श्री भीखाभाई : इसमें पोइण्ट आफ आर्डर की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनसिंह : पोइण्ट आफ आर्डर पर आप व्यवस्था नहीं दे सकते, यह तो सभापति महोदय का काम है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारा अधिकार है कि हम उस रिपोर्ट को मांगें।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं राजस्थान सरकार ने अपने डाइरेक्शन के लिये किसी कमेटी का निर्माण किया है, वह बना सकती है। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामने जो रिपोर्ट आती है उस पर सरकार विचार करती है. वह सरकार की गाइडेन्स के लिये होती है। वह रिपोर्ट सदन में आती नहीं है। उस रिपोर्ट में आर्डिनेन्स का जिक्र नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का निर्माण करना स्टेटयुटरी बोर्ड बनाना आवश्यक है। यह मेरा पोइण्ट आफ आर्डर का जवाब है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रिपोर्ट में क्या कहा है वह हम जानना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, हम हाउसिंग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्या के बारे में विचार करने जा रहे हैं। श्री द्वारकादास पुरोहित की अध्यक्षता में जिसे कमेटी का निर्माण हुआ है उसने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। मैं समझता हूं उस रिपोर्ट में न केवल इस बात का उल्लेख है बल्कि उसके साथ साथ हाउसिंग प्रोब्लेम हमारे यहां किस प्रकार की है और उसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है इसका भी जिक्र है और उसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट बिल बनाने जा रही है। इस एक्ट के द्वारा इस हाउसिंग प्रोब्लेम को हल करना चाहती है। इस सदन का कन्ट्रीब्यूशन इस मामले में अच्छी तरह मिल सके इसलिये आवश्यक है कि वह रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। ताकि हमें पता चल सके क्या सिफारिश की गई है, उसके अन्दर उसका आधार बनाकर यह बिल लाया गया है। उस कमेटी का भी यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उद्देश्य था कि वह इस हाउसिंग प्रोब्लेम को सोल्व करने के लिये उपाय बतलाये। मूल आधार इस बिल को लाने का वह रिपोर्ट है। अगर वह डोक्यूमेण्ट कोनफीडेन्शियल नेचर का है, वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट को सर्व न कर उसमें नुकसान पहुँचाने वाला है यह तो बात हो नहीं सकती। वैसी हालत में उस रिपोर्ट को यहां पर नहीं रखना सदन का अपमान करना होगा, इस सदन की अवहेलना करनी होगी। माननीय मंत्री महोदय अगर किसी प्रकार से प्रीविलेजज का क्लेम करते हैं तो वह बतायें। लेकिन उन्होंने अभी तक प्रीविलेज क्लेम नहीं किया। जिस रिपोर्ट के ऊपर यह बिल बेस्ड है उस रिपोर्ट को सदन के अन्दर रखा जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय प्रीविलेज क्लेम करे कि यह पब्लिक इन्टरेस्ट को जिप्रोडाइज होगा यह तो किसी तरह से हो सकता है यह तो वे नहीं कह सकते। ऐसी हालत में वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखनी होगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आर्डिनेन्स इश्यू करने का सरकार को अधिकार है, टेकनिकली अधिकार है, यह मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन सभापति महोदय, मेरा निश्चित अभिमत है कि आर्डिनेन्स के लिये उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाय, यह एक तरह से सदन की अवहेलना की है।

सभापति महोदय, हाउसिंग की प्रोब्लेम के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट सरकार को पेश की गई है वह रिपोर्ट सरकार माने या न माने यह सरकार के अधिकार की बात है। लेकिन अगर उस रिपोर्ट के बारे में सदन में मांग की जाती है इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस करने के सम्बन्ध में तो अगर वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे तो वह बहुत सहायक होगी हम लोगों को सहूलियत बख्स होगी इससे माननीय सदस्यों को खुले तौर पर बहस करने को मिलेगी। ऐसी समस्या के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें क्या आपत्ति उस रिपोर्ट को रखने में। अगर आप नहीं रखना चाहते तो ना कहिये स्पष्टीकरण तो अवश्य करिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपका यह आर्डिनेन्स लेप्स तो होनेवाला नहीं है समय पर वह रिपोर्ट आ सकती है। प्रजातन्त्र में आप विश्वास रखने वाले हैं यह गड़बड़ कैसे की जा रही है आप इस ओर ध्यान दीजिये आपका आर्डिनेन्स रद्द तो होने वाला नहीं है। अगर सभापति महोदय, यह लेप्स भी होगया तो दूसरा आर्डिनेन्स सरकार लाने को तैयार है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेर) : सभापति महोदय, मेरी राय से यह पोइण्ट ऑफ आर्डर नहीं हो सकता। माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि सदन के मेम्बर मांग करते हैं तो रिपोर्ट रखी जानी चाहियें। यह समझ में नहीं आता। पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं होता है लेकिन कोई भी कमेटी या आफिसर गवर्नमेट नियुक्त करती है किसी काम को करने के लिये तो यह सरकार के लिये कम्पलसरी नहीं होता है कि उस रिपोर्ट को पेश किया जाय। सदन की अपाइटेन्ड कमेटी होती है तो—

Government cannot be compelled.

Page No 66

(श्री पी० के० चोवरी)

यह आपने मांग की है, गवर्नमेन्ट को If it is in position हो सकता है रिपोर्ट तैयार नहीं हो, छपकर नहीं आई हो। यह हो। यह पाईन्ट ऑफ आर्डर नहीं है इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह (दांत रामगढ़) : उस आर्डिनेन्स में द्वारकादास जी का उल्लेख नहीं है फिर आधार क्या बनता है? आपका मतलब है पब्लिक इटरेस्ट का बने और सदन में न बोलें......

श्री पी० के० चोधरी : मेरा मतलब पोइन्ट ऑफ आर्डर से है। वह आ जाय मैं भी मानता हूं-सुविधा होगी लेकिन आप कम्पेल नहीं कर सकते यह पोइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता है।

श्री मदन सिंह : लेकिन यह गन्दी चीज थोपकर.........

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह गंदी चीज है?

श्री मदनसिंह : असेम्बली भंग होती तभी आप आर्डिनेन्स कर देते इतनी जल्दी क्या थी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २८८ की तरफ आर्कषित करना चाहता हूं-

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been prese-neted to the House, he shall lay the relevant Paper on the tabie.

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a uature that their production would be inconsistent with public interest;

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or state paper it shall not be necessary ro lay the relevant paper on the Table."

सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय मंत्री जी ने भी द्वारकाप्रसाद पुरोहित द्वारा-जिस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभी आपने उत्तर देते उसका उल्लेख किया है उन्होंने उसका कुछ जिस्ट भी देने की कोशिश की। सभापति महोदय उसमें सिर्फ हाउसिंग बोर्ड बनाने का कहा है और कुछ नहीं कहा है। मैं इस बात को कन्ट्राडिक्ट करता हूं रिपोर्ट में जो दिया हुआ है उसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है वह सब्सटेन्शियली करक्ट नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी जो उनका स्टेटमेंट है- उस रिपोर्ट के बारे में वह दुरुस्त नहीं है। या तो मन्त्री जी पब्लिक इन्टरेस्ट में प्रिविलेज क्लेम करें प्रिविलेज क्लेम किया नहीं इसलिये इस रूल के अन्तर्गत लाजमी है इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें दूसरा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस तरह के बोर्ड को कान्स्टीट्यूट करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पत्र, करस्पोन्डेस जो गवर्नमेंट आफ राजस्थान के साथ हुई है उसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। उस करसपोन्डेस को भी मन्त्री जी को हाऊस की टेबिल पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रखना चाहिये। २८८ के तहत उस करस-पोन्डेन्स को रखना चाहिये जिससे यह अन्दाजा लगा सके कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया का क्या आवजेक्टिव है ? सभापति महोदय मैं इस पर इसलिये जोर देना चाहता हूं जो समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है-प्रधान मन्त्री की स्पीच हमने पढ़ी है उनका मकसद इस हाऊसिंग बोर्ड का यह समाज में जो सबसे गरीब तबका है उसका अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है इसलिये इस हाउसिंग बोर्ड को कान्स्टिट्यूट करके समाज के कमजोर तबके को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। किस तरह का आप इसमें कानून बनाना चाहते हैं और श्री के. एम. जैन जैसे लोगों के हाथ में प्लोट्स देकर गरीबों के सारे हक को छीनना चाहते हैं......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा है इसलिये आवश्यक है गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने जो आपको आदेश दिये हैं, निदेशन दिये है वह सदन की मेज पर रखे जाय ताकि माननीय सदस्य जान सके कि आया जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया में निर्देशन दिये हैं उनके अनुरूप यह आर्डिनेन्स निकला है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : (श्री पी. के. चौधरी के खड़े होने पर) समथिंग इन ऐडीशन ?

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय रूल २८८ कोट करके जो रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा है मेरा निवेदन है वह २८८ से कवर नहीं होता है-

If a Minister quotes in the House a despatch or other state paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table.

भैरोंसिंह जी ने कहा है उसके जवाब में कहा है-

But not on his behalf.

श्री मदनसिंह : कल ये सब मिनिस्टर मिलकर......

श्री पी० के० चौधरी : आप पहले मेरी सुन लीजिये।

Provibed further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or state paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the table.

भैरोंसिंह जी ने यह कहा है रिपोर्ट में यह कहा गया है या नहीं उन्होंने जिस्ट बता दिया और यह बताया कि आर्डिनेन्स पेश करने की सिफारिश नहीं की है।

श्री मदन सिंह-He wants to hide the fact.

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): सभापति महोदय, शायद मैं तो यह मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। कोई जिस्ट है तो अब बता दिया जाय। आज हम सदन में इसलिये इकट्ठे हुऐ हैं कि इस आवास बोर्ड के विधेयक को पारित करना है-कोई अमेन्डमेंट है नहीं......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमेन्डमेंट है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : दो महीने के लिये पारित नहीं किया जाय······

(श्री रामानन्दजी के व्यवधान डालने पर)
मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में···

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई गलत स्टेटमेंट दे तो उसको कन्ट्राडिक्ट नहीं करें तो फिर सभापति महोदय, वह वैसा मान लिया जाता है।

श्री सभापति : आपको जो कुछ कहना है बाद में कह दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मेरा कहना है आज इस बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन क्या हो, परपज् क्या हो उसके पीछे रिपोर्ट के लिये यह कह दिया जाय और कोई नया हंगामा पैदा कर दिया जाय। हाउसिंग की कमी है, यह सदन अच्छी तरह जानता है उसकी पूर्ति करनी है। किसको देना है, किसको नहीं देना है यह तो योजना में है। एक कान्स्टीट्यूशन आफ दी बोर्ड आया है उसके बारे में कोई चुनौती नहीं दी है। हम नोमीनेटेड मेम्बर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं यह एक अलग बात है। इसमें कोई अमेन्डमेंट नहीं है। दो महीने के लिये भेज दिया जाय यह भी एक अलग बात और तरीका है······

श्री मदनसिंह : शिड्यूल कास्ट का ऐड होना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं है कि जादू के आम पैदा हो रहे हैं। कोई जिस्ट है तो पेश कर दें ताकि सदन की कार्यवाही आगे चले।

श्री सभापति : मैं समझता हूं काफी विवाद हो चुका है। मैं व्यवस्था दे दूं तो आगे बहस प्रारम्भ हो जाय।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : सभापति महोदय, एक निवेदन करना है। इस व्यवस्था के प्रश्न को लेकर आपत्ति यह उठाई गई है कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न हमारे यहां नियमों में बताया गया है और नियमों की अनुपालना कैसे हो—यदि यह प्रश्न उपस्थित हो तो बन जाता है उसकी एक पंक्ति पढ़ देता हूं—

If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House he shall lay the releveant paper on the Table.

मेरा कहने का आशय एक मात्र यह है कि कोई क्वालिफाईड वर्ड इसके आगे नहीं लगाया गया है—इस तरह कोई क्वालिफाईड वर्ड और कोई ऐडजेक्टिव नहीं लगाया गया है। हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है तो मेरा निवेदन है इन नियमों की अनुपालना का प्रश्न होगा। उन नियमों की अनुपालना में जैसा लिखा हुआ है उससे आगे फिर प्रोविजों का सहारा लिया जाता है। मिनिस्टर महोदय ने जिस्ट दे दिया है, समरी दे दी है केवल यह देना कि रीपोर्ट में ऐसा लिखा नहीं है वह जिस्ट और समरी की परिभाषा में तो आता नहीं है। आर्डिनेन्स के बारे में जो डिसकस हुआ है उसके प्रविलेज को क्लेम करें और उसको सदन की मेज पर रखें। जबतक ऐसा नहीं हो तो वह व्यवस्था का प्रश्न होता है और मैं आशा करता हूं

Page No 69

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इसी दृष्टिकोण से इसका अवलोकन करते हुये व्यवस्था दी जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय,......

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न निपट जाये उसके बाद में बोल लें।

माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने अभी एक व्यवस्थाका प्रश्न उठाया है जिस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठाया है उस संदर्भ में माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने हाउसिंह बोर्ड के सिलसिले में एक समिति के गठन के संबंध में उल्लेख किया और यह जानना चाहा कि श्री द्वारकादास पुरोहित ने इस आर्डिनेन्स के जारी किये जाने के संबंध में कोई सिफारिश की या नहीं। उस संबंध में माननीय श्री भीखाभाई जी ने कोई डिबेट का उत्तर तो नहीं दिया लेकिन खड़े होकर कहा कि इस प्रकार सिफारिश उन्होंने नहीं की कि इस प्रकार की कमेटी गठित की गयी और उसने राज्य सरकार को सिफारिश दी। मैं समझता हूं कि जो रूल २८८ यहां पर कोट किया गया है वह अभी इस संबंध में लागू नहीं होता क्योंकि मंत्री महोदय अपना कोई उत्तर दें और उत्तर देने के दौरान किसी प्रकार से पेपर्स को कोट करें या डाकुमेन्ट्स को रेफर करें उसके बाद हाउस में इस प्रश्न को उठाया जा सकता है केजुअली कोई प्रश्न रेज करें और क्वेरी करें उस संबंध में मंत्री महोदय कह दें कि ऐसी रिकमन्डेशन है और फिर उस प्रश्न को छोड़कर If you try to catch the Minister by neck कि रिपोर्ट हाउस की मेज पर रख दें। तो मैं समझता हूं कि रूल २८८ यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए अभी वह प्रिमेच्योर है स्टेज। मंत्री महोदय उत्तर दें और अपना रिप्लाई उस पर बेस करें और फिर वह डाकुमेन्ट सदन के लिए आवश्यक समझा जाये तो यह व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं स्वीकार करने की स्थित में नहीं हूं।

इतना अवश्य है कि माननीय सदस्य ने जो राय प्रकट की है उस सन्दर्भ में सरकार पुनः विचार करे कि ऐसे इम्पारटेन्ट मसले पर और कोई सरकार कमेटी गठित करती है और वह रिकमन्डेशन करती है उसके आधार पर और केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार ने किसी प्रकार के बोर्ड का गठन किया है और अध्यादेश जारी किया है और विधेयक आ रहा है तो माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए ज्यादा उचित होगा—मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रावधान माननीय सदस्यों को आपत्ति उठाने से पहले ही अवेलेबल करा दिये जाये जब तक कि वह कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात नहीं आती हो या फिर कोई बड़ा सीक्रेट डाकुमेन्ट न हो। और मैं समझता हूं कि यह डाकुमेन्ट इस तरह का नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर फिर से विचार करें। ऐसी रिपोर्ट पर दोनों तरफ से मांग है तो क्या उनको अवेलेबल कराने के लिए सदन की मेज पर उसके पर्टीकुलर्स रखे जा सकते हैं। इस प्रश्न की प्रोपराइटी है, ऐसा मैं समझता हूं। अतः जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री भगवानदास शास्त्री : (अजमेर प.) आपने जो रूलिंग दी वह तो सर्वमान्य है···

श्री सभापति : फिर क्या रहा ?

श्री भगवानदास शास्त्री : कम से कम यह तो आ जाये कि समिति ने रिपोर्ट दी है। जैसे नजूल लेण्ड है या और कोई लेण्ड है क्या अलग अलग नाम लगाकर हमें पता लगे कि उसकी मालिक सरकार है, पर्टीकुलर पार्टी है ? कम से कम रोशनी के लिए तो पता लगे।

श्री सभापति : एकादशी शिवरात्रि का क्या पेट भरेगी।

यस, नेक्स्ट मैम्बर। श्री भगवान दास शास्त्री थोड़ा समय का ध्यान रखें। आपके दल के नेता महोदय काफी बोल चुके हैं। इसलिए बाकी माननीय सदस्य बोल लें तो ज्यादा अच्छा है। आप एक काम करें कि कन्सीडरेशन का मौका आये तब बोल लेना। वैसे तो साधारणतया यह होता है कि स्टेचुटरी रेज्योल्यूशन और कन्सीडरेशन का मोशन साथ ही चलते हैं। लेकिन पता नहीं कन्सीडरेशन का मोशन तो प्रस्तुत नहीं किया—इसलिए डुप्लीकेसी होगी डिबेट में।

श्री मदनसिंह : इनको क्या पता।

श्री सभापति : स्टेचुटरी रेज्योल्यूशन और विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव दोनों साथ साथ चलते है।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं विचारार्थ के लिए प्रस्तुत कर दूं ?

श्री सभापति : यह सदन है कोई पाठशाला थोड़े ही है। बीच बीच में कैसे कर देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद (अनुपस्थित)

जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है इसका उत्तर दे दें उसका डिस्पोज आफ हो जाने पर then you move your motion for consideration of the Bill and then we shall take it up.

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का एतराज किया कि राज्य सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसकी क्या संकटकालीन आवश्यकता थी, क्या विशेष परिस्थितियां थी, क्या भूकम्प गिर गया, क्या बिजली गिर गई, क्या आसमान फटने वाला था या क्या होने वाला था आदि आदि बातें कही। मैं सभापति महोदय, निवेदन करूं कि यह अध्यादेश जारी करने का जो कारण है वह कारण में इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक हाउसिंग बोर्ड का सवाल है राजस्थान में और हिन्दुस्तान में लगभग २ साल से यह मामला विचाराधीन रहा है। राजस्थान के गृह आवास मन्त्री जब कि बंगलौर कान्फ्रेन्स में गये थे और उसके बाद में दिल्ली में जब कान्फ्रेन्स हुई तो उस पर यह विचार हुआ था कि भारत सरकार इस बात की चिन्ता करती थी कि जो पंचवर्षीय योजनायें निकली हैं उन पचवर्षीय योजनाओं के अन्दर जो हाउसिंग की आउटले है वह बहुत कम हुई है। मैं निवेदन करूं कि फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में ३८.५ करोड़ के अन्दर से १६ करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था पब्लिक सेक्टर हाउसिंग के लिए, सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान में ८४ करोड़ के अगेन्स्ट में १.८ करोड़ खर्च हुए थे। उसी

(श्री भीखा भाई)

तरह से थर्ड फाईव ईयर प्लान में १२२ करोड़ का प्रावीजन था उसमें १.६ आफ परसेन्टेज टोटल आउटले का था और उसी तरह से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ९६.०७ करोड़ में से ७ परसेन्ट पब्लिक सेक्टर आउटले आफ हाउसिंग था। इसका मतलब सभापति महोदय, यह हुआ कि हिन्दुस्तान के अन्दर पब्लिक हाउसिंग एक्टीवीटीज का काम बहुत धीरे धीरे चलता था—

श्री भैरोंसिंह : यह आल इन्डिया फिगर्स है या स्टेट की हैं।

श्री भीखाभाई : आल इन्डिया की बता रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो स्टेट की बता दें।

श्री भीखाभाई : स्टेट में तो हाउसिंग का है ही नहीं। आपने जो बात बताई है वह गलत बताई है और इसको मैं प्रमाणित करने जा रहा हूँ कि नहीं आ रहा है जो पैसा आ रहा है वह एल. आई. जी. एच. और एम. आई. जी. एच. के अ्रू आया है। इसलिए इस प्रकार का आर्डीनेन्स जारी करना पड़ा है और इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि ठीक टाइम पर ताईद नहीं की।

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, कि हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में, जापान के अन्दर (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है...

श्री भीखाभाई : इंग्लैंड में ४ हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर १ पर्सेन्ट है इसलिए हमारे जो गृह-निर्माण मन्त्री जी भारत सरकार के हैं उन्होंने इस बात का इनीशियेटिव लिया और बेंगलौर के अन्दर उन्होंने एक कान्फ्रेन्स का आयोजन किया। उस कान्फ्रेन्स के थोड़े दिनों के बाद दिल्ली में कान्फ्रेन्स हुई और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने नये सत्र के शुरू होने से पहले ६८-६९ में इस बात का एनाउन्समेंट किया था कि राजस्थान में गृह-निर्माण के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया जाय। ये परिस्थितियां इसलिए बता रहा हूँ कि आपने यह पूछा था कि राज्य सरकार इससे पहले इस बारे में जागरुक थी या नहीं। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इसी लक्ष्य को लेकर जो कमेटी का निर्माण किया गया था और जिस कमेटी ने उस प्रकार की रिपोर्ट दी है उसका जिक्र मैंने आपसे किया है, लेकिन उस कमेटी की बातों के बारे में मैं इस वक्त नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार यह चाहती थी और अभी भी चाहती है कि पिछले वर्ष जब हम दिल्ली गये तो उन्होंने कहा कि अगर आप हाउसिंग बोर्ड नहीं बनायेंगे, इस प्रकार की एजेन्सी नहीं बनायेंगे। तो रुपया नहीं देंगे। मैं, सभापति महोदय, से निवेदन करूं कि हाउसिंग कोर्पोरेशन सेन्टर के अन्दर बनने जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं एक इन्फर्मेशन चाहूँगा।

श्री भीखाभाई : ताकि इसके बाद—

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड का जो आर्डिनेन्स या विधेयक

(श्री भेरोंसिंह)

जो आपने पुरःस्थापित किया है उसकी धाराओं में और जो कमेटी हाउसिंग बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में श्री द्वारकादास पुरोहित के सभापतित्व में बनी है उसने जो रिपोर्ट दी है, काफी अन्तर है ?

श्री भीखाभाई : यह तो सरकार के निर्णय का सवाल है कि किस बात को माने और किस बात को नहीं माने। यह सरकार की मरजी का सवाल है।

श्री भेरोंसिंह : मैं केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या इसमें अन्तर है ?

श्री भीखाभाई : डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपने स्टडी नहीं किया है।

श्री भेरोंसिंह : कितना अन्तर है ? अगर आपको जानकारी हो तो बताएँ।

श्री भीखाभाई : अन्तर को समझें। जब मैं बोलने लगता हूं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे बोलना है और दूसरा कोई बोल रहा है उसको मैं नहीं देखता हूँ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि हिन्दुस्तान के अन्दर हाउसिंग का कार्यक्रम बहुत कम है। इसलिए भारत सरकार ने इस बात का निर्णय किया कि एक रिवाल्विंग फण्ड कायम किया जाय। वह रिवाल्विंग फण्ड कायम करके जो छोटे तबके के लोग हैं उनके मकान बनाये जायं और मकान बनाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था की जाय। लो इनकम हाउसिंग ग्रुप के भी जो छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए गृह-निर्माण किया जाय। उसके लिए बोर्ड की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूँ कि बोर्ड की आवश्यकता क्यों हैं, अब यह सवाल उठेगा। यू० आई० टीज० बनी हुई हैं तो जहां पर यू० आई० टीज० बनी हुई हैं वहां पर उनके साथ में कन्फ्लिक्ट होगा, उनके जुरिस्डिक्शन में कन्फ्लिक्ट होगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि उनके जुरिस्डिक्शन में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दोनों के फन्क्शन्स अलग अलग हैं। वह फन्क्शन्स इस प्रकार से हैं। राजस्थान के अन्दर जो यू० आई० टीज० बनी हुई हैं उनका फन्क्शन यह है कि डेवलप्ड प्लाट्स लोगों को दें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि जहां पर यू० आई० टीज० काम कर रही हैं तो यू० आई० टीज० का फन्क्शन है वह प्लाट्स को विकसित करके लोगों को आवंटन करने का काम करें लेकिन मकान-निर्माण का काम राजस्थान में नहीं होता था इसलिए गृह-निर्माण योजनाओं के लिए एक बोर्ड की बात सोची गई है।

अब सवाल उठता है कि क्या परिस्थितियां थीं, क्या विषम-कालीन परिस्थितियां थीं, या संकटकालीन परिस्थितियां थीं तो उसका मैं निवेदन कर दूं। राज्य सरकार की ओर से पहले भी यह सोचा गया कि विधेयक पास करा लिया जाय तो बहुत अच्छा हो। हमने इस बात की चेष्टा भी की, लेकिन समय नहीं रहा इसलिए वह पेश नहीं हो सका। भारत सरकार यह चाहती थी कि मार्च के पहले पहले इस मामले में राज्य सरकार कुछ स्टेप लेकर

(श्री भीखाभाई)

उसको बना लें, बोर्ड बना ले। उसके बाद में बोर्ड के जरिये से लौन फ्लोट किया जा सके, डिबेन्चर्स फ्लोट किये जा सकें, दूसरा कर्जा लिया जा सके और सरकारी नियमों में जो एक प्रकार का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को उसमें फालों नहीं करना पड़े। उसमें एक तरह से अधिक से अधिक शेंड-यूल्ड बैंक्स, नेशनेलाइज्ड बैंक और अधिक तरह से, डिबेन्चर्स के जरिये इस काम में गति ला सकते हैं। इसलिए बोर्ड बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है।

सभापति महोदय, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता था कि यह जो कहा गया है कि जो प्लाट्स बनाकर बेचने की जो बात है वह यू० आई० टी० करती है, अपने क्षेत्र में नगरपालिका करती है, और उसके बाहर के क्षेत्र में यू० आई० टी० करती है। यह बात कही गई कि यह जो एजेन्सी बनायेंगे वह भी एक प्रकार से एजेन्सी होगी तो उन एजेन्सियों को बन्द करके नई एजेन्सी कायम कर रहे हैं तो उन्हीं एजेन्सियां को यह काम क्यों नहीं दिया जाय ? राजस्थान के अन्दर ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं तो वहां पर किस प्रकार से प्लोट्स का डवलपमेंट होगा और वहां पर किस प्रकार से हाउसिंग होगा भारत सरकार इस बारे में विचार कर रही है रूरल हाउसिंग किस माध्यम से करना चाहते हैं और वह काम हाउसिंग बोर्ड को दिया जाय या नहीं उस पर अभी चिन्तन हो रहा है। लेकिन मैं यह निवेदन करू कि भारत सरकार एक रिवाल्विंग फण्ड कायम कर रही है और उसके बारे में हमें यह इन्स्ट्रक्शन्स मिली थीं कि जितनी जल्दी योजना बना लेंगे तो फण्ड हो जायगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिये १२ करोड़ की योजना भारत सरकार को भेज रखी है और वह इसलिए भेज रखी है कि अगर समय पर हम इस काम में सावधानी नहीं बरतते तो फिर यह कहा जाता कि राजस्थान के अन्दर हाउसिंग बोर्ड न बनाकर राज्य सरकार ने एक गलती की है, और उसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य को भुगतन । पड़ रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उससे क्षति होती राज्य को नुकसान होता, एक आघात पहुंचता, इसलिए राज्य सरकार ने बहुजनहिताय, जन-हित के बारेमें चिन्तन करके इस बात को लिया है।

मैं एक निवेदन और करू कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी आवश्यकता को किस प्रकार से माना गया है। हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने १६७० के अन्दर जो बात कही है उस बात को मैं यहां दोहराना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है—

Efficient organisation machinery is an indepensable necessity for mobilisation and proper utilisation of resources but also for the promotion and execution of the Housing Programmes. Not withstanding the best intentions many States have not been able to ..."हैव नाट बीन एबल" यह देखिये इसमें क्या कहा है-achieve what they would have liked to achieve in the absence of adequate institutional frame work.

(श्री भीखाभाई)

मैं यह निवेदन करना चाहता था और माननीय सदस्य से मैं यह पूछना चाहता हूं

What is the institutional frame work ?

में यह निवेदन करूंगा कि आगे उन्होंने कहा है:—

"Our experience over the past years has shown that statutory housing boards are the best agency of the State level for the formulation and implementation of the Housing programme. The funds made over to them or mobilised by them do not lapse at the end of year if unutilised can be carried forwarded to the next years' Programmes.'

श्री केसरीसिंह हाड़ा : माननीय मंत्री जी इंग्लिश पढ़ रहे हैं।

श्री भीखाभाई : क्या है ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं यह डबल डान्स समझ में नहीं आया।

श्री भीखाभाई : में पढ़ रहा। हूं वह ठीक है।

'They are not fettered by right regulations and process of patterns of Government."

इसलिए मैंने निवेदन यह किया था कि इसके लिए यह आवश्यकता थी कि प्रोसीजरल पैटर्न है तो दूसरे प्रकार के रूल्स और रेग्युलेशन्स में जो लेप्स का प्रश्न है वह प्रश्न इस बोर्ड के अन्दर नहीं होगा।

हम जिस प्रकार से आज जनतान्त्रिक प्रणाली में रह रहे हैं और विधान सभा की किस प्रकार की भावना है तो हम लाना चाहते थे इसको विधेयक के रूप में लेकिन समय नहीं रहा। ऐसी स्थिति में यह मुनासिब समझा गया कि आर्डिनेन्स लाया जाय। इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है, और न कोई दूसरा कारण है। यह इनआकुंग्रस आर्डिनेन्स है। किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। यह इसलिए किया गया है कि यह राजस्थान के हित में थी।

(करतल ध्वनि)

आपने यह कहा कि ओवरलेपिंग आफ जुरिस्डिक्शन है तो मैं निवेदन करुं कि ओवरलेपिंग आफ जुरिस्डिक्शन नहीं होगा।

इसलिए नहीं होगा कि यू. आई. टी. के पास जो जमीन है, जो डेवलप् नहीं कर सके हैं। गृह निर्माण की योजना नहीं बना सके हैं क्योंकि उनका काम गृह योजना निर्माण बनाना नहीं है। अब जो स्कीम है उनके पास जमीन पड़ी हुई है। जमीन है, भूखण्ड है। उनको लेकर उनका निर्माण करने का कार्य शुरू करना चाहिए। १२ करोड़ की योजना है हमारे पास। में यह कहता हूं कि बोर्ड यह काफी काम कर सकेगा। इसमें आइडिया क्या है? २०० करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया।

श्री पी. के. चौधरी : भारत सरकार ने २०० करोड़ नहीं दिया है। १० करोड़ दिया है।

Page No 75

श्री भीखाभाई : १२ करोड़ की योजना हमने बनवा कर भिजवाई। ताकि गृह-निर्माण को प्राथमिकता मिल सके। चौथी योजना का २०० करोड़ रुपया है। तो यह कुल मिलाकर १२ करोड़ की योजना भेज दी है। योजना में कटौती हो सकती है। मैं सारी बातें निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर कहा गया कि यह कामर्शियल आधार पर बनाया जाए। फिर लोगों को रहने को दिया जाए। राज्य सरकार ने यह आवास बोर्ड बनाया है मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर प्लाटों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं। मेरे सम्बन्ध में भी कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को वह अधिकार हैं, जो काम कर सकता है, जो जीनियस है, उसको वहां पर काम मे लगाये। यह चर्चा चली है कि यू. आई. टी. के अन्दर जो नामीनेट किये जाते हैं वह चुनाव में हारे हुए हैं।

श्री मदन सिंह दांता : जब आप हारेंगे तो मालूम पड़ेगा।

श्री भीखाभाई : कोई आदमी चालाकी करके आ जाता है। इस प्रकार के हथकण्डे अलग प्रकार के हैं। अगर कोई हार जाता है तो उससे उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती है। उनमें सामाजिक काम करने की योग्यता होती है, ऐसा में मानता हूं। किसी और सदस्य को कहा जाए वैसा मैं नहीं मानता हूं। राज्य सरकार जो उचित समझती है, वह करती रहेगी।

(हियर-हियर)

मैं किसी के प्लाट-व्लाट को बात नहीं करता हूं। जो बात उनसे मेरी हुई है। जो बात कही गई है, उसे अगर कोई साबित करे कि मेरे नाम से या मेरी लड़की के नाम से मैंने कोई प्लाट लिया तो या तो वह सदस्यता छोड़ दें या मैं छोड़ दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप ने अभी स्वीकार किया है।

भीखाभाई : बता दिया है।

उनको बताया है जो पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, यह कहते हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : अभी पेट भरा नहीं है ?

श्री भीखाभाई : हाउसिंग बोर्ड का जो था वह मैंने निवेदन किया है। गरीबों के हित में, राजस्थान में गृहनिर्माण के लिए यह आर्डिनेन्स लागू करना पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे की कार्यवाही शुरू की जाए।

श्री सभापति : १२ फरवरी से अब तक हाउसिंग बोर्ड ने जो काम किया हो, वह जानकारी दे दें तो फर्दर कुछ नहीं होगा।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड का गठन जिस आधार पर हुआ, उसके लिए आर्डिनेन्स निकला। चार सदस्य गैर सरकारी नोमीनेट हुए हैं। सेक्रेटरी की नियुक्ति अब तक हुई नहीं है। एक बात में निवेदन करना चाहूंगा कि चेयरमैन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से सम्पर्क कर रहे हैं। जो स्कीम हम ने भेजी है वह जल्दी से जल्दी पास जाए हो। भारत सरकार द्वारा जैसी कि भावना व्यक्त की गई है, उसकी अरजेन्सी को समझते हुए सभापति महोदय मैंने हाउसिंगबोर्ड का अध्यादेश जारी किया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश, १६७० के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव श्रीसतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया

श्री भैरोंसिह : एज हैव इट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नोज हैव इट।

श्री भैरोंसिह : दुर्भाग्य यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल यहां हैं नहीं।

श्री सभापति : The leader must feel proud of such members.

श्री भैरोंसिह : क्या करें सतीशचन्द्र जी अग्रवाल वहां पर हैं।

राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १६७० पर विचार

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय में प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १६७० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत हुए हैं।

(१) **श्री मूलचन्द डागा** (वि० सं० ११३)

(२) **श्री वृद्धिचन्द जैन** (वि० सं० ८६)

(३) **श्री कृष्णकुमारगोयल** (वि० सं० १६)

(४) **श्री श्रवणलाल** (वि० सं० १६१)

(५) **श्री रामचन्द्र आर्य** (वि० सं० १३०)

(६) **श्री हरकरीम बुरड़क** (वि० सं० १७४)

(७) **श्री रामानन्द अग्रवाल** (वि०सं०१३७)

(८) **श्री रामनारायण चौधरी** (वि० सं० १३३)

(९) **श्री शिवनाथसिंह** (वि० सं० १५८)

(१०) **श्री देवीदत्त गाड़िया** (वि०सं० ५२)

(११) **श्री गंगासहाय** (वि० सं० २४)

(१२) **श्री पी०के चौधरी** (वि० सं० ७१)

(१३) **राजवी श्री रूपसिंह**

क्रमश : प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:—

१. "राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक १६७० को /तीन माह/दो माह/एक माह छः माह/तीन माह/एक माह/तीन माह/एक माह/तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) **श्री दुर्गालालबाढ़दार** (वि० सं० ५०)

(२) **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (वि० सं० १२१)

(३) **श्री भगवानदास शास्त्री** (वि० सं ६३)

(४) **श्री शंकरलाल** (वि० सं० १५४)

क्रमश : प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:—

२. 'राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १६७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/तीन माह एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, जो राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १६७० हैं······

श्री सभापति : मंत्री महोदय का उत्तर आने के बाद भी आप इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : आप यह चाहते हैं कि आज पास नहीं हो ? आप यही चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके लिए मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु तीन माह के लिए परिचालित किया जाय। यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है......

श्री सभापति : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) एक्सक्यूज मी ! मंत्री महोदय ! मैं एक जानकारी करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में, यह हाउसिंग बोर्ड और स्टेट्स में भी गठित हुए हैं, वहां पर जो लेजिस्लेशन हुए हैं उनमें से यह फंस लेजिस्लेशन है। साधारणतया सदन में यह परम्परा रही है :

Such important legislations-they are generally referred to Select-Committees.

इसमें ६३ क्लाजेज हैं, यह इम्पार्टेन्ट पीस आफ लेजिस्लेशन है, नया लेजिस्लेशन है, तो क्या किसी स्टेट में ऐसा हुआ है कि ऐसे लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में आर्डिनेन्स जारी करके उसको विधान सभा में ही पारित किया हो और उसको सलेक्ट कमेटी में रेफर न किया गया हो ? यह जानकारी अगर आप दे सकते हैं तो इस जानकारी से माननीय सदस्यों को भी लाभ मिलेगा साधारणतः सदन के अन्दर यह परम्परा रही है कि इम्पार्टेन्ट लेजिस्लेशन सलेक्ट कमेटी में जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आसन को यह अधिकार है कि वह मंत्री महोदय को सलाह दे ?

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, इस विधेयक को सदन द्वारा पारित करने की बात है। अगर इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने की बात होती तो इसके सम्बन्ध में आर्डिनेन्स जारी करने की बात नहीं होती, आर्डिनेन्स जारी करने का सवाल नहीं उठता था। इसके लिए मैंने सदन के समक्ष कारण बताये कि ऐसा क्यों करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि यह बोर्ड १९७० के प्रारम्भ में गठित हुआ था और उसके पहले......

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है......

श्री सभापति : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आसान ने एक जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He is replying to our debate ? यह सप्लाई दे रहे हैं कि यह सलेक्ट कमेटी में रेफर नहीं होना चाहिए।

That will come after our resolution is moved.

यह रिप्लाई दे दें तो इसका मतलब यह है कि सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के प्रस्ताव पर बहस खत्म कर दें और इसे इसी सदन में पास कर दें :

श्री सभापति : It is too technical a matter.

गर्वमेंन्ट उससे एग्री करती है या नहीं? गर्वमेंन्ट एग्री नहीं करेगी।

गर्वमेंन्ट एग्री नहीं करेगी इसलिए आपके लाभ के लिए और मैंने अपनी जानकारी के लिए यह पूछा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर तो बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : मैं यह बात पूछ रहा था। यह जो आर्डिनेन्स जारी किया है, इसको जनवरी में गवर्नमेंट मूव कर देती और उस समय यह सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ विधान सभा के इस सत्र में यह सदन के सामने आ जाता। तो दोनों बातें हो सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट से आसन यह जानकारी चाहता था।

यस यू मूव योअर रिजोल्यूशन!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, राजस्थान आवासन वोर्ड विधेयक, १६७० को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। इससे सम्बन्धित प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है। उसके बारे में मैं इस सदन में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

मैंने इस विल के उद्देश्य और कारणों को गौर से पढ़ा है और उनको पढ़ने से, जो इसके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पढ़ने से मुझे बड़ा भारी संतोष मिला। प्रश्न यह है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस निर्णय को लेने जा रहे हैं इससे उस उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकेंगे या नहीं? यह प्रश्न बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। इसका जो उद्देश्य है वह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वैसे उद्देश्य का जिक्र इस बिल में भी कर दिया गया है और उसमें यह जिक्र है कि नगरीय क्षेत्रों के अन्दर आवास की समस्या और विकट हो जायगी इसलिए जब तक नगरीय क्षेत्र प्रभावकारी ढंग से आवासीय समस्या का समाधान न कर लिया जाय तब तक गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं वह आवासीय स्कीम का पूरा फायदा उठाने में असमर्थ रहेंगे। इस वास्ते यह आवासन बोर्ड विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। विशेष तौर से यह महसूस किया जा रहा है कि जो गरीब तब के के व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं उनके लिए तो फिर भी सरकार व्यवस्था करती है लेकिन जो दूसरे गरीब लोग हैं, उनके मकानों को व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार की तरफ से कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। जो मजदूरों का प्रश्न आता है, शहरों में, नगरों में मजदूरों के लिए मकानों की कोई व्यवस्था नहीं है, वह बड़ी गन्दगी में और कच्ची बस्ती में रहते हैं, उनके लिए कोई अच्छे मकान बनाने की व्यवस्था नहीं है। तो यह जो बिल प्रस्तुत किया है, इसका तो मैं, स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह एक आवश्यकता है और इस प्रकार का बिल बहुत जल्दी ही लागू हो जाना चाहिए था। आजादी के तेइस वर्ष के बाद में हम इस समस्या को गम्भीरता से ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने इसमें व्यवस्था क्या की है फंड्स की? राजस्थान सरकार ने पचास हजार रुपये की व्यवस्था इसके एक्सपेंडीचर, एक्सपेंसेज के लिए की है, इसके अलावा और कोई

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

व्यवस्था इसके सम्बन्ध में नहीं की है, केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रह कर स्कीम भेजी हैं, स्कीम भेजी हैं और कुछ स्कीम भेज रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार की योजना जब हाथ में लेने जा रहे हैं और गरीबों के आवास की व्यवस्था की समस्या को हम हल करने जा रहे हैं तो

राज्य सरकार को इसमें कुछ न कुछ हाथ बंटाना चाहिए. राज्य सरकार को भी इसमें कुछ राशि खर्च करनी चाहिए। अगर राज्य सरकार इसमें कुछ राशि खर्च नहीं करती है और सिर्फ केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहती है तो यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। तो पहला मेरा विशेष तौर से कहना है कि इसमें राजस्थान गवर्नमेंट भी कन्ट्रीब्यूट करे।

दूसरा क्लाज मैंने देखा है, उसमें कान्स्टीट्यूशन आफ बोर्ड है, उसके अन्दर मेम्बर रखे हैं वह चार आफिसियल हैं और चार नान आफिसियल में यह जरूर चाहता हूं कि जब हम गरीबों के लिए सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं और आवास की व्यवस्था करना चाहते हैं और उसके जरिये से समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यह चाहिए कि कान्स्टीट्यूशन आफ बोर्ड में नान आफिसियल सदस्य ज्यादा हों और ऐसे नान आफिसियल सदस्य लिये जायं जो वास्तव में समाजवाद में विश्वास रखते हों। इन्दरा गांधी ने विशेष तौर से मकानों की व्यवस्था के लिए, उसकी सुविधा के लिए गरीबों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए जोर दिया है और उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद देने जा रही है। तो इसका मतलब यह था कि गरीबों का तो तब ही लाभ हो सकेगा जब कि बोर्ड के सदस्य बने वह बहुत ही ईमानदार हों, योग्य हों और समाजवाद में आस्था रखते हों। के. एल. जैन का नाम आया, तो मुझको तो खुद को बड़ा भारी धक्का लगा। बराबर जितने बोर्ड का गठन मैंने देखा है उसमें जनरली पाया है कि कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पर, कभी लेबर के नाम पर किसी न किसी तरीके से पूंजीपति को हर एक बोर्ड में, निगम में भरा जाता है। यह जितने भी निगम हैं उन निगमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पूंजीपतियों की संख्या नान आफिसियल सदस्यों में काफी आयेगी...

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : समाजवादी हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह समाजवाद की तरफ जाने का रास्ता नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि के. एल. जैन जो सदस्य हो गये हैं, ऐसे सदस्य को कभी बोर्ड का सदस्य नहीं बनाना चाहिए और गवर्नमेंट ने भी यह जो निर्णय लिया है इस निर्णय को विथड्रा कर लेना चाहिए। इस बोर्ड में ऐसे सदस्य लाये जायं जो समाजवाद में आस्था रखते हों।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : वह पुरोहित हो सकते हैं!

श्री वृद्धिचन्द जैन : द्वारकादास पुरोहित के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने टिप्पणी की। मेरा उनके बारे में कहना है कि वह योग्य सदस्य हैं। वह जोधपुर गवर्नमेंट जब थी उसमें वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उनको इस बारे में बहुत जानकारी है और वह इसमें

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अच्छी तरह से कन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। लेकिन जहां तक फंड का प्रश्न है, उससे गवर्नमेंट वास्तव में जिस समस्या को हल करने के लिए इस आवासन बोर्ड का गठन करने जा रही है, उस समस्या का हल कर सकेगा भी या नहीं?

श्री दौलतराम सारण : उनकी समाजवाद में आस्था है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : समाजवाद में आस्था है, लोक परिषद् में रहे हुए हैं, प्रेसीडेन्ट जिला कांग्रेस कमेटी भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो इस प्रकार के सदस्य को चेअरमैन बनाया गया है…।

श्री दौलतराम सारण : के. एल. जैन शाहूजैन की सारी कन्सर्न को सम्भालते हैं और सुखाड़िया जी की पूरी व्यवस्था करते वह अयोग्य कैसे हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : के. एल. जैन अयोग्य हैं इसलिए कि जैसा मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वह समाजवाद में आस्था कुछ भी रखते नहीं हैं, उनका दृष्टिकोण कभी समाजवाद के अनुकूल नहीं रहा। तो जब समाजवाद के अनुरूप दृष्टिकोण नहीं रहा तो हम किस प्रकार मान सकते हैं कि इसमें उनको रखा जाय…

श्री सभापति : देट इज सफिसियेन्ट!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके अलावा मैं रूल्स के बारे में कहना चाहता हूं। यह जो बिल प्रस्तुत किया है, इसके साथ साथ में रूल्स बनने चाहिए। मैं जनरली देखता हूं कि रूल दो दो साल के बाद में बनते हैं, और दो दो साल के बाद रूल्स बनने के कारण उनका फिर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक एक्ट पास हो जाता है, उसके बाद दो दो साल तक रूल बनते नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी रूल्स नहीं बनाये हैं तो जल्दी से जल्दी रूल्स बनाये जायें। मैं चाहता हूं रूल्स के बारे में हमें गवर्नमेंट पूरी तरह विश्वास दे कि रूल्स कितने अर्से में बना दिये जायें। मैं इस कानून के बारे में विशेष तौर से जानना चाहता हूं कि रूल्स का निर्माण किया जायगा वह कितने अर्से में कर दिया जायगा? मैं भी यह व्यू होल्ड करता हूं कि यह यू. आई. टी हैं, यू. आई. टी के जो फंक्शन हैं वह भी इसके साथ सम्मिलित अगर कर लिये जाये, क्योंकि नगर पालिका का निर्माण करने, फिर यू. आई. टी का निर्माण करने और फिर हाउसिंग बोर्ड का निर्माण करने से, जो प्रान्त की वित्तीय स्थिति है वह इसके खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह हाउसिंग बोर्ड का होना आवश्यक है, लाजिमी है क्योंकि गरीब आदमियों के लिए मकानों का निर्माण करना है, यह गन्दी बस्तियों को हटा कर अच्छी बस्तिया बनानी हैं। इसलिए इस बोर्ड को बनाना आवश्यक है परन्तु यू. आई. टी के बारे में गवर्नमेंट सोचे कि इसका होना लाजिमी नहीं है, हालांकि यू. आई. टी के और इस आवासन बोर्ड के फंक्शन डिफरेन्ट है, परन्तु यह फंक्शन हाउसिंग बोर्ड को दिये जा सकते हैं। अगर हाउसिंग बोर्ड को नहीं दिये जायं तो यह फंक्शन नगर पालिका कर सकती है। तो यू. आई. टी. का होना हम किसी तरह से उचित नहीं मान सकते, और प्रान्त की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तो यू. आई.

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

टी. का होना उचित नहीं है। इसके साथ ही जैसा इल्जाम लगाया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो चुनाव में हारे हुए होते हैं, इन बोर्ड में लगा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि उचित व्यक्तियों को इनमें लगाया जाय। मैं इस चीज को महत्व का मानता हूं। इसलिए मेरी राय है कि यू. आई. टी. का जो गठन हुआ है···

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उसको समाप्त किया जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जब यह बोर्ड बना देते हैं और इसका गठन किया जा रहा है तो उसके होने की आवश्यकता नहीं है, यह यू. आई. टी सुपरफ्लुअस हो जाता है।

श्री दौलतराम सारण : हारे हुए व्यक्तियों को एडजस्ट कहां किया जायगा ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसको इसमें समाविष्ट कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक है इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(२ म. प.)

श्री सभापति : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के सम्बन्ध में यह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार राज्य के अन्दर हाउसिंग बोर्ड का निर्माण करने जा रही है, इसका आभास सबसे पहले बजट भाषण के समय वित्त मंत्रीजी से हमें हुआ था और हमने उसका स्वागत किया था। राजस्थान सरकार राजस्थान के अन्दर मकानों की समस्या को देखते हुए गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिये कुछ राहत देना चाहती है। उस भाषण में उन्होंने इस प्रकार का आभास दिया था कि हायर परचेज के आधार पर उन गरीब लोगों को जिनके पास कि रहने के लिये मकान नहीं हैं, उनको यह सरकार मकान बना बना कर देना चाहती है। लेकिन सभापतिजी, इस समय इस बिल को और इसकी धाराओं को देखा तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के वित्त मंत्रीजी बजट भाषण में एक बात कहते हैं लेकिन उस आधार पर जो बिल राजस्थान विधान सभा में रखा गया है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह सारा हाउसिंग बोर्ड का बिल है, क्या इसके किसी एक भी पैरा में या किसी स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है कि हाउसिंग बोर्ड मकानों का निर्माण कर के मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के लोगों को मकान देगा ? इस बिल में एक भी ऐसी धारा नहीं है। इसकी धारा १८ में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि मकान रहित लोगों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाये जा कर वितरित किये जायेंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में नहीं है तो फिर इस हाउसिंग बोर्ड के बनाने का क्या प्रयोजन है ? इस हाउसिंग बोर्ड के बिल के आधार पर आप इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है ? इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल राजनैतिक आधार पर चन्द लोगों को पनपाने के लिये आप इस प्रकार के अधिकार हमसे लेना चाहते हैं।

Page No 82

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

हमारे जनसंघ के माननीय नेता श्री-भैरोंसिहजी ने आज प्रारम्भ में ही कहा था कि राज्य सरकार इस बिल के आधार पर कुछ लोगों को चेयरमेन, मेम्बर्स और एड्वाइजरी कमेटियों के सदस्य के रूप में लेकर उन्हें राजनैतिक आधार पर पनपाने के लिये यह अधिकार लेना चाहती है। सारा सदन यह जान कर आश्चर्य करेगा कि इस बिल में किसी एक व्यक्ति को ही रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था नहीं है, अपितु पूरा का पूरा कुनबा, इस बिल के पास हो जाने के बाद पनपाया जायगा, इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में की गई है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि नान आफिशियों चियरमेन के अलावा ३ इसके मेम्बर होंगे, कमेटियां होगी, वह कमेटियां स्थान स्थान पर बनाई जायेंगी और इनको अधिकार होगा कि अपनी सलाह के लिये एड्वाइजर्स मुकरर कर सकते हैं, ३ एड्वाइजर्स रख सकते हैं। तो इस तरह से एक चेयरमैन होगा, ३ सदस्य होंगे, हर स्थान पर कमेटियों का निर्माण होगा और ३ व्यक्तियों को एड्वाइजर्स के नाम पर उनको रुपया देने के लिये यह बोर्ड रख सकेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार के बिल पर सहमति दे कर, राज्य सरकार को जो कि आज तक राजनैतिक आधार पर कुछ आदमियों का पोषण और दूसरों का शोषण करती आई है, उस राज्य सरकार को हम इस प्रकार के अधिकार दें कि आप मन चाहे व्यक्तियों को, जो कि इलेक्शन्स में हार जाते हैं, जिनको राजस्थान की जनता ठुकरा देती है, उनको पेन्शन और वज़ीफे के रूप में पैसा दे कर आज आप पनपाना चाहते हैं, यह सदन इस प्रकार के बिल को कभी पास नहीं होने देगा, हम ऐसे अधिकार राजस्थान सरकार के हाथों में नहीं देंगे।

सभापति महोदय, एक और प्रश्न अहमियत का आता है। मैं तो कहता हूं कि यह राज्य सरकार दृढ़ता के साथ क्यों नहीं कहती कि हमें इन स्वायत्त संस्थाओं में विश्वास नहीं है, इस पंचायत सिस्टम में, नगरपालिकाओं में और दूसरी स्वायत्त शासन संस्थाओं में विश्वास नहीं है। राज्य सरकार यह स्पष्ट रूप से कहे तो कुछ समझ में भी आये पर एक तरफ तो राज्य सरकार यह नारा देती है कि हम स्वायत्त शासन संस्थाओं को पनपाना चाहते हैं, हम स्वायत्त शासन संस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार दे कर उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं।

(२.०५ म प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

और दूसरी तरफ राज्य सरकार इन स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारों और कर्त्तव्यों पर कुठाराघात कर के सारे अधिकार उनसे छीन रही है, पचायतों के सारे अधिकार अपने हाथ में ले रही है, उसी प्रकार नगरपालिकाओं के अधिकारों को संकुचित करती चली जा रही है। आज नगरपालिकाओं के सिर पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स और मंडी कमेटियों का निर्माण किया गया है, जिनमें मनचाहे लोगों को राजनैतिक आधार पर संरक्षण दिया गया है।

पंचायतों के चुनावों को हुए कितना समय हो चुका है। नगरपालिकाओं के चुनाव

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कितने सालों से ड्यू चले आ रहे हैं पर, नगरपालिकाओं के चुनाव सरकार किस माह तक करा देगी, इस प्रकार का डेफिनेट आश्वासन राज्य सरकार आज नहीं दे सकती तो हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का अधिकार राज्य सरकार को दें जिससे इस प्रकार का बोर्ड बना कर अपने मनचाहे आदमियों का राजनैतिक आधार पर पोषण करें।

हमें यह अनुभव नहीं होता था कि यह सरकार हाउसिंग बोर्ड बना कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स और नगरपालिकाओं के अधिकारों पर इस प्रकार कुठाराघात करेगी। पर इस बिल की धाराएं स्पष्ट हैं, हाउसिंग स्कीम की सेक्शन २६ (२) मे फंक्शन बताये हैं······

"(2) The Housing Scheme may be of one of the following types, or combination of any two or more of such types or any special features there of, namely:—

(a) a house accommodation scheme;

(b) a rebuilding scheme:

(c) a rehousing or rehabilitation scheme;

(d) a city or town or village expansion scheme;"

अगर आप सिटी, टाउन्स आदि की एक्स्पेन्शन स्कीम्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इस हाउसिंग वोर्ड को देना चाहते हैं तो फिर इन नगरपालिकाओं और मंडी कमेटियों का क्या कर्त्तव्य होगा, ये क्या करेगी ? अर्बन डेवेलपमेंट, स्लम क्लीयरेंस, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम यह सब आपने हाउसिंग बोर्ड के अधिकार में दी हैं, इस प्रकार : "(f) a land development scheme; (g) a general improvement scheme; (h) an Urban Renewal Scheme including Slum Clearance or Slum Improvement Schemes; or (i) a Subsidised Industrial Housing Scheme".

क्या आप इस स्कीम के लिये लोगों को कर्जा एड्वान्स के रूप में देंगे। अगर आपकी यह योजना है तो हाउसिंग स्कीम के लिये आपने आश्वासन दिया था कि मकान बना बना कर लोगों को हायर परचेज सिस्टम पर देंगे, वह स्कीम आपकी कहां धरी रह जायगी ?

राजस्थान सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया था, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है कि मकानों की समस्या को राजस्थान में किस तरह से हल किया जा सकता है। उस रिपोर्ट को हमारे सामने रखना चाहिये था, पर आप उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहते और सदन को उसके विषय में अन्धेरे में रख कर यह बिल पास करवाना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। यह स्पष्ट नहीं है जो वित्त मंत्रीजी अपने बजट भाषण में कहते हैं, वह मंशा इस बिल में हमें नहीं दिखती। जो लोग राजस्थान की जनता द्वारा नेग्लेक्टेड हैं, जिनको राजस्थान की जनता ने ठुकरा दिया है, ऐसे रिफ्यूज को इस हाउसिंग बोर्ड में इन पदों पर नियुक्त कर के उनका पोषण करना चाहती

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

है और राजनैतिक आधार पर राजस्थान में राज्य सरकार राजनैतिक दमनचक्र चलाना चाहती है।

आज राजस्थान में मकानों की आवश्यकता है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रहने के लिये मकान मिले आज इस बात की आवश्यकता है। वित्त मंत्रीजी ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया था कि अपेक्स कोओपरेटिव बैंक हाउसिंग कोओपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से पिछड़ी जातियों के लोगों को परिगणित जातियों के लोगों को लाइफ इन्श्योरेंस के माध्यम से ऋण देगी। वह योजना अलग है। तो एक योजना अलग है उसके द्वारा शिडूल्ड कास्ट व शिडूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को रिहैबिलिटेट करने का प्रयास किया जायगा लेकिन यह जो हाउसिंग बोर्ड की स्कीम थी, यह दूसरे व्यक्तियों के लिए, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो अल्पाय के लोग हैं; जिनके पास पैसा नहीं है, उनको मकान बनाकर सरकार हायर परचेस के आधार पर वितरित करेगी, यह योजना इस विधेयक के अंदर कहीं भी अंकित नहीं है। किसी भी धारा के अंदर एक शब्द भी नहीं है कि हम मकान बनवाकर हायर परचेज के आधार पर गरीबों को वितरित करेंगे।

राज्य सरकार ने पहले भी बोर्ड बनाए हैं जैसे जल बोर्ड बनाया था, उसका क्या था ? किस पर्पज के लिए बनाया गया था, किस प्रकार से राजनीति उसके अंदर घुस गई और करोडों रुपए उसके अंदर डम्प होकर खत्म हो गए, आज तक पता नहीं कि कितना निर्माण कराया। यह बोर्ड बनाकर आप केन्द्रीय व राज्य सरकार व अन्य साधनों से रुपया प्राप्त करें, आप कुछ लोगों को अधिकार देना चाहते हैं। हम राज्य सरकार को देने को तैयार हैं, उस बोर्ड से सरकारी अधिकारी जो आर. ए. एस. या आई. ए. एस. हैं, उनके अधीन बोर्ड का निर्माण करें और यह बोर्ड नगरपालिकाओं, पंचायतों व दूसरी स्वायत शासन संस्थाओं का मार्गदर्शन करें, टाउन प्लानिंग हो उसके अनुसार योजनायें बनें, योजनाओं के अनुसार मकान बनें और मकानों का विस्तार हो, आज आवश्यकता इस बात की है।

सरकार पैसा अपने पास ले इकट्ठा करके जो स्वायत शासन संस्थायें हैं उनको रुपया दे, उनको अच्छे से अच्छे टेक्नीशन्स दिए जायें, इंजीनियर्स दिए जाय ताकि उस आधार पर अपने नगरों का विकास कर सकें। लेकिन सरकार आवश्यकता को नहीं देखती और समस्या का निराकरण इस बिल को पास करवाकर राजनैतिक मन्शा पूरी करना चाहती है और इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ताकि राजस्थान की जनता अपनी राय विधान सभा तक पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल (अनुपस्थित)।

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचंद्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, आवासन बोर्ड का गठन करने के लिए जो विधेयक सदन में पेश हुआ है उसका

(श्री रामचन्द्र आर्य)

में विरोध करते हुए, यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अनेक वार पहले भी इस प्रकार के बोर्ड बने और राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया जिससे आम लोगों को लाभ नहीं मिला। अभी इस बिल को पास करने से पहले जनता में इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और आगामी अधिवेशन तक इस पर राय जानने के बाद ही इसको पास किया जाय क्योंकि यह सरकार इस प्रकार के बोर्ड, यू० आई० टी० और इसी प्रकार का संस्थायें राजस्थान में खड़ी करके राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई को बेकार लुटाना चाहती हैं और अपने समर्थकों को इस में लाभ पहुँचाना चाहती है। इसका उदाहरण माननीय भैरोंसिहजी ने दिया कि हारे हुए आदमियों को इस प्रकार के बोर्डों में नियुक्त किया जाता है। उनको लाभ पहुंचाने के लिए या अपने भाई भतीजावाद को पनपाने के लिए इस प्रकार के बोर्डों का गठन किया जाता है। जबकि चाहिए यह कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही इस प्रकार के बोर्ड में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए क्योंकि वे जनता से चुन कर आते हैं, लेकिन सरकार जिस प्रकार से हारे हुए आदमियों को प्रोत्साहन देती है, कोई भी सरकार इस प्रकार का काम नहीं कर सकती लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार क्या करना चाहती है? २० सालों में जनता को कितना लाभ पहुँचा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इससे प्रजातंत्र में भरोसा नहीं रहा है। इसका प्रमाण यह है कि न नगरपालिकाओं के चुनाव कराए जाते हैं न पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं और अपने मनमाने ढंग से इस प्रकार के बोर्डों का गठन किया जाता है और जब विधान सभाओं में इसका विरोध होता है तो विधान सभा की बैठकों के स्थगित होने के बाद राज्यपाल से अध्यादेश जारी कराए जाते हैं, जिसके अनेक उदाहरण आज सामने आ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार से जो सहायता मिलने वाली है, उसका उपयोग करने के लिए इस विधेयक को सही रूप में पास किया जाय और आम लोगों की भलाई के लिए ईमानदार लोगों को इस बोर्ड में रखा जाय जो राज्य के २ करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई को सही उपयोग करें, बेईमानी न हो, तब तो हम समझेंगे कि आगे चल कर कुछ गरीब लोगों को लाभ मिलेगा, अन्यथा क्या होगा? अपने लोगों के लिए ही मकान बनेंगे, अपने लोगों को ही फायदा पहुँचेगा जैसे अतीत में यह परंपरा रही है।

राजस्थान में जितने भी गरीब लोगों को मकान की तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए इस प्रकार के बोर्डों का गठन करना जरूरी है लेकिन बिल पास करने से पहले लोगों की राय जाननी चाहिए। किस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं और किन लोगों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, इसकी जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए जिससे लोगों के दिल में विश्वास पैदा हो कि जितना भी धन इस बोर्ड के द्वारा खर्च होगा वह गरीब से गरीब को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। अन्यथा यह होगा कि जितने पहले बोर्ड बने, वह भी इस अन्धेरे में बह गए और किसी को लाभ नहीं मिला। उसका परिणाम यह है कि राजस्थान में चारों तरफ निराशा छाई हुई है। सरकार के प्रति जनता में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

विश्वास नहीं रहा है, यही कारण है कि आम जनता की धारणा को इस प्रकार से झकझोर करने वाली घटनायें हैं, इन्हीं कारणों से आज लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कहने को समाजवाद का ढोल पीटते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं लेकिन समाजवाद लाने वाली सरकार के तरीके दूसरे हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराना चाहती। जिसके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं और राजस्थान में ऐसा कमीशन नहीं बिठाना चाहती जिससे जिन लोगों ने सरकार के धन का दुरुपयोग किया है, लोगों की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया है, निजी फायदा उठाया है, उनको सजायें मिले लेकिन यह सरकार नहीं चाहती। यह सरकार इस बात पर टिकी हुई है कि चंद बदमाश लोगों का सहारा लेकर हम कुर्सी पर बने रहें और ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे, असंतोष इस सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा लेकिन यह प्रजातंत्र के लिए घातक है, प्रजातंत्र में जनता का विश्वास होना जरूरी है नहीं तो प्रजातंत्र टिक नहीं सकेगा। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कैसे सरकार ने प्रजातंत्र को ताक पर रख दिया है और गोली के बल पर कायम रहना चाहती है और जो इनके भ्रष्ट समर्थक हैं उनके बल पर अपना राज्य कायम करना चाहती है। जिसके आगे चल कर बहुत भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। क्योंकि आज देश में चारों तरफ से आग धधक रही है और लोगों को इस प्रकार का वहम पैदा हो गया है कि यह सरकार वफ़ादार नहीं है और बफादार न

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

होने के कारण ही ईमानदारी के लोगों के पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करती है और जो लोग गड़बड़ी करते हैं उन लोगों को सजा देने के लिये तैयार नहीं है। शासन व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिये सरकार का ईमानदार होना जरूरी है और उसमें जनता का विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। इस बिल के बारे में यही राय प्रकट करता हूँ कि इस को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय और पारित न किया जाय क्योंकि जिस प्रकार से बिल पारित होने के बाद बोर्ड का गठन होगा और धन का इस्तेमाल किया जावेगा उसकी जानकारी आम आदमी को होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं। आज इसको पारित न किया जाय और जनमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाय।

कई माननीय सदस्यः सभापति महोदय।

श्री सभापति : एक आवश्यक सूचना है।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति, १९७०-७१, प्राक्कलन समिति, सन् १९७०-७१ एव राजकीय उपक्रम समिति, १९७०-७१ से नाम वापिस लेने का समय आज सायंकाल ५ बजे तक रखा गया था। अध्यक्ष महोदय ने, कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर, इन समितियों से जो माननीय सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहें उनके लिये कल दिनांक ७-४-७० सायंकाल ४ बजे तक का समय बढ़ा दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस बिल पर हम विचार कर रहे हैं यह हमारे राजस्थान के विकास के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। जिस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए, जिनका उल्लेख माननीय मंत्रीजी ने ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में किया है वह उद्देश्य अवश्य सही दिशा में है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में ही क्या वैसे सारे देश के बारे में कह सकते है कि हाउसिंग की समस्या, लोगों की जो आवश्यकता हैं, प्रथम खाने की और दूसरे नम्बर पर रहने की, आवास की जो समस्या है मनुष्य की उसकी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है वह वे दूसरे नम्बर पर आती है और वह समस्या आज कितनी गम्भीर है, वह सब ही माननीय सदस्य जानते हैं। आज अगर हम गांवों में जाकर देखें तो बहुत बड़ी तादाद गांवों की ऐसी मिलेगी जिनमें एक भी मकान पक्का नहीं है। हर साल गर्मी के दिनों में अगर बांस उसमें लगा हुआ है छप्पर में तो आंधियों की रगड़ से बांस में अग्नि पैदा होने की वजह से आग लग जाती है या गांवों में किसानों हुक्का बीड़ी पीने की वजह से हवा चलकर और वह चिनगारी कहीं पर जाकर छप्पर पर लग जाती है इसकी वजह से गांव बरबाद हो जाते हैं। शहरों में जो कुछ बस्तियां हैं, जो इस तरह के छप्पर से हैं, हर साल अग्निकाण्ड, बरसात और इसी प्रकार से फ्लडस वगैरा आजाय तो उसके शिकार बहुत बड़ी तादाद के अन्दर जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, हमारे देश के अन्दर होते रहते हैं और ये जो भी लोग रहने वाले हैं इस प्रकार मकानों में वे सब हमारे समाज में अधिक पीड़ित लोग हैं, हरिजन वर्ग या आदिवासी वर्ग या फिर आर्थिक दृष्टि से बहुत कम आमदनी वाले लोग, किसान मजदूर, निम्न मध्यवर्गी लोग इकोनोमिकली सबसे नीचे का तबका है, वह वह सारा का सारा जो हमारे समाज में लगभग ८० प्रतिशत लोग होंगे जो आज आवास की समस्या से प्रभावित हैं और जिनकी आवास की समस्या का हल हमें करना है।

सभापति महोदय, अभी पिछले सितम्बर के महीने हमारे जिले में बाढ़ आयी थी और उस बाढ़ में जो स्थिति इन लोगों की हुई पानी आकर एक दम से जैसे छप्पर थे उनमें भी कुछ नहीं रहा, जो भी उनकी चारपाई, बिस्तर, अनाज वगैरा ये सबके सब पानी के भेंट हो गये। और इस तरह से करीब १५ हजार परिवार, खुद इसको सरकार ने माना है, किसी का एक छप्पर, किसी के दो छप्पर, सब के सब बरबाद हो गये और एक दम से उनके लिये भयंकर आपत्ति आ गयी ऐसी स्थिति में वे आगये।

सभापति महोदय, यह आवास की स्थिति आज हमारे सारे देश में, सारे प्रान्त में है। हमने जो भी योजनायें बनायीं, हाउसिंग लोन्स दिये मिडिल इन्कम ग्रूप और लो इनकम ग्रुप को, उस योजना से लाभ उसके तबके तक बिलकुल नहीं पहुँचा। या तो बिलकुल नहीं पहुंचा या पहुंचा तो बिलकुल छोटे परसेन्टेज तक पहुंच मिडिल ग्रुप का सवाल है, ५०० से एक हजार तक की आमदनी के लोग जो साधन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सम्पन्न और मिडिल क्लास के लोग हैं और उसका भी लाभ ऐसे लोगों ने उठाया जो एक हजार की या उससे ऊपर की इनकम के लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता नहीं थी। लो इनकम ग्रुप में भी ऐसे लोगों ने लाभ उठाया कि जिनको लाभ नहीं उठाना चाहिये था लेकिन फिर भी उन्होंने आवास की कुछ समस्या हल की जो कि शहरों तक ही सीमित थी, कस्बों और गाँवों तक छूई तक नहीं और कस्बों में भी बहुत ही सीमित मात्रा में, गिनती के लोगों तक वह पैसा पहुंच पाया और उसकी वजह से जो भी मकानात बने है वह थोड़ी समस्या हैं। इसलिये समस्या ज्यों की त्यों है। जैसा हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने कहा कि छोटे तबके को इस योजना से लाभ नहीं पहुंचा उसका रूप हमारे यहां देख सकते हैं। अगर हमारी सरकार हाउसिंग प्राब्लम को इस दृष्टिकोण से कि नीचे के तबको को सहायता देने के लिये जो अपना मकान खुद बनाने में सक्षम नहीं है और जिनको फौरन। स्टेट के हेल्पिंग हेन्ड की आवश्यकता है, उस दृष्टिकोण को सामने रख कर ही अगर गवर्नमेंट यह बिल लाती है तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

सभापति महोदय, फिर यह जो मैं समझता हूं सरकार यह जो इस बिल में दिया है और इस बिल के जरिये वह इस बोर्ड को स्थापित करना चाहती है, कर रही है उसको हम सही तौर पर जब कर सकते हैं जब कि अपना उद्देश्य स्पष्ट हो कि आवास की समस्या हमारे प्रांत में किस रूप में मौजूद है? किस दशा में हम को उसको टेक्ल करना है? सभापति महोदय, मैं समझता हूं यदि इस रूप में इस प्रोब्लम को देखने का प्रयत्न करें तो यह प्रोब्लम पहले तो इस रूप में देखनी होगी कि यहां ऐसे बहुत-से लोग किसी न किसी जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने कच्चे या अध-कच्चे मकान बनाये हुए हैं, देहातों में भी, कस्बों में भी और शहरों के अन्दर भी। देहातों में कस्बों में, शहरों में उन्होंने अपने कच्चे और अध-कच्चे मकान बनाये हुए हैं उन लोगों को कानूनी तौर जिस तरह से हमारे गांव आबाद हुए हैं, जिस तरह से कस्बे आबाद हुए हैं या शहर आबाद हुए हैं लोगों को लेबर की जरूरत पड़ी, श्रमिकों की जरूरत पड़ी और श्रमिकों को लाकर यहां बसाया गया और उस जमीन के कोई पट्टे उन्होंने नहीं लिये और न उनको दिये गये। उस जमीन पर उनका टाइटिल डिस्पुटेड हैं, अभी तक सरकार उसको नहीं मानती है और इस रूप में जब तक सरकार की, पंचायतों की, म्युनिसिपेलिटीज की, यू. आई. टीज. की स्कीम नहीं है जब तक वे लोग उस पर बसे हुए हैं लेकिन अभी तक उनकी किस्मत अधर में लटकी हुई हैं, हर वक्त सरकार की लोकल बोडीज के किसी भी हमले के वे शिकार बन सकते हैं। इस रूप में मैं यह निवेदन करना चाहता हू सभापति महोदय, हाउसिंग की प्राब्लम को टेक्ल करते समय सब से पहले हमको इस प्रोब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिये आप लोगों को मकान बना कर दोगे यह जो पीछे की बात है–लेकिन जो लोगों को शेल्टर है, जितनी आवास की व्यवस्था जिस किसी तरह की है पहले वह प्रोटेक्ट होनी चाहिये। इस को प्रीफरेंस पहले मिलना चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टीनेन्सी एक्ट की धारा ३१ के तहत देहातों में जो लोग बसते हैं, जो किसान, गैर किसान और मजदूर लोग बसते हैं, उस धारा ३१ के तहत हमने यह प्रावधान किया कि उन लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, आर्टिसन्स को अपनी न्यूनतम आवश्यकता के लिये मकान बनाने के लिये जमीन मुफ्त मिलेगी। यहां में यह निवेदन करना चाहूं गा सभापति महोदय आपके जरिये से सरकार को यह धारा डेड लैटर के रूप में रखी हुई है। इसका उपयोग नहीं हुआ है। जहां सरकार की यह जिम्मेदारी थी, रेवेन्यू मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी थी; अगर सही तौर से लोगों को आवास देना चाहते हैं तो जो लोग आवास हीन हैं, जिनको आवास की किल्लत रहती है उनको धारा ३१ का फायदा देते हुए और लोगों को जमीन को ऐलाट किया जाता। सभापति महोदय, हमारे यहां रेवेन्यू लॉ कमीशन गठित हुआ था उस कमीशन ने एक क्वेश्चनियर जारी किया था और उसमें यह पूछा था कि दफा ३१ के तहत (घंटी) किन किन जिलों में, मुझे समय बहुत लगेगा सभापति महोदय; काफी कहना है इसके बारे में जमीन ऐलाट हुई है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी जिले से कोई रिपोर्ट नहीं आई ? एक भी केस में धारा ३१ के तहत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत किन्हीं भी भूमिहीन को, किसान को, आर्टीशन्स को कहीं जमीन ऐलाट की गई हो। तो यह दृष्टिकोण लोगों के आवास के प्रति हमारा है। यह कोई नई बात नहीं है। जहां पर पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज या फिर जहां पर शहरों के अन्दर यू. आई. टीज. है उन तमाम जमीनों के बारे में लोगों को अनधिकृत आक्यूपेन्ट्स मान कर, उनको ट्रेसपासर मान कर बेदखल किया जा रहा है। उन लोगों को उन जगहों से हटाया जा रहा है ? जयपुर में देख लीजिये जोधपुर, उदयपुर, कोटा जगह जगह पर यह हो रहा है। जब शहरों के बड़े लोगों को मजदूरों की जरूरत हुई उन लोगों को गांवों से बुलाया गया और गन्दी से गन्दी जगहों पर उनको बसने दिया गया और जब शहर बन गया तो उन लोगों को उस जगह से भी बेदखल किया जा रहा है। कहा जाता है सड़क बनानी है और जो कच्ची बस्तियां है, उनके लिये आप कहते हैं उनका हम डेवलपमेंट करेंगे ? इस तरह से आप इन लोगों को हटा कर बड़े लोगों को वह जमीन दे देंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : जिन लोगों ने संकल्प पर बोलने के लिये नाम दिया है उनके लिये कितना समय निर्धारित किया है। उन सदस्यों को भी समय मिलेगा ? क्योंकि मेरा नम्बर लास्ट में है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। करीब १५ सदस्य, इस पर बोलना चाहते हैं। जारी रखें.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली प्राब्लम यह है कि जो जमीन के ऊपर गांव, शहर और कस्बों के अन्दर जो भी लोग रह रहे हैं उस जमीन पर जिस तरह से आर्डिनन्स निकाल कर किसानों के राइट्स को अपने प्रोटेक्ट किया था बेदखल होने से—उसी तरह से सबसे पहले इन्टरिम मेजर सरकार को यह लेना चाहिये, तमाम उन लोगों को जो अपने मकान कच्चे बनाकर शहर, कस्बे

Page No 90

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और देहातों में रहे हैं, उन लोगों के लिये इन्टरिम तौर पर यह कानून जारी कर देना चाहिये कि अगले फैसले तक उनको वहां से वेदखल नहीं किया जायेगा। यह आवास के रूप में सरकार को सब पहले कदम उठाना चाहिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर सरकार ने घोषणा की है गांवों के अन्दर हम लोगों को इस तरह से फ्री जमीन देगें। यह घोषणा टीनेन्सी एक्ट की धारा ३१ के तरह है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसमें एक तो पंचायतें बीच में रोड़ा अटकाती हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जो हरिजनों को जमीन नहीं देना चाहते हैं। और इस तरह से डेड लेटर की तरह कानून पड़ा हुआ है, यह साफ है। यह केवल एक तरफ से छूट गया है और लोगों को राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हुए हैं। यह जमीन देने की बात मैं कह रहा हूं, जिनके पास जमीन है उनको प्रोटेक्टशन होना चाहिये और इसके लिये एक इंटरिम आर्डिनेन्स निकाल कर इनको प्रोटेक्ट कर देना चाहिये। इसके अलावा नम्बर दो में यह होना चाहिये कि जो उसमें रह रहा हो उनको उस जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिये, उनको वह जमीन जो वहां है, उसके मालिक करार कर देना चाहिये जिनके पास और मकान नहीं है। और ऐसे लोग जिनके पास मकान है और कब्जा कर लिया है उनको इसमें कवर नहीं करना चाहिए उनको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिये। और न मैं उनको प्रोटेक्ट करना ही चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जिनके पास और मकान नहीं है उनको हम डिक्लेअर करें और रेवेन्यू लॉ कमीशन में माननीय इरीगेशन मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं जो भी मेम्बर थे-लॉ कमीशन ने यहां तक कहा है कि जहां तक नान म्युनिसिपल एरियाज का सवाल है यह रिकमन्ड किया है जो बिल पेश किया है इससे फैक्टो यह राइट दिया है कि यह स्टेच्यू एक पर्टीकूलर डेट से जब हम लागू करे उस रोज से हो भूमि पर आवास के रूप में नान-म्युनिसिपल एरियाज में जहां पर वे रहता हो, वहां उसके मालिक करार दे दिया जायेगा। अनफारचुनेटली गवर्नमेन्ट ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको केवल नोन म्युनिसिपल एरियाज के लिये ही नहीं बल्कि म्युनिसिपल एरिया पर भी लागू करना चाहिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर राज्य सरकार यह कहे कि हमारे पास मिसाल नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे सामने केरल की मिसाल है केरल की युनाइटेड फण्ड की सरकार ने जिसको कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रही है उन्होंने कानून बनाकर गांवों के अन्दर दस टेण्ट्स और कस्बों में ५ टेण्टस और शहरों में दो टेण्टस इतनी जमीन फ्री आफ चार्ज देने का कानून बनाया है। उस पर उसको मालिकाना हक दिये जायेंगे इस तरह से उन लोगों ने इसको कानूनी शेप भी दे दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कानून की तहत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कोटा, अजमेर इस प्रकार के बड़े शहरों में वहां हरेक को सौ स्क्वायर यार्ड जमीन फ्री मिलनी चाहिये। अगर हम भी यह घोषणा करें तो इसके लिये हमें प्रसन्नता होगी। इसके लिये राज्य सरकार यह कहे कि जो ऐसी बस्तियां हैं जो अन डेव्लप्ड हैं टेढी मेढी बसी हुई है उनको कैसे रेगुलेराइज कर दिया जाय। सभापति महोदय, आज तो उन लोगों के सामने इसी में जिन्दगी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बिताने की है। अगर उनके आवासीय राइट्स दे दिये जांय और फिर उनको डेवलपमेण्ट स्कीम्स के तहत एडजस्ट करिये। एज आफ देयर राइट्स एडजस्ट होंगे तो आपकी डेवलपमेण्ट स्कीम की तहत उनको उजाड़ा भी जायगा तो उसके बदले उनको जमीन मिलेगी और इस तरह से वे गरीब बेचारे अपने रहने के लिए निवास की व्यवस्था कर सकेंगे। जब आप जोतने वाले किसान को खातेदारी हक मिल सकते हैं तो रहने वाले इन्सान को उसकी जमीन पर जिस पर वह झोंपड़ी बनाकर रह रहा है उसको खातेदारी हक क्यों नहीं मिल सकते। मालिकाना हक मिल सकते हैं ? हम सोशल जस्टिस की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को यह करना चाहिये। लोगों की आवास समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह करना होगा।

सभापति महोदय, बहुत से लोग न केवल सरकारी जमीन पर बल्कि प्राइवेट जमीन पर भी बसे हुए हैं आप जयपुर में जानते हैं ऐसी कई बस्तियां है। कितने ही जागीरदारों की जमीन है, महारानी की जमीन है, महाराजा की जमीन है। जहां मोहल्ले बस गये हैं लोगों ने मकान बना लिये हैं इस तरह से बने बनाये मोहल्लों को लोग बेच रहे हैं। एक तरफ बसे हुए लोगों के मकान बेच रहे हैं इससे झगड़ा हो रहा है। इस तरह के कितनी बस्तियों के अन्दर झगड़े चल रहे हैं। इस तरह से यू० आइ० टी० ने भी अन आथोराइज्ड बस्तियां यह कह कर कई ओक्यूपेण्टस को उजाड़ दिया है। प्राइवेट ओक्यूपेण्टस को टेम्परेरी लाइसेन्सीज मानकर निकाल रहे है और जमीन को बेच रहे हैं। दूसरे रूप में हाउसिंग की प्रोब्लेम है और बसे हुए लोगों को आप कैसे प्रोटेक्ट करते है ? आप उनको मकान बनाकर देंगे यह जुदा बात है। लेकिन जो आलरेडी बसे हुए हैं, आप उनके राइट्स को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। होना तो यह चाहिये कि उनको उस जमीन का मालिक घोषित कर देना चाहिये। मुआवजे का क्वेश्चन आयगा तो उनको लीज होल्डर घोषित कर दिया जाना चाहिये। ६६ साल की लीज आप घोषित कर दें आप उनको बेदखल तो न करें। इसी प्रकार जो मकानों में किराये से रहते हैं उनके लिये भी आपको टीनेन्ट को टीनेन्सी के अधिकार देने चाहिये जिस तरह से यू० आई० टी० लीज होल्डर्स की तौर पर प्लाट देती है उसी तरह उनसे भी ले सकती है बड़े बड़े शहरों में।

हमारे अलवर के अन्दर शिवलालपुरा मोहल्ला हैं जहां मजदूर लोगों की बस्ती बसी हुई है जो करीब सौ साल से बसे हुए हैं। जागीरदार की जागीर रिज्यूम हो गई, वह कहता है कि यह जमीन मेरे खुदकाश्त में है, मेरी खुद की थी उस जमीन को उसने बेच दिया है। कुछ सेठियों ने उसे खरीद लिया अब सेठ लोग उन गरीब मजदूरों को वहां से बेदखल करना चाहते हैं।

(घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप पच्चीस मिनिट ले चुके हैं बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले है। इस पर दस मा० सदस्य बोलने वाले है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। सभापति महोदय, बहुत कम लोगों ने अमेण्डमेण्ट दिये हैं मेरे और भी अमेण्डमेण्टस हैं।

श्री सभापति : जो सूची मेरे पास आयी है उसके मुताबिक ११ मा० सदस्य और बोलने वाले है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जल्दी समाप्त करूंगा ।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो टीनेन्टस के रूप में रह रहे है उनके लिये क्या कर रहे हैं । एक तरफ तो सीलिंग ओन प्रोपर्टी मुकर्रर कर रहे हैं उसी दृष्टि-कोण से आपको इस समस्या को देखना चाहिये । चाहे आप पांच साल वाले या दस वाले टीनेन्टस को खातेदारी ओक्यूपेन्सी टीनेन्टस जैसा बना दे ताकि वे बेदखल नहीं हो सके । किराया वे देते रहें उनको मकान मालिक खाली नहीं करवा सके इससे आपकी आवास समस्या भी हल हो जायगी । यह जो बिल पेश किया गया है इसको आप इस दृष्टिकोण से देखें इस ओब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता । इस बिल के आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में जिन बातों को रखा गया है वह इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता । इसके में दो चार उदाहरण देना चाहता हूं ।

एक तो यह कि आप जो स्कीम बनायेंगे वह सारी की सारी किनको देंगे यह बात आपने बिल में क्लिअर नहीं की है । केवल यह है कन्स्ट्रक्शन बोर्ड करवायगा इसी रूप में इसको रखा है इसमें बहुत ब्रोडली पावर्स रखे है । इसी आधार पर गोलमाल होगा । किस आधार पर स्कीम्स बनेगी, किन लोगों के लिये स्कीम्स बनेगी यह इसमें नहीं कहा है ।

आप इसके अन्दर पूंजी पतियों के लिये भी स्कीम बना सकते हैं इस बोर्ड के अन्दर कोई मनाही नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसके लिये बिल की उपधारा ४ में स्पष्ट लिखा है बोर्ड ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जैसी पाई जाए और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी आवसन स्कीम को, स्थानीय अधिकारी या सहकारी समिति......

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देट इज सम थिंग । एम्प्लोयर मकान न बनवाना चाहे अपने कर्मचारियों के लिये बोर्ड उसको भी अपने हाथ में ले सकता है । बोर्ड चाहे तो आई० ए० एस० आफिसरों के लिये भी मकान बनवा सकता है लखपतियों की कोलोनी बनाना चाहे तो बोर्ड बना सकता है । इसमें क्लीअर कट प्रोवीजन होना चाहिये । २५० रुपये तक की आमदनी वाले लोगों के लिये ही मकान बनने चाहिये सब से पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लेबरर्स के और किसानों के लिये छोटे कर्मचारियों के लिये चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारी हैं जिनकी आमदनी की सिलिंग २५० से अधिक नहीं होनी चाहियेउनके लिये मकान बनने चाहिये । ऊपर वालों को आप लोन दीजिये वे अपने मकान खुद बना लेंगे । अगर आपके पास पूरा रुपया है तो आप इसको नेशनेलाइज कर दीजिये प्राइवेट एक्टीविटी बिल्कुल बन्द कर दीजिये ।

आपके पास इतना पैसा भी नहीं हो सकता कि आप २५० से ऊपर वालों को भी मकान बनाकर दे सकें । आपको चाहिए कि आप २५० व उससे नीचे वाले कर्म-चारियों के लिये चपरासियों के लिये क्लर्कों के लिये एक पेटर्न पर मोडेल हाउस बना दें और सभी जगह सभी शहरों में बनाते चले जाइये । मिडिल क्लास वाले लोग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने आप बना लेंगे, उनके लिये स्कीम है लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम और मिडिल इन्कम ग्रूप हाऊसिंग स्कीम उसको जारी रखिये। आप अपनी एक्टीविटि को २५० रु० तक सीमित रखिये। दूसरी बात में निवेदन करना चाहता हूँ बोर्ड का जो कान्स्टीट्यूशन हो उसमें ऐसे किस्म के लोग रखना चाहिये जो इस आबजेक्टिक को पूरा कर सकें। जो प्रापर्टी डील करते हैं खरीदते हैं और बेचते हैं उन लोगों को इसमें से बाहर करना चाहिये। आपने दिवालिया को नहीं रखा—दिवालिया से मेरा मतलब गरीब को अपने बोर्ड में नहीं रखा है—

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जो बड़े बड़े चेयरमैन बने हुये हैं और जो जमीन की खरीद-फरोख्त करते हैं वे लोग इसमें डिस-क्वालिफाई होने चाहिये। उन लोगों को इसमें कभी इन्क्लयूड नहीं करना चाहिये। फिर बोर्ड में नोमीनेटेड मेम्बर नहीं होने चाहिये, इलेक्टेड होने चाहिये। पावर्स को आप रूल्स के अन्दर न छोड़िये क्या प्रायरटीज होगी, क्या बेसिस माना जायगा यह क्लियरली इसके अन्दर होना चाहिये नहीं तो म्यूनिसिपेलिटीज, यू० आइ० टी और बोर्ड में कनफिलक्शन की सीरियस समस्या पैदा हो जायगी। जहां तक बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन का प्रश्न है क्योंकि इन-कारपोरेट बोर्ड होकर करजा वगैरह ले सके इस तरह की एक्टीविटि यू० आइ० टी० नहीं कर सकती है इसलिये इसकी जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड ही करे, यह आवश्यक नहीं है। आप म्यूनिसिपेलिटीज से करवा सकते हैं, यू० आई० टी० से करवा सकते हैं। उनके ए० इ० एन० अलग हों, उनके पी० डबल्यू०डी० स्टाफ अलग हो नहीं तो डुप्लिकेसी जबरदस्त हो जायगी······

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये सर्बोडिनेट होनी चाहिये वरना सुपरवीजन की पावर्स खड़ी हो तो यह स्वायत शासन समाप्त हो जायगा। सभापति महोदय, काफी कुछ कहना है। यह बिल इतना इम्पारटेंट है, हमने इसमें अमेन्डमेंट भी दिये हैं। वह सरक्यूलेट होने चाहिये क्लाज टू क्लाज। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि अमेडमेंट सरक्यूलेट होने चाहिये इम्पारटेंट बिल है—अच्छा होगा गवर्नमेंट इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करें और उसमें कोई दिक्कत है। तो सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करे लेकिन इसको हेस्टी तरीके से पास नहीं किया जाय वरना अच्छे काम में नुक्सान होना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, आज इस सदन के अन्दर······

श्री चुन्नीलाल जेलिया : सभापति महोदय में जन लेखा समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री देवी दत्त गाड़िया : राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७० पेश किया गया है जिस सन्दर्भ में यह हाउसिंग बोर्ड की स्कीम और यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसके कारण आज राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं, यू० आई० टीज और पंचायत समितियों के जो अधिकार थे- उन अधिकारों के बीच यह बिल में एक बाधक के रूप में खड़ा होगा। इसके कारण से नगरपालिकाओं और यू० आई० टीज के जो अधिकार थे, उनके ऊपर कुठाराघात होगा। मैं सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह बिल प्रस्तुत किया है और उसके अन्दर जो आपने बोर्ड के कार्य करने की विधि बताई है, क्या आपने राजस्थान सरकार के लीगल ऐडवाइजर या अटोर्नी जनरल से राय ली है ? यदि वह राय आप लेते तो मैं समझता हूं वे अपनी राय के अन्दर नगरपालिकाओं, यू०आई०टी० और पंचायत समितियों के जमीनों के जो अधिकार थे उन अधिकारों के बीच में यह हाऊसिंग बोर्ड का बिल न लाते क्योंकि यह बिल कनफ्लिक्शन पैदा करेगा। मैं समझता हूं इस पर अलग अलग विचार करना होगा। आज / नगरपालिकायें जमीन बेचती हैं, आज यू० आई० टी० जो गृह निर्माण का कार्य करता है इसी प्रकार आज राजस्थान सरकार का, सभापतिजी, समाज कल्याण विभाग भी गृह निर्माण का कार्य करता है चाहे वह अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये ही करता हो। इसी प्रकार यू. आई० टी० करती है, इसी प्रकार नगरपालिकायें करती हैं। अब हाऊसिंग बोर्ड की जो स्कीम है इसका काम भी यही है तो फिर इनके बीच में समन्वय किस प्रकार होगा इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। नगरपालिकाओं की आय का मूल श्रोत भूमि है। आपने यू० आई० टी० बनाकर उनको कब्जा दे दिया चाहे वह कहीं पर भी हो जोधपुर में हो, उदयपुर में हो— नगरपालिकाओं की आय का श्रोत इससे कम हुआ है। यू० आई० टी० के पास पैसा जरूर आया है। इसी प्रकार हाऊसिंग बोर्ड की यह स्कीम जारी की तो यू० आई० टी० का क्या होगा ? नगरपालिका का क्या होगा और पंचायत समितियों की भूमि का क्या होगा ? इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आपके इस बिल में नहीं है। इतना ही नहीं आज आपने इस प्रकार यह स्कीम और बिल जो पेश किया है उसके कारण आपने अपने धारा २६ की उप धारा ४ के अन्दर बताया है, जिसमें लिखा है—

"बोर्ड, ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जैसी करार पाई जाय और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी आवासन स्कीम को, स्थानीय प्राधिकारी या सहकारी समिति की ओर से या किसी नियोजक की ओर से जबकि गृह मुख्यत: उसके कर्मचारियों के निवास के लिये निर्मित किये जाने हो, निष्पादन के लिये ले सकेगा, तथा बोर्ड ऐसी स्कीम को उसी प्रकार निष्पादित करेगा मानो कि वह इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित थी।"

सभापति जी, यह जो 'नियोजक' शब्द लिखा है वह 'नियोजक' शब्द स्पष्ट है बड़े बड़े इन्डिस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इन्डस्ट्रीज के पास जमीनें ली हैं और उनके पास जो म्यूनिसिपैलिटि की या यू० आइ० टी० की जमीन हैं उसे वे उस कालोनी के लिये लेना चाहेंगे। ये बड़े बड़े इन्डिस्ट्रिलिस्ट उस

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों को जो अपनी मांगों के लिये हड़ताल करते हैं और पूंजीपति जो उनका शोषण करते हैं हड़ताल करने के नाम पर उनका शोषण करते हैं, अगर वह उस कालोनी में रहते हैं और मजदूरों को धमकी देते हैं कि तुम बगावत करते हो, तुम्हें मकान नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं उद्योगपतियों के लिये इस प्रकार का रिलेक्सन रखना उचित नहीं है। सहकारी समितियों के लिये कोपरेटिव हाउसिंग स्कीम है उसका में समर्थन करता हूं क्योंकि वह स्कीम लघु उद्योग वालों के लिये, हरिजनों के लिये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये और २०० रुपये, ३०० रुपये जिनकी आय है उन लोगों के लिये यह सहकारी हाउसिंग स्कीम है। में राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर० ए० एस० और आई० ए० एस० या बड़े बड़े आफिसरों को जिनके पहले से ही प्लाट हैं उन लोगों को इसमें शामिल न करें। में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग वहां भी प्लाट बनाना चाहेंगे और प्लाट बना कर अपनी इन्कम का साधन बनाना चाहते हैं। इसलिये सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि जिनकी अधिक से अधिक आमदनी ३०० रु० हैं उन लोगों को इस हाउसिंग स्कीम में राहत दी जा सकेगी।

(३ म० प०)

इतना ही नहीं इस हाउसिंग स्कीम में और यह जो बिल है उसमें बोर्ड का जो गठन किया है उसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति को बनाना और सदस्य भी वही हो तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, माननीय सभापति जी, मुझे इस बिल के अन्दर इस बोर्ड के गठन में बदबू आती है। आज सरकार कितना पक्षपात करती है. सड़कों के निर्माण में, नल योजना के निर्माण में और स्कूल और कालेज खोलने के नाम पर और क्षेत्रीय भावनाओं और राजनैतिक आधार पर सरकार काम करती है और जहां क्षेत्रीय आधार पर काम नहीं करके राजनैतिक आधार पर स्कूल और कालेज खोलने के काम करती है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय. कोरम नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु) : ईनमोन ३ ही हैं कांग्रेस के।

श्री विजयसिंह : ईनमीन तीन क्या साढ़े तीन हैं।

(गणपूरक घंटी)

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो में माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से जहां यू० आई० टी० के अन्दर उसके चेयरमैन और सदस्य राजनैतिक आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं और इस बोर्ड के अन्दर भी राजनैतिक आधार पर नियुक्तियां हुई तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की नीयत की बदनीयत है और उसमें बदबू आती है और राजनैतिक आधार पर काम होंगे क्योंकि यदि बोर्ड ने अपनी पावर्स ले लीं तो जहां जहां कांग्रेस के लोग जीत कर आते हैं या जहां राजनैतिक दृष्टिकोण से इसका लाभ लेंगे। आज दिखाई देता है कि सड़कों के निर्माण में, स्कूल और कालेजों के निर्माण में, अन्य जहां जहां विकास के काम करना चाहते हैं चाहे लघु सिंचाई के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हों वहां राजनैतिक आधार पर काम होते हैं, जिलेवाईज़ काम नहीं होते। इसलिए माननीय सभापति जी, इस बारे में स्पष्टीकरण करें कि जो हाउसिंग स्कीम होगी क्या पर्टीकुलर जिले की म्युनिसिपैलिटी, यू० आई०टी० और ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर उनके सुपुर्द करके यह काम कराये जायेंगे या डाइरेक्ट इस बोर्ड के द्वारा काम होंगे। यदि डाइरेक्ट बोर्ड के द्वारा होंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा, गरीबों को भूमि नहीं मिल सकेगी और उनको मकान नहीं मिल सकेंगे। इसलिए उसके बारे में आप स्पष्टीकरण करें। आज माननीय सभापति जी, एक बात में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई म्युनिसिपैलिटीज़ है आज उनके ऊपर कृषि उपज मण्डी कानून लागू हैं और म्युनिसिपैलिटीज़ की जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और इसका उन्होंने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। इसी तरह से यू० आई० टी० ने जमीन अपने अधिकार में ले ली लेकिन उसका प्रतिशत नगरपालिकाओं को नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड ने जमीन ली गृह निर्माण के नाम पर, लोगों को हायर परचेज़ के नाम पर या किराये पर देने के नाम पर तो उस जमीन का मुआवज़ा उस म्युनिसिपैलिटी को मिलेगा या नहीं ? उस म्युनिसिपैलिटी का विकास किस प्रकार से होगा और यदि इन म्युनिसिपैलिटीज़ को ग्राम पंचायतों की तरह से खत्म करना चाहते हैं तो यह स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से यह बतायें।

इतना ही नहीं माननीय सभापति जी, आज में आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि आप हाउसिंग बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं क्या आपने मास्टर प्लान बनवाया है म्युनिसिपैलिटीज़ का ? नहीं बनवाया। आज राजस्थान की अनेक नगरपालिकायें है जिनके पास मास्टर प्लान नहीं है। जहां मास्टर प्लान नहीं वहां अगर हाउसिंग स्कीम लागू होगी और इसी प्रकार से आज जो हरिजन हैं मैं एक बात करना चाहता हूं बारां के बारे में। आज के ७ साल पहले हरिजनों की कालोनी निर्माण के लिए राज्य सरकार ने पैसा स्वीकार किया था लेकिन म्युनिसिपैलिटी ने पैसा नहीं दिया। पैसा दिया, कम दिया और वह वापिस चला गया। तो इस तरह से हाउसिंग स्कीम के नाम पर एक बोर्ड का गठन केवल कांग्रेस के मन चहेते लोगों को पालन के लिए किया है। यह कांग्रेस सरकार की पुरानी आदत है और उसी पुरानी आदत के द्वारा यह करना चाहते हैं। यह वास्तविक लोकतंत्र नहीं है और सदन की भावनाओं को जानते हुए आप को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे तो अभी बोलते हुए ५ मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति : आप १० मिनट ले चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दूसरों को ३०-३० मिनट दिये हैं।

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये। आपके दल से एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं श्री गंगासहाय जी और भगवानदास जी का और नम्बर है। इसलिए में निवेदन करूंगा कि ५ मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : में तो बहुत जल्दी ही समाप्त कर रहा था और जब आप आसन पर विराजमान रहते हैं तो में बहुत ख्याल रखता हूँ।

श्री सभापति : मेहरवानी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति जी, आज इस बिल के अन्दर जो बोर्ड के फंक्शन्स बताये हैं उसके अन्दर पुनर्निर्माण का काम, सड़कों के बनाते समय बीच में मकान आयें उनको तोड़ने का काम बताया है। तो म्युनिसिपैलिटीज के क्या काम रह गये। यदि आज सारे के सारे काम बिजली, पानी स्कूल, अस्पताल आदि हाऊसिंग बोर्ड के पास रहें और लेना चाहते हैं तो फिर म्युनिसिपैलिटीज के पास काम क्या रह गये ?

श्री भीखाभाई : यू०आई० टी० और म्युनिसिपैलिटीज मकान बनाकर थोड़े ही दे रही हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह तो ठीक है। सड़कों के निर्माण, बिजली और पानी की योजना ले रहे हैं। यह म्युनिसिपैलिटीज के फक्शन्स हैं। आप मकान बनाकर किराये पर दीजिए यह अच्छी चीज है लेकिन बिजली, पानी, सड़क यह सारे काम आप लेना चाहते हैं। अस्पताल, बाग, बगीचे भी लेना चाहते हैं तो फिर म्युनिसिपैलिटीज का काम क्या रहेगा ? सफाई का काम भी आप लेना चाहते हैं—इसमें बताया है आपने। एक बात महत्वपूर्ण है माननीय सभापति जी, आज हमारे देश के कई प्रान्तों के अन्दर ऐसे कानून बने हुए हैं कि यदि कोई किरायेदार २० साल या ३० साल से एक मकान में रहता आया है तो वह मकान का मालिक बन जाता है और फिर उस मकान के ऊपर मकान मालिक का कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन आज माननीय सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस कानून को हमारे राजस्थान के अन्दर क्यों नहीं लागू किया ? आज राजस्थान के अन्दर गावों, और कस्बों के अन्दर तीस-तीस और चालीस-चालीस साल के किरायेदार एक मकान में रहते आये हैं लेकिन उस कानून के अन्दर उनको कोई सुविधा राज्य सरकार ने नहीं दी। और जितने पुराने किरायेदार हैं, किराया बढ़ाने के नाम पर उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं। सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती है कि जो किरायेदार २५ साल से रहते आये है और उस कानून के अन्तर्गत उनका मालिकाना हक हो गया। यदि इस तरह से कर दिया जाये तो जिनके पास ८–१० मकान हैं और जो किराये में ही उसकी मूल कीमत से ज्यादा खा गये तो उसके ऊपर उस मालिक का कोई अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ा शोषण है। यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है और श्रमिकों को और मजदूरों को मकान नहीं देना चाहती है। यदि वास्तव में समाजवाद होता तो इन लोगों के लिए सरकार कानून लाती लेकिन वह ऐसा न कर पूंजीवाद को यह सरकार पोषण दे रही है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इतना ही नहीं सभापति महोदय, आज यह सरकार ऐसे बोर्ड के अन्दर, यू० आई० टी० के अन्दर विरोधी दल के लोगों को अध्यक्ष बनाने में बोर्ड के अन्दर और यू० आई० टी० के अन्दर सदस्य बनाने में कतराती है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को कायम करना चाहते हैं—जैसे हमारी लोकसभा के अन्दर और विधान सभा के अन्दर जो कमेटीज हैं चाहे वह पब्लिक अकाउट्स कमेटी है लोकसभा की माननीय सभापति जी ऐसी महत्वपूर्ण कमेटीज के अन्दर विरोधी दल के प्रभावी सदस्य उसके अध्यक्ष बनते हैं। हमारी राजस्थान की विधान सभा में भी चाहे पब्लिक अण्डर-टेकिंग कमेटी हो, चाहे पिटीशन कमेटी हो—ऐसी कमेटीज के अन्दर विरोधी दल के अध्यक्ष बनाये हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके सामने ऐसी कौनसी दिक्कत है चाहे वह जोधपुर की यू० आई० टी० हो, चाहे जयपुर की यू० आई० टी० हो या अजमेर की हो क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी विरोधी दल के व्यक्ति को जो योग्यता के अन्दर कमी नहीं रखता, ईमानदारी में कोई कमी नहीं रखता आप उनको चेयरमैन क्यों नहीं बनाते ? क्यों नहीं उनको सदस्य बनाते ? जयपुर के अन्दर यू० आई० टी० में क्या आपने किसी विरोधी दल के व्यक्ति को लिया है ? क्या लोकतन्त्र यही है ? आप डिक्टेटर बनना चाहते हैं। आप कांग्रेस को जिन्दा रखना चाहते हैं, और इस तरह से आपने बेकडोर से, चोर दरवाजे से लोगों को लाना शुरू किया तो हिन्दुस्तान की जनता कांग्रेस के काले कारनामों को देखते हुए, जिसके हाथ में देश की जनता ने २२ साल पहले शासन की बागडोर छोड़ी थी उसमें आज परिवर्तन लाना चाहती है। अगर आज भी आप मनमानी करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता इस चीज को देखती आ रही है और इसके अन्दर परिवर्तन आयेगा। इसलिए अच्छा हो कि लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं के अन्तर्गत चाहे वह यू० आई० टी० हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो इसके अन्दर अनुपात के अनुसार विरोधी दलों के लोगों को लाया जाना चाहिए, ताकि काम अच्छे ढंग से चले, और मुझे विश्वास है कि जितने भी यू० आई० टी० में कांग्रेस के चेयरमैन व सदस्य हैं, इनके अन्दर रद्दोबदल करेंगे।

एक बात और मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इसके अन्दर अवधि बढ़ाने की बात कही है कि सदस्यों और चेयरमैन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह क्यों ? क्या उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति योग्यता वाला दिखाई नहीं देता है ? अवधि बढ़ाने की बात स्पष्ट संकेत करती है कि आप उनके सामने प्रलोभन का टुकड़ा उठाकर फेंकना चाहते हैं। ताकि भीखाभाई यह सोचें कि अगर हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन उनके कहे अनुसार चलेगा, वह चाहेंगे उसको मकान देगा, वे चाहेंगे उसको प्लाट देगा, तब तो वह इसका सदस्य या चेयरमैन रहेगा, वर्ना उसको हटा दिया जायगा। यह अवधि बढ़ाये जाने की नीति गलत है। अवसर सब को मिलना चाहिए पर्टिक्यूलर पीरियड में और उसके अन्दर अनुपात में मिलना चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घंटी) यह लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा होगी।

अन्त में मैं एक बात······

श्री सभापति ; आपकी एक बात का अन्त नहीं आ रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अन्त आ रहा है। मैं अन्त में यह बात कहते हुए राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड एक्ट जो लागू किया जा रहा है जिसके अन्दर रूल्स नहीं, रेग्युलेशन्स नहीं, तो इस तरह से हड़बड़ाहट में यह बिल पास करना उचित नहीं होगा। अच्छा हो कि आज जो हाउसिंग बोर्ड गुजरात के अन्दर बना हुआ है और हाउसिंग स्कीम के बारे में जिस प्रकार से दिल्ली महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम ने जिस सुव्यवस्थित ढंग से कार्य किया है कि जिसके अन्दर गरीबों को, हरिजनों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, कम वेतनभोगी कर्मचारियों को, मजदूरों को जो ठेला चलाते हैं, उन मजदूरों की जो गाड़ी चलाते हैं, उन श्रमिकों को जो सड़क पर मिट्टी तोड़ते है उनको किस तरह से सस्ते किराये पर, अच्छे मकान दिये हैं। उन्होंने इस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन किया है कि हमारे यहां के मन्त्री महोदय को दिल्ली जाकर मेट्रोपोलिटन कोन्सिल से मिलकर, नगर निगम से सम्पर्क स्थापित करके जो हाउसिंग बोर्ड और हाउसिंग स्कीम बनी हुई है जिसके जरिये से किस प्रकार से उन्होंने गरीबों को सुविधाएं दी हैं, और किस प्रकार से सस्ते किराये पर और सस्ती कीमत पर मकान बनाये गये, उसके अनुसार उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उन सारी स्कीमों को राज्य सरकार से मंगाकर, उनको देखकर उन स्कीम्स को नागरपालिकाओं के माध्यम से, यू. आई. टी. के माध्यम से यह बोर्ड उस स्कीम को लागू करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि सरकार की नियत नगरपालिका, यू. आई. टी. और पंचायत समितियों को धकेलकर उनकी सम्पत्ति को, उनकी भूमि पर कब्जा कर लें······

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री देवी दत्त गाड़िया : उनको समाप्त कर दें। यदि यह हुआ तो उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

अन्त में इस प्रकार से इस बिल का इस आधार पर विरोध करते हुए कि इसके कोई रूल्स नहीं हैं, कोई रेग्युलेशन्स नहीं हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस कारण से इस बिल का विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिए यह बिल प्रसारित किया जाय। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री गंगासहाय। समय-सीमा ५ से १० मिनिट।

श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : सभापति महोदय, आवासन बोर्ड के गठन का जो यह विधेयक आया है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय तीन माह के लिए।

सभापतिजी, हमारे देश में प्रजातन्त्र-पद्धति को लागू किया गया है और प्रजातन्त्र पद्धति में स्वायत शासन संस्थाएं उसकी रीढ़ होती हैं, और इसी उद्देश्य से राजस्थान में राज्य सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, पंचायत प्रथा को लागू किया। उस समय

(श्री गंगासहाय)

यह आशा बन्धी थी कि हमारे देश में पंचायती राज्य में पंचायत संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और धीरे धीरे अपने ग्रामों का विकास करेंगी, और सरकार उन्हें इस प्रकार की सारी सुविधाएं देगी, साधन देगी लेकिन देखने में यह आया कि बारबार कमेटी बिठाई, उन्होंने भी रिजोल्यूशन किया, लेकिन इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक पंचायतों को समाज की उन स्वायत्त शासन संस्थाओं को आप आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे तब तक अपना विकास गांवों में, पंचायतों में या नगर पालिकाओं के क्षेत्रों का नहीं कर सकेंगे। इसी दृष्टि से पंचायत समितियां आयी हैं। पंचायत समितियों को पहले पहले काफी फण्ड्स दिये गये लेकिन धीरे धीरे वे भी आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दी गईं। आज उनके पास कोई साधन नहीं हैं। इसी प्रकार से नगरपालिकाओं के क्षेत्र में है। उनके ऊपर भी धीरे धीरे यू. आई. टीज. बैठा दी गई। उनके अच्छे आर्थिक साधन ले लिये गये और पंचायतों की तरह ही नगरपालिकाओं को भी आर्थिक दृष्टि से बिलकुल निराधार बना दिया गया। उनके पास आज इतने साधन नहीं हैं कि वे अपने लोगों को वेतन दे सकें, विकास की बात तो दूसरी है। मनोरंजन कर का एक साधन था कि उसको वसूल करलें और अपने क्षेत्रों के विकास के काम में लायें लेकिन उसको भी सरकार ने उनसे वापस छीन लिया। वाटर वर्क्स उनके द्वारा चलाये जाते थे लेकिन उसकी भी आमदनी सरकार ने ले ली। जमीनों की बिक्री का जो साधन था वह यू. आई. टी. को दे दिया। उसी दृष्टि से इस आवासन बोर्ड का गठन किया जा रहा है। यह प्रजातन्त्र पनपाने का रास्ता नहीं है। यह प्रजातन्त्र समाप्त करने का और तानाशाही लाने का तरीका है। इसी प्रकार से राजनैतिक क्षेत्र में किया जा रहा है और आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा है। उसी तरीके से वह हिन्दुस्तान में एक तरह से तानाशाही लाना चाहते हैं। धीरे धीरे सारे साधनों और सारे श्रोतों को अपने हाथ में लेकर जनता को वह पंगु बना देना चाहते हैं। जो अधिकार उनके हैं उनसे छीनकर प्रजातन्त्र पद्धति को खत्म कर देना चाहते हैं। राजनैनिक दृष्टि से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीयकरण का नारा लगाया जाता है, और हुआ क्या ? आज सम्पूर्ण देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है लेकिन पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीयकरण के अन्दर चार रिक्शे वालों को लोन दिया है। तांगे वालों ने और रिक्शावालों ने ट्रक भर भरकर नारे लगाये कि गरीबों को इससे राहत मिलेगी, गरीबों को धन मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आज आप बता दें कि कितने मजदूरों को, को-आपरेटिव सोसाइटीज को आपने ऋण दिया है, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। यह आवासन बोर्ड भी सारी स्वायत्त शासन संस्थाओं को खत्म कर देने के लिए है। जो प्रजातन्त्र की रीढ़ हैं उनको खत्म करके तानाशाही लाना चाहते हैं। यह इस बात का संकेत है। आपने नगरपालिकाओं को, जो थोड़े से शहरों में थीं, और ग्रामों में पंचायतों को पंगु बना दिया है, उसी प्रकार से यू. आई. टी. को खत्म कर देना चाहते हैं। इस आवासन बोर्ड का क्षेत्र शहरों तक ही सीमित है और गांव फिर भी उपेक्षित ही रहेंगे। गांवों में ९० प्रतिशत जनता रहती है।

(श्री गंगासहाय)

उसमें अधिकतर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं। वे हमेशा गरीब होते हैं। उनके सम्बन्ध में न तो विचार किया है कभी आपने और न करेंगे सरकारी प्लाट्स देने के समय। चुनाव का समय आया तो सुखाड़ियाजी ने एक नारा दिया कि तुम्हारा रिजर्वेशन २८ परसेन्ट कर दिया जाता है; लेकिन उधर पाबन्दी लगा दी जाती है। मैं कहूंगा कि दूसरी बात छोड़ दें हम यहां विधान सभा में बैठते हैं तो

\+ \+ \+ \+

श्री सभापति : यह सब एक्सपन्ज कर द। माननीय सदस्य, आप यहां विधान सभा के सेक्रेटेरियेट के बारे में कोई कमेन्ट नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्या व्यवस्था की है ? यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है ?

श्री पी०के० चौधरी : The convention is that we don't criticise Assembly Secretariat.

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is a question of propriety, but nobody can question our right to do it.

श्री पी० के० चौधरी : This is the convention here that if we have got any grievance, we have to bring it to the notice of the Speaker and if we fail there, then and then only we can raise it here.

श्री गंगासहाय : मैं यह कह रहा था कि यह आवासन बोर्ड गठित किया जा रहा है। यह शहरों तक ही सीमित रहेगा, और शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आम तौर पर गरीब हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वे हमेशा से उपेक्षित होते रहे हैं और होते रहेंगे, और इसके द्वारा भी होंगे।

आज मैं निवेदन करना चाहूंगा। अलवर यू० आई० टी० के बारे में बताता हूं, जयपुर की जानकारी मुझे नहीं है। ७०० प्लाटों में से कुछ लोगों को दिये गये हैं। यह स्थिति है। एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। हमारे प्रतिनिधि वहां हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे व्यक्ति नहीं हैं क्या ? मैं दो साल से बराबर उम्मीदवार हूं। इसीलिए मैंने भीखाभाई के थ्रू अप्लीकेशन भेजी है। दो वर्ष हो गये हैं। कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है।

श्री मदनसिंह : आप ने दरखास्त दी है ?

श्री गंगासहाय : दी है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : जनता के प्रतिनिधियों तक को नहीं है, इतना तो ख्याल करें।

\+ \+ अध्यक्षापीठ आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री भगवानदास शास्त्री : वह कहते हैं कि हमें तो बस्ती वालों का ख्याल है।

श्री गंगासहाय : कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि रामानन्द जी ने भी कोशिश की है, लेकिन नहीं दी गई है। आज मैं मांग कर रहा हूं। हमारे रहने को जमीन नहीं है। हमें जमीन दीजिए। जयपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रकार का भेदभाव यहां हो रहा है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री गंगासहाय : इस विधेयक को तीन माह के लिये जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। जनता की राय जानी जाये।

श्री सभापति : श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, यह बिल आया है। योजना को तैयार करने के बारे में होंचपोच नहीं बरती जाये। बस्तियां अच्छी देंगे इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप भी बोलें। लिस्ट के मुताबिक बोलें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : गरीब आदमी हमेशा ही सड़कों पर रोते फिरते रहेंगे। अभी भीलवाड़ा में दो माइल दूरी पर नीलामी हुई। ६०×८० फीट के तलिया २० हजार में गये। मैं असेम्बली का मेम्बर हूं लेकिन नहीं खरीद सकता हूं। यद्यपि यह रूल्स की धारा में दिया गया है। यह ६६% गरीब हैं। मैं लोकल सेल्फ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जो पैसे वाले हैं वह तलिया १० ले लें। लेकिन गरीबों के हित का भी ध्यान रखें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, यह बिल लाने की मंशा क्या है?

"...and it is considered imperative to have an independent housing agency which may undertake actual construction of houses in the State."

यानी जब हम आटोनामस बोडी बनाते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है; एक तो यह कि गवर्नमेंट ने इसे किस आधार पर बनाया है? क्या यह इण्डिपेंडेंटली अच्छी तरह सब काम कर सकता है? मैं तो प्वाइंट आउट करना चाहूंगा यह बिल, इण्डिपेंडेंट आटोनोमानस बोडी बनानेके मकसद से नहीं लाया गया है। सभापति महोदय, बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन है, उसकी सेक्शन ५ में है। ८ मेम्बर हैं। ४ मेम्बर गवनमेंट के हैं।

(a) Financial Commissioner, Government of Rajasthan.

(b) Secretary to Government, Town Planning Department.

(c) Chief Town Planner and Architectural Adviser.

(d) Housing Commissioner of the Board.

बाकी ४ नान ओफीसियल मेम्बर हैं।

एक माननीय सदस्य : उनको गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी।

Page No 103

श्री पी० के० चौधरी : वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट एण्ड पार्सल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जो इण्डिपेण्डेण्ट एजेन्सी बना रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : प्वाइन्ट आफ आर्डर। आप (श्री देवीलाल बुरासिया) कुछ कहना चाहते हैं।

श्री देवीलाल बुरासिया : सभापति महोदय, मैं अपना नाम जनलेखा समिति से वापिस लेता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सुझाव इसमें यह है कि आज हमने अमेंडमेंट किसी मेम्बर ने मूव नहीं किये हैं क्लाजेज के संबंध में, मैं समझता हूं, सारे सदस्यों ने इसलिए अमेंडमेंट मूव नहीं किये कि सबको प्रोपर्ली इसको पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी हम वर्बल अमेंडमेंट मूव करें, उनको मंत्री महोदय एक्सेप्ट करने की उदारता बतायें। हम ऐसे अमेंडमेंट वर्बली मूव करते हैं जो कि करने चाहिए इस बोर्ड की इंडिपेंडेंस को रखने के लिए। तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, वर्बली मूव करने की आप इजाजत दे दें और मंत्री महोदय उनको एक्सेप्ट कर लें, then we have got a right to move for a motion.

मैं पाइन्ट आउट करता हूं और मंत्री महोदय उससे कन्विन्स हों कि जो बात हम कह रहे हैं वह सही है, he must come forward and accept.

इसलिए जो बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन है उसमें नान आफिसियल मेम्बर्स का प्रीपान्डरेन्स रहना चाहिए। इस बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन में आठ मेम्बर्स रखे हैं, उसमें से छः नान आफिसियल होने चाहिए और दो आफिसियल होने चाहिए। यह बात मैं बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हाउसिंग बोर्ड को इंडिपेंडेंट बोर्ड कहा है लेकिन सेक्शन २६ में प्रीविअस एप्रूवल आफ स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है। सेक्शन २६ है पावर्स एण्ड ड्यूटीज आफ द बोर्ड टू अन्डरटेक हाउसिंग स्कीम्स, उसमें रखा है:—

"Subject to the provisions of this Act and subject to the control of the State Government, the Board may from time to time incur expenditure and undertake works in any area..."

मेरा निवेदन यह है जो सब्जेक्ट टू द कन्ट्रोल आफ द स्टेट गवर्नमेंट में रखा है तो इंडिपेंडेंट एजेंसी यह कहां से हुई। मैं समझता हूं कि सब्जेक्ट टू द प्राविजिन्स आफ दिस एक्ट काफी है, अब इसमें 'Subject to the control of the State Govt.' मैं समझता हूं इस प्रकार की बाइंडिग इंडिपेंडेंट बोर्ड के लिए नहीं होनी चाहिए और इसलिए "Subject to the control of the State Government" यह शब्द हटा देने चाहिए। हाउसिंग बोर्ड अपनी इच्छा से जिस स्कीम को लेना चाहे वह ले लें–यह इसमें होना चाहिए। अब इसमें जो स्कीम का सब सेक्शन दिया है उससे ओवर लेपिंग होता है। सभापति महोदय, इसमें सेक्शन २६ में सब सेक्शन (२) है, इसमें जो हाउसिंग स्कीम हैं वह हाउसिंग बोर्ड में आती

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं। अब इसमें लिखा है:—'ए हाउस अकामोडेशन स्कीम, ए रीबिल्डिंग स्कीम, ए रीहाउसिंग और रीहेबिलिटेशन स्कीम, ए स्ट्रीट स्कीम, ए लैंड डवलपमेंट स्कीम, ए जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम। यह जनरल डवलपमेंट की स्कीम हैं। फिर यू० आई० टी० का क्या फंक्शन रहता है ? मंत्री महोदय ने कहा कि यू० आई० टी० लैंड डवलपमेंट करेगी और हाउसिंग बोर्ड का एक्सक्लुजिवली यह काम रहेगा कि वह हाउस कन्स्ट्रक्ट करे। लेकिन इस सब सेक्शन में नौ स्कीम हैं, इनमें से पांच स्कीम हैं—ए हाउस अकामोडेशन स्कीम, ए रीबिल्डिंग स्कीम, ए रोहाउसिंग और रीहेबिलिटेशन स्कीम, ए सिटी और टाउन और विलेज एक्सपेंशन स्कीम, ए स्ट्रीट स्कीम, ए लैंड डवलपमेंट स्कीम, ए जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम-यह जो स्कीम आती हैं इनमें चार पांच फंक्शन यू० आई० टी० से ओवर लेप करते हैं। यह फंक्शन इस बोर्ड के नहीं होने चाहिए। बोर्ड का एक्सक्लुजिवली फंक्शन यह होना चाहिए, उसको जो भी स्कीम दी जाय वह स्कीम मकान बनाने की हों या उसके काम हों लेकिन लैंड डवलपमेंट का फंक्शन यू० आई० टी० का होना चाहिए। जो बोर्ड फंक्शन करे वह यू० आई० टी० फंक्शन न करे। लेकिन दोनों का इस प्रकार रखना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिए इन स्कीम्स में ओवर लेपिंग कर दिया है-यह होना नहीं चाहिए।

दूसरी बात, सभापति महोदय, बोर्ड के बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारा यह एक्सपीरियेन्स रहा है कि आज यू. आई. टी. का काफी क्रिटिसिज्म होता है कि यू० आई० टी० काम नहीं करता है, काम कर नहीं पाता है, गड़बड़ी होती है। मेरी जानकारी यह है कि यू० आई० टी० के ऊपर पाबन्दी है, उसको कोई भी स्कीम लेनी हो, ईवन फार डवलपमेंट आफ लैंड, तो वह उस स्कीम को गवर्नमेंट के पास एप्रूवल के लिए भेजता है और गवर्नमेंट एप्रूवल देने में वर्षों बिता देती है, गवर्नमेंट की समय पर कोई एप्रूवल नहीं आती है और इसलिए यू० आई० टी० के द्वारा वह स्कीम हाथ में नहीं ली जाती है। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट स्टम्बलिंग ब्लाक की तरह खड़ी हो जाती है और बदनाम यू० आई० टी० होती है। वही फेट आप इस हाउसिंग बोर्ड का करना चाहते हैं ? यह हाउसिंग बोर्ड है, यह कोई स्कीम तैयार करे और स्कीम तैयार करके गवर्नमेंट के पास एप्रूवल के लिए भेजे और गवर्नमेंट उसको एप्रूव न करे वर्षों तक। तो इस प्रकार गवर्नमेंट को स्टम्बलिंग ब्लाक की तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा, हाउसिंग बोर्ड जो स्कीम लेना चाहता है, वह उसको नोटिफाई करे, गजट नोटिफिकेशन निकाले और गवर्नमेंट विदिन वन मन्थ उसके ऊपर एप्रूवल दे दे। गवर्नमेंट का अधिकार है टू गिव डाइरेक्शन टू द बोर्ड। इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है, सभापति महोदय,

"60. Government's power to give directions to the Board—The State Government may give the Board such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of the Board to comply with such direction." यानि बोर्ड के द्वारा स्कीम गजट

(श्री पी० के० चौधरी)

में नोटिफाई करने के वाद में एक महीने के अन्दर अन्दर गवर्नमेंट कोई डाइरेक्शन इश्यू नहीं करे कि तुम इस स्कीम को मत लो, तुम इस स्कीम को मोडीफाई करो, then the Housing Board must be at liberty to go ahead with its scheme. अब यह नहीं करती है गवर्नमेंट तो जैसा यू० आई० टी० का हाल होता है साल साल, डेढ़ डेढ़ साल तक, मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट एप्रूवल नहीं देती है, पड़ी रहती है, फाइल इनके पास, उनके पास जाती है, दस जगह फाइल घूमती रहती है और स्कीम मंजूर नहीं होती है और यू० आई० टी० बदनाम होता है। यह फेट हाउसिंग बोर्ड का नहीं होना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, यह जरूरी है कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इंडिपेंडेंटली और एक्सपीडिसिअसली स्कीम बनाने के लिए कोई स्कीम गजट नोटिफिकेशन करने के बाद गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन विदिन ए मन्थ, और गवर्नमेंट नहीं करती है तो यू० आई० टी० और हाउसिंग बोर्ड शुड टेक इट फार ग्रान्टेड कि स्कीम में गवर्नमेंट की इम्प्लाइड एप्रूवल है, उसमें टेसिट कन्सेन्ट समझनी चाहिए एन्ड दे मस्ट गो अहैड विथ इट।

सभापति महोदय, बजट का जो प्रोविजन इसमें रखा है, सेक्शन ३१, उसमें भी हाउसिंग बोर्ड की किसी प्रकार इंडिपेंडेंसी नहीं है। सबमिशन आफ सेंक्शन्ड बजट टू स्टेट गवर्नमेंट फोर एप्रूवल। इसमें यह है : "Every budget sanctioned by the Board under the last preceding section shall be submitted to the State Government for approval. At any time after the receipt of the budget, the State Government may approve the budget as sanctioned by the Board or return it to the Board for making such modifications there in as the State Government may deem fit." That means any time after the submission of budget. बजट सबमिट करने के बाद छः महीने के बाद भी गवर्नमेंट लिख सकती है कि मोडिफाई करके भेजो। यह कोई पाबन्दी हाउसिंग बोर्ड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बजट सबमिट होने के बाद गवर्नमेंट महीने भर, पन्द्रह दिन, डेढ महीने या दो महीने में अपनी ओपिनियन दे दे कि मोडिफाई करो। यह बजट एप्रूवल के सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं, जिला परिषद के बजट के लिए जैसा है, वह बजट बना कर भेज देते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट एक महीने के अन्दर अन्दर उसमें डिसेन्ट नहीं करती है, मोडिफिकेशन के लिए नहीं लिखती है तो बजट एप्रूव्ड माना जाता है। हाउसिंग बोर्ड के लिए भी यही होना चाहिए कि विदिन ए मन्थ, गवर्नमेंट के पास भेजने के बाद, गवर्नमेंट मोडिफिकेशन के लिए नहीं लिखे तो उसको एप्रूव्ड मानना चाहिए। इसलिए यह ओमनीबस प्राविजन है। Any time after the passage of the budget. एनी टाइम का मतलब क्या है, साल के बाद भेज सकती है ? साल भर तक गवर्नमेंट बजट को मंजूर न करे क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर यह पाबन्दी नहीं है, चार महीने, छः महीने के बाद भेजे या छः महीने के बाद में मोडिफिकेशन के लिए लिख दे। इसमें ऐसी कोई पाबन्द नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक इस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं रखते

(श्री पी० के० चौधरी)

तब तक यह ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर सकता। आज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी कैसे चलती है वह हम जानते हैं, इस लिए यह हाउसिंग बोर्ड फंक्शन नहीं कर सकेगा। मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट के पास भेजने के बाद विदिन वन मन्थ मोडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट को लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखती है तो वह ओटोमेटिकली एप्रूव्ड माना जायगा, Government have approved it.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। आप सुझाव दे रहे हैं वह ठीक हैं लेकिन यह सारा का सारा बोर्ड बनेगा इसमें सारे के सारे मेम्बर्स नामीनेटेड हैं, वह गवर्नमेंट को गुड विल से, फ्री विल से नोमीनेट होंगे, उनके अपाइन्टमेंट, री अपाइन्टमेंट, एक्सटेंशन-सब कुछ गवर्नमेंट की स्विट विल पर है। तो यह सारे के सारे सुझाव हैं यह उसके लिए ठीक कैसे हो सकते हैं जो इलेक्टेड बोर्ड हो, इलेक्टेड ओटोनोमस बोर्ड हो। ऐसा बोर्ड बन जाय और वह फंक्शन करे तो इससे चैक होंगे लेकिन यह तो गवर्नमेंट का नामीनेटेड बोर्ड है और गवर्नमेंट का नामीनेटेड बोर्ड ही सारा काम करेगा, इसका मतलब गवर्नमेंट सारा काम करेगी।

श्री पी० के० चौधरी : ऐसा है, जितने ओटोनोमस बोर्ड बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे फर्टीलाइजर कार्पोरेशन है...

श्री भगवान दास शास्त्री : जैसे अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है।

श्री पी० के० चौधरी : जो भी बोर्ड बनते हैं, अल्टीमेटिली उसमें इलेक्शन करके सदस्यों को लाने का प्रासीजर हो-यह बड़ा मुश्किल है। हाउसिंग बोर्ड के मेम्बरों का कैसे चुनाव करेंगे। इसमें जो प्राविजन रखा है वह है कि इसमें राजस्थान कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी के चेअरमैन को इसमेंएक्स आफिसियो मेम्बर रखा है। मैंने यह नाम पहली बार सुना है, राजस्थान कोपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी का मुझे पता नहीं है, वह सोसाइटी कहां है, लेकिन उसके चेअरमैन को एक्स आफिसियो मेम्बर रखने का प्राविजन रखा है। तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आज यह स्थिति है, जो बोर्ड बनते हैं, ओटोनोमस बोर्ड बनते हैं उनमें नामीनेटेड सदस्य रहते हैं। अब यह मान कर चलते हैं कि जो मेम्बर रखे जाते हैं, जैसा कि डेमोक्रेसी का तकाजा है, वह इंडिपेंडेंट आदमी हों, अच्छे आदमी हों उनको रख कर, you include elected members. यह करना चाहिए, or we must depend on fairness of Government.

श्री भगवान दास शास्त्री : जो ज्यादा भोग चढ़ाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें गलती रह गई है। क्वालिफिकेशन के क्लाज में यह लिख दिया जाय कि जो इंडिपेंडेंट आदमी होगा वह नहीं रखा जायगा। He will be disqualified.

श्री पी० के० चौधरी : ऐसी बात नहीं है। नामीनेटेड पर्सन होंगे वह सारे के सारे ऐसे ही होने चाहिए-ऐसा नहीं मानना चाहिए, Don't start with presumptions.

(श्री पी० के० चौधरी)

आटोनोमस बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन होता है, आप सारी दुनियां में देख लीजिये उसमें नामीनेटेड मेम्बर्स होते हैं। आप कोई तरीका निकाल सकते हैं कि इलेक्टेड मेम्बर आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उसमें एम० एल० ए० हो जायगा, लेकिन एम० एल० ए० उसका चेअरमैन नहीं हो सकता है क्योंकि वह आफिस आफ प्राफिट हो जाता है...

श्री मदनसिंह : इनके अन्दर डिफेक्टेड पर्सन को रखना ठीक है।

श्री पी० के० चौधरी : यह कर सकते हैं कि जैसा म्यूनिसिपैलिटी के चेअरमैन का नमूना है, these are acceptable, but they will be nominees of the Government. यह सुझाव आपका ठीक है, राजस्थान कोपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी का चेअरमैन है, उसको इसमें एक्स आफिसियो मेम्बर मानते हैं. इसी तरह से अगर राजस्थान कोपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी का चेअरमैन इस बोर्ड का चेअरमैन हो तो डाइरेक्टर उसका मेम्बर हो जाय। यह हो सकता है। तो मेरा निवेदन था कि बजट का जो इसमें प्राविजन रखा है वह नहीं होना चाहिए।

दूसरा इसमें एक्जीक्यूशन आफ कान्ट्रेक्ट का प्राविजन है, सेक्शन २३ है इसमें है कि बोर्ड को कोई कान्ट्रेक्ट करना हो और वह दस लाख से ज्यादा हो तो गवर्नमेंट की प्रायर सेंक्शन लेना जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह प्राविजन नहीं रखना चाहिए। बोर्ड कोई काम करे, वह गजट में नोटिफाई करे उसके बाद में विदिन वन मन्थ गवर्नमेंट उस पर डाइरेक्शन दे दे, लेकिन हर एक बात पर गवर्नमेंट की प्रायर सेंक्शन, प्रायर एप्रूवल का प्राविजन रखना उचित नहीं है This will be a Housing Board, इंडिपेंडेंट बोर्ड नाम का क्या महत्व है but actually it will be worse than a Government department. मौजूदा जो प्रोविजिन्स हैं उनमें it will be worse than a Government department. अल्टीमेटली उसकी नस उसके सोर्सेज और फंक्शन की गवर्नमेंट के हाथ में है। वह केवल एक आथोरिटी रह जाता है, वरना सारी चीज ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। कोई ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट होता है तो खुली तरह से बजट में उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पायेंगे और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके बजट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साल दो साल में उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके आते ही बड़ा हंगामा हो जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार इस हाउसिंग बोर्ड को भी डिस्कस नहीं कर सकते। उस पर कंट्रोल रहता है तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल रहता है, डिपार्टमेंटल कंट्रोल रहता है। इसलिए यह साफ हो जाना चाहिए कि उसको एक डिपार्टमेंट की तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी जो डिमाण्ड आये तो उस पर बोल सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है इसमें क्या है कि कोई

(श्री पी० के० चौधरी)

राय भी नहीं दे सकते हैं और डिपार्टमेंट जैसा कहेगा वैसे चलेगा, डिपार्टमेंट जितनी डिले करेगा उतनी ही डिले होगी। इसलिये मैं कहूंगा कि हालांकि किसी माननीय सदस्य ने इस तरह का अमेंडमेंट मूव नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किया है।

श्री भैरोंसिंह : सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, हो जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : सेलेक्ट कमेटी में होगा नहीं। आज वर्बल अमेंडमेंट देने का अधिकार दिया जाय और उस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इतने महत्वपूर्ण कार्य को आप जैसे सीनियर मेम्बर इतनी जल्दबाजी में करवाना चाहते हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : मेरी बात मत पूछो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस हाउसिंग बोर्ड को इण्डिपेन्डेन्ट करेक्टर आप देना चाहते हैं तो जो ड्राबेक्स मैंने बताये हैं, उनको ठीक कर के फिर इस बिल को पास कराइये।

श्री सभापति : श्री बाढ़दार। समय का ख्याल रखें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह पाबन्दी मुझ पर ही प्रारम्भ में क्यों लगा रहे हैं ?

सभापति महोदय, राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७० जो अधिनियम का रूप धारण करने जा रहा है और इस दृष्टिकोण से इस पर विचार हो रहा है, जिसका वर्तमान स्वरूप अध्यादेश के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर आज हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जब तक इसका प्रवर समिति द्वारा अनुमोदन नहीं हो जाय और प्रगाढ़ बुद्धि से इसके सब पहलुओं पर वहां विचार नहीं हो जाय तब तक इसे पास कर देना इस सदन के लिये अनुचित होगा। विशेष रूप से मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अध्यादेश के द्वारा जिस बिल को आप सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं क्या कोई दृष्टान्त इस सदन का या पहले का पेश कर सकते हैं कि अध्यादेश के द्वारा जो बिल सदन में लाया गया हो उसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेज कर, या उस पर पूरी तरह से विचार किये बिना ही यहां पास कर दिया गया हो।

जिस भावना के साथ इस बिल को इस सदन में लाया गया है, इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में आज आवासों की कमी है। और एक ऐसा तबका है जिसे दुर्बल क्लास कहा जाता है, उसकी सहायता की दृष्टि से ऐसे प्रावधान रखे हैं कि उन्हें मकान मिल जायेंगे, कहने के लिये यह अच्छा है और बहुत आसान भी है पर इसको यदि एक्ट का रूप दे दिया गया तो क्या उस दुर्बल तबके के लोगों को इससे फायदा मिल सकेगा ? मैं इस सम्बन्ध में कुछ मुद्दे सदन के समक्ष

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रखना चाहूँगा और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उन मुद्दों पर प्रकाश डालें।

स्वायत्त शासन संस्थाओं का भोखाभाई को काफी अनुभव है। आज राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं की बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। नगरपालिकाएं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेती हैं पर अर्थाभाव के कारण वे पूरी नहीं होती हैं। जयपुर को तो जिसको कि राजस्थान की राजधानी बनने का सौभाग्य मिला है, राजस्थान की सरकारने नरक बना कर छोड़ दिया है। आज जयपुर में नालियां टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, न सफाई का इन्तजाम है न पानी का इन्तजाम है। यू. आई. टी. के पास या नगरपालिका के पास यह प्रश्न उठाया जाता है तो एक ही जवाब दिया जाता है कि अर्थाभाव है। नगरपालिका या यू. आई. टी. के पास पैसा नहीं है। जो स्वायत्त शासन संस्थाएं शुरू से काम करती आ रही हैं जिनमे जनता के चुने हुए नुमायन्दे जाते हैं, उनके लिये एक तरफ साधन जुटाने में सरकार अभाव का अनुभव करती हैं, उस अभावग्रस्त सरकार द्वारा यह नई योजना लेना और इस बिल के द्वारा एक बोर्ड का गठन करके यह काम करवाना कहां तक उचित और सफल होगा, यह एक विचारणीय विषय है।

इस बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था के लिये इस बिल में बताया गया है कि वर्तमान में ५० हजार और अगले सालों में, ३ लाख, इस तरह से साढ़े तीन लाख की अर्थ व्यवस्था के साथ इस ओटोनोमस बोड़ी के लिये व्यवस्था करने यह सरकार जा रही है। म्युनिसिपेलिटीज और यू. आई. टीज. के लिये सरकार साधन देने का प्रयास नहीं करती फिर इसके लिये व्यवस्था करना चाहती है। एक तरफ तो यह सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिये कोई अनुदान नहीं देना चाहती, स्वायत्त शासन संस्थाओं को अनुदान नहीं देना चाहती और यह तीसरा हाउसिंग बोर्ड राजस्थान की जनता पर थोपना चाहती है। सद्भावना के साथ यदि आप इस बोर्ड का निर्माण करना चाहते हैं तो सद्भावना पूर्ण योजना का हम स्वागत कर सकते हैं। पर हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। इस बोर्ड के चेअरमेन, मेम्बर और अन्य व्यक्ति जिनको इस बोर्ड में रखा गया है, उनसे पूछिये कि जो इस बोर्ड के निर्माण में मूल भावना रखी गई है, गरीब और पिछड़े तबकों के लोगों को आवास की सुविधा देने की, क्या वे लोग उन गरीब और पिछड़े तबको के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं। उन गरीब और पिछड़े तबकों का कल्याण करने की अगर आपकी सद्भावना है तो उन तबकों के रिप्रजन्टेटिव्ज् को आपको इस बोर्ड में रखना चाहिये था। जो लोग शहरों के स्लम्स में पशुओं से भी बदतर जिन्दगी बिताते हैं, क्या उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रतिनिधि आपने इस बोर्ड में रखा है? जिन लोगों को स्लम्स में दुखभरी जिन्दगी बिताने का प्रेक्टिकल एक्स्पीरियेन्स है क्या ऐसे लोगों के किसी प्रतिनिधि को आपने इस बोर्ड में रखा है? नहीं।

जाको पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।

आपने इस बोर्ड में ऐसे लोगों को रखा है जिन्हें कभी भी इन कष्टों का अनुभव

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

नहीं हुआ है। मैं स्वयत्त शासन मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के एक भी प्रतिनिधि को आपने इस बोर्ड में नहीं रखा तो आप ऐसे लोगों के कल्याण का क्या काम आप इस बोर्ड से करवा सकते हैं? जो लोग चुनावों में हार जाते हैं, उनको इस बोर्ड में मेम्बरशिप दे देते हैं। मैं इन छोटी छोटी बातों में नहीं जाना चाहता पर आपने अपनी पार्टी के हारे हुए लोगों को रोजगार देने के लिये चेष्टा करते हैं और करते आये हैं। पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जनता का सही प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इसमें क्यों नहीं लेना चाहते हैं? यदि यह नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा कि जिस बोर्ड का निर्माण करके आप चलना चाहते हैं, वह बोर्ड जनता का सही प्रतिनिधित्व करने वाला और कल्याण करने वाला नहीं होगा। इसलिये निवेदन करना चाहूँगा कि जिन पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिये इस बोर्ड का गठन करना चाहते हैं तो उन लोगों के प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में लें।

आज स्वायत्त शासन संस्थाओं की राजस्थान सरकार ने बड़ी दुर्गति कर रखी है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि आवास निर्माण हेतु बोर्ड भूमि अवाप्त करेगा, योजनाएं बनायेगा और आवासन के लिये भूमि अवाप्त करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यू. आई. टी और नगरपालिकाओं को ये अधिकार नहीं थे। यू. आई. टी. ने क्या ऐसी योजनाएं नहीं बनाई? तो फिर इस बोर्ड के निर्माण की आपको क्या आवश्यकता प्रतीत हुई। इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें। आज नगरपालिकाओं की स्थिति आपने यह कर रखी है कि लोगों को मकानों की आवश्यकता है। जो जबरदस्ती सरकार को जूता देकर काम कराना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन जो कानून का पालन करना चाहते हैं, कोई सीधा काम करना चाहते हैं तो सरकार उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं। आज सारे शहरों और कस्बों की हालत जो है वही गांवों में भी पैदा होने वाली है। राज्य की भूमि पर लोग जबरदस्ती कब्जा कर लें, एन्क्रोचमेंट कर लें, सरकार उसका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं। जयपुर नगरपालिका या दूसरी नगरपालिकाओं को सरकार अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है ताकि वे थोड़ी जमीन बेच सकें। यदि वे भूमिहीनों को योजनाबद्ध तरीके से नगरपालिकाओं को वितरित करने की चेष्टा करती हैं तो राज्य सरकार उनको तुरन्त रोक देती है, उनको पंगु बना रखा है। नगरपालिकाओं व यू. आई. टीज. की व्यवस्था को आप देखें किस प्रकार भूमि व्यवस्था आपकी हो रही है। मांगें आपके पास कितनी आती हैं। क्या सरकार को और यू. आई. टी. को अनुभव नहीं है कि लोगों के पास भूमि कम है, कितने आवेदन पत्र पेंडिग हैं और जो योजनाएं बनती हैं उनमें भी नीलामी के जरिए प्लाट्स बेचे जाते हैं जिनमें गरीब आदमी के लेने का सवाल नहीं। आप कल्पना करें यदि बोर्ड के द्वारा भी इस प्रकार से किया गया तो गरीब आदमी ८०) ४०) १००) प्रति गज के हिसाब से जो यू. आई. टी. के प्लाट्स नीलाम होते हैं, कैसे भूमि ले सकेगा? आप दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं और कहते हैं कि गरीबों के लिए इस प्रकार का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कानून बना रहे हैं। इतने महंगे भाव में गरीब आदमी या मिडिल क्लास कों आदमी नहीं खरीद सकेगा। मंत्री महोदय, वही खरीदेगा जिसके पास दूसरे नम्बर का पैसा मौजूद है और जिनकी आप लोगों के साथ सांठगांठ है, जिनसे आप लोग पैसा पैदा करना चाहते हैं।

इन सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जहां तक इन्डपेंडेंस का सवाल है, यह इन्डिपेंडेंट बोर्ड़ी होने वाली नहीं है, इसके गठन के अन्दर सारे सचिव स्तरीय व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व रखा गया है, सरकार को नामीनेट करने का अधिकार है। सरकार को प्रत्येक कार्य व्यवस्था में, बजट के बारे में, योजनाओं के बारे में, इसके जो कुछ कार्य करने वाले हैं, सबके बारे में अपना दखल रखना चाहते हैं। एक ओर राज्य सरकार इस बोर्ड को पंगु बनाकर अपने चुंगल में रखना चाहती है और दूसरी ओर राज्य सरकार कहती है कि यह आटोनोमस बोडी है। मंत्री महोदय बताने की कोशिश करें कि मान लीजिए यही सद्भावनायें आपकी थीं तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो घोषणायें हैं कि मकानों की कमी है, ये बहुत समय से चली आ रही हैं और सारी घोषणाओं का राज्य सरकार को मालूम था तो फिर क्या कारण था जब ६ मार्च को विधान सभा अधिवेशन होने वाला था, आपने फरवरी १२ को यह अध्यादेश लाने की कोशिश की। आप सविधान के प्रावधानों का कहते हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय सीधे रूप से कह दिया कि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान है, राज्य सरकार जब भी चाहे अध्यादेश बना सकती है लेकिन वही संविधान सरकार को सीमाओं में मर्यादित करता है कि वह आवश्यकतायें होनी चाहिए। जब देखा जाय कि ऐसा कानून नितांत आवश्यक है, उसके अभाव में राज्य सरकार की व्यवस्था भंग हो जायगी, योजना कल्याण के लिए ऐसा कानून बनाना नितांत आवश्यक है जिसके अभाव में जन कल्याण की योजना क्रियान्वित नहीं हो सकेगी। इन दो सूरतों में राज्य सरकार को अधिकार है कि वह कानून का निर्माण करें।

फरवरी में आपने अध्यादेश जारी किया। उसके पश्चात मार्च गया, अप्रैल जा रहा है, इस बोर्ड ने कौनसी बात, भारी स्कीम राज्य सरकार के सुझाव द्वारा, अपने सुझाव द्वारा, कौनसी स्कीम का निर्माण किया जिससे लोगों के मकान बन गए। बोर्ड ने इन दो महीनों में कोई काम नहीं किया। तो क्या कारण था अध्यादेश जारी करने का ?

एक और सुझाव देना चाहता हूँ। इतनी योजनायें राज्य सरकार बनाती रही। जीवन बीमा निगम लोन देती है और राज्य सरकार भी लोन देती है और केन्द्रीय सरकार से बहुत रुपया मिलता है और सारे रुपयों को लेकर लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज देने की कोशिश की जाती है लेकिन क्या सरकार सोचती है कि कर्ज का रुपया गरीब तबके के लोगों को मिलता है अगर मिलता है तो कितनी कठिनाई से मिलताहै ? वह वास्तव में गरीबों को मिलता है ? आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

है और सरकार की व्यवस्था को चलाने वाले व्यक्तियों को इस बात का ध्यान नहीं है कि गरीब आदमी जो लोन एप्लीकेशन्स देते हैं, जो साधन नही जुटा सकते, वह शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करता, साधन जुटाने के लिए सिफारिश की जरूरत है, रिश्वत की जरूरत है, जो सारी बातों को पूरा नहीं करते, उनके लिए सरकार लोन की व्यवस्था नहीं कर सकती। तो एक ओर आप कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर पब्लिक एक्सचेकर का, जो गरीब जनता पर टैक्स लगाकर, करोड़ों रुपये केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार इकट्ठा करती है, उन लोगों को वितरित करने के नाम से लेते हैं लेकिन वह रुपया सही आदमियों को नहीं दिया जाता है। जब आपकी प्रशासन कि व्यवस्था बिगड़ चुकी है तो उसके पश्चात किस कल्याणकारी योजना को आप लेकर चलना चाहते हैं ?

आपको इस विधेयक में कम से कम इस बात का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए कि आप जो भी टार्गेट लेकर कल्याणकारी योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसमें से मिडिल क्लास के लिए कितने प्लाट्स आप बनायेंगे, कैसे वितरित करेंगे। सब डिस्क्रिशन आपने बोर्ड पर छोड़ दी और राज्य सरकार पर छोड़ दीं। कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा है तो ऐसा लगता है कि एक नागनाथ तो दूसरे सांपनाथ। जब नगरपालिका ने जमीन नहीं दी, यू. आई टी. ने नहीं दी तो बोर्ड कौनसी जमीन देगा ? किस प्रावधान के आधार पर गरीब जनता आशा लेकर चले कि आप गरीबों को प्लाट्स देने की व्यवस्था कर रहे हैं ? ऐसा कौनसा प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार कहती है कि इतनी आय वाले श्रेणी के लोगों को, अमुक श्रेणी के प्लाट्स बिना किसी प्रकार की नीलामी कार्यवाही के, उचित मूल्य पर लोगों को वितरित किये जायेंगे ? कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। शहरों में स्लम्स फैल गए हैं। जो पुराने शहर बरसों से चल रहे हैं और जिनकी स्थिति काफी अच्छी मानी जाती थी, आज उनकी दुर्गति हो गई, उनमें स्लम्स पैदा हो गए। गलियों के अंदर बैठने की गुंजाइश नहीं रहती हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। नए मकान बनाकर देंगे तो आपको ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि बड़े बड़े शहरों के अंदर आदमी स्वतंत्र रूप से एक प्लाट पर अपने स्वामित्व अधिकार द्वारा मकान बनवा सकेंगे। अगर वास्तव में ही सरकार की यह मन्शा है तो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े ऐसे हों जिनमें फ्लैट्स के रूप में ऐसे मकानों का निर्माण किया जाय जिनमें दो कमरे, लैट्रिन, किचन व बाथ हो। ऐसे फ्लैट्स बोर्ड स्वयं निर्मित करे और किश्तों के आधार पर जिस व्यक्ति को निजी आवास की व्यवस्था नहीं है, उनको वितरित करने की व्यवस्था करें, कान्क्रीट रूप में कोई प्रावधान रखा जाय तो समझ में आने की बात हो सकती है कि सरकार इस योजना को क्रियान्वित करना चाहती है वरना क्या होगा ? अगर मान लीजिए कि आपने छोटे २ प्लाट्स बनवाये, ढ़ाई सौ गज के या तीन तीन सौ गज के, तो जो प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, वह ४-४ प्लाट्स लेंगे कुल १२०० गज लेंगे, अपनी बहू के नाम, बेटे के नाम इत्यादि। तो आपने सारी बातों की रोकथाम के लिए कौनसा प्रावधान

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रखा है ? मैं सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे सुझाव के अतिरिक्त और बहुत से सुझाव आ जायेंगे इस पर अच्छे सुझाव आयें

(४ म. प.)

और सुझाव आने के पश्चात् राज्य सरकार विधेयक पारित करने की चेष्टा करे। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रावधान जरूर रखना चाहिये ताकि छोटे २ आदमियों को अलाट हो सके। वरना आप अपनी कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह लाभप्रद नहीं होगी। शहरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। टाउन खराब होते जा रहे हैं। प्राथमिकता उनको देनी चाहिये। शहरों को चारों तरफ बड़ा करते जा रहे हैं लेकिन जो नींवें है वह ढीली होती जा रही है। नींव का पत्थर है वह ढीला होता जा रहा है। वह भी तो देखिये और उसके विकास की सारी बातों को देखिये।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, समय का अभाव है और आपके आदेश भी हैं इसलिए राज्य सरकार को पुनः कहता हूं कि ओर्डिनेन्स को बिल के रूप में लाकर पास कराना चाहती है इसको निश्चयात्मक रूप से प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये और प्रवर समिति का प्रतिवेदन आये तत्पश्चात् ही इसको एक्ट के रूप में आना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : सभापति महोदय, २५ दिन की अवधि बाकी थी फिर अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी। राज्य सरकार से यही उत्तर मिला की आवश्यक था। आर्डिनेन्स निकालना। क्या भूमि हवा में उड़ रही थी उसको सम्हालना चाहते थे ? बिल के रूप में यह आया है। गांवों में पंचायतें पंचायत, समितियां, कस्बों और शहरों में बोर्ड और नगरपालिका और परिषद् हैं। सरकार ने यह सोचा था कि ये इस प्रकार की एजेन्सियां खड़ी कर दें कि जिससे उनको घर बैठे वोट मिल जायें उनकी अवधि समाप्त हुई लेकिन फिर भी आप उनके चुनाव नहीं कराना चाहते। आपने प्रशासक नियुक्त कर दिये। जनता की आवाज उनके दुख दर्द की सुनवाई नहीं होती। प्रशासक रह कर सफाई आदि के लिये कार्य नहीं हो सकते। राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा सम्हलवाती है, इन सार्वजनिक स्वायत्त संस्थाओं कि जिन पर जनता का विश्वास नहीं है। राज्य सरकार में जनता का विश्वास नहीं रहा है और इसी लिये राज्य सरकार को डर है कि जन प्रतिनिधि आवेंगे और वे सरकार की हां में हां नहीं मिलावेंगे। आप बोर्ड बनाते जा रहे हैं। जल बोर्ड का क्या हुआ। यह बोर्ड क्यों बन रहा है यू. आई. टी. है। दोनों की क्या आवश्यकता है। कम से कम अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जमीन की नीलामी तो करता है। पांच रुपये की जमीन पचास रुपये में बेचता हो। जो लोग रिटायर हो गये हैं, जो लोग चुनावों में हार गये, राजनीति में परास्त हो गये हैं, उनको मेम्बर बना कर राज्य सरकार के अधिकार में यह बोर्ड रखना चाहते हो। यह बिल के

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सामने ग्राया है, कल एक्ट का रूप धारण कर लेगा इससे जनता का हित होने वाला नहीं है। पूल्न्थ फर्स्ट स्टेज, रूफ लेवल सेकिन्ड स्टेज ग्रौर पट्टी लग गयी तो थर्ड स्टेज । इश्योरेन्स से पैसा लेना चाहते हैं यह बोर्ड ऐसा बनना चाहिये जैसा दिल्ली में बना है। गांधीनगर बना दिया प्लाट सिस्टम पर। एक ही राजस्थान में ग्रलग ग्रलग प्रकार के हैं। जोधपुर में देखिये। यू. ग्राई. टी. ने क्या काम किया। ग्रच्छे २ मकानों को तोड़ कर सड़कों को चौड़ा कर दिया। ग्रजमेर में ग्रनाज का मार्कट बना ६ साल में बनकर तैयार हुग्रा तो ग्रलाटमेन्ट में भ्रष्टाचार। जयपुर शहर को देखिये कितना गंदा है। यह बिल ग्राया है। एक्स ग्रोफिसियों ग्रोफिसर्स हैं। जिले तक नहीं ले गये हैं वहां तक लेजाते हैं तो यू. ग्राई. टीज को खत्म कर दीजिये। जिनको जमीनें लीज पर देने का ग्रधिकार था। ग्राज जाकर पावर्स छोड़े हैं। नगरपालिका है ग्रौर बोर्ड बनाना चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जनता को राहत नहीं मिलेगी। यू. ग्राई. टी. ग्रजमेर की है, क्या हालत है ? कृष्ण गोपाल गर्ग चैयरमेन बने। केसरीचन्दजी चौधरी को कर दिया। परमिट लेते हैं। कितना भ्रष्टाचार है। लाखों की सम्पत्ति उसने बनायी है। व्योपारियों से साठ गांठ करके बनायी है।

श्री सभापति : ग्रच्छा हो प्रस्ताव पर बोलें।

श्री भगवानदास शास्त्री : ग्रनुसूचित जाति के नाम पर जमीन लेकर बेच देते हैं। जयपुर में देखिये। तीसरा ग्रादमी मिनिस्टर ग्राकर खड़ा हो गया रजिस्ट्रेशन बोगस। बेचने वाला जरूरी है लेकिन खरीदने वाला प्रजेन्ट नहीं। गरीबों के मकान नहीं हैं। पंजाब के माफिक बीस तीस साल से किरायेदार हैं स्थायी रूप से उसको मकान दे देना चाहिये। ग्रावास बोर्ड बना रहे हैं। मकान बनेंगे ग्रौर गरीबों को देंगे यह कहते हैं। कम से कम यह देखना चाहिये कि जिसका ग्रपना मकान न हो उसको देना चाहिये। जिसके बच्चा नहीं हुग्रा है ग्रौर पेट में बच्चा है उसके नाम भी जमीन। दुर्भाग्य से उच्च से उच्च ग्रधिकारी की नहीं कह सकता, उनकी साबित नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे हैं उनके बच्चा मौजूद नहीं ग्रौर पेट में हो तो भी नाम पड़ जाता है। ग्रनुसूचित जाती ग्रौर जन जाति को इससे राहत मिले तो इसमें तो राहत नहीं मिलने वाली है। दो दो महीनों में मिटिंग होगी। ग्राप किस को डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं ग्रौर रख सकते हैं। ग्राप न पंचायतों के ग्रौर न नगरपालिकाग्रों के चुनाव कराना चाहते हैं जो राजनीति में परास्त हुए लोग हैं, राजनीति से ठुकरा दिये हुए लोग हैं उनको रोटी का टुकड़ा देकर ग्रपने कब्जे में लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इस राज्य सरकार को मैं ग्रापके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह बिल बिलकुल ग्रपूर्ण हैं, बिलकुल पूर्ण नहीं है। इसमें बहुत कमी है। कमी यह है कि एक्ट बनेगा तब जाकर शक्ति में ग्रायेगा। इसमें विशेष कर जो ग्रधिकारी लिए हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ परन्तु नोमीनेटेड मेम्बरों के लिए जो

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हमारी नीति है, चैयरमेन नोमीनेट करने के लिए आपकी जो नीति है, आपने चेयरमेन इसमें पहले ही बना दिया है और दूसरे बोर्डों में जो चैयरमेन बनाने की आपकी नीति है वे सव चैयरमेन कांग्रेसी होते हैं। चाहे वह पथ परिवहन हो, होटल कारपोरेशन हो आप इसमें नोमीनेट कांग्रेसियों को ही करते हैं। वे चैयरमेन स्वतन्त्र पार्टी या अन्य किसी दल के हो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि कम से कम वे राजनीति से दूर रहे। ऐसों को आप चेअरमेन बना दें तो ठीक होगा। इस बिल को हम एक्ट के रूप में लें इसके में कतई फेवर में नहीं हूँ। इसको सारे राजस्थान में आप फैलायेंगे। एक जिलाधीश इसका एक्स-आफिशियो मेम्बर होगा और दूसरे नोमीनेटेड मेम्बर भी जिलों में इसमें रखे जायेंगे। आप कहते हैं कि ऐसा करने से, इसको क्रियान्वित करने से जनता को राहत मिलेगी। जनता को राहत तब मिल सकती है जब आप फ्लेट बनावे और जनता को दें। मुझे ऐसा लगता है सैन्ट्रल गवर्नमेंट का आर्डर सुना, और यह राज्य सरकार पण्डों की सरकार है, जहां से भी पैसा मिले, चाहे वह हाउसिंग बोर्ड का हो, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए हो, पैसा मिलना चाहिये तो यह सरकार उस तरफ दोड़ी चली जायेगी। हमारी सरकार सोचती है कि यह पैसा नहीं जाना चाहिये, समाप्त नहीं होना चाहिये। सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, यहां भी आपकी सरकार है आप जब चाहे तब इसको ला सकते हो। परन्तु पैसा लाने के पहले आपका यहा पर काम स्वच्छ और निष्पक्षतापूर्ण होना चाहिये। आपने यह जो बिल पेश किया है इसमें वू आती है और यह बोर्ड वैसे ही हैं जैसे नाना प्रकार के बोर्ड आपने बनाये हैं। इससे जनता को राहत नहीं मिल सकती है क्लेक्टर को लीजिए, नाना प्रकार के अधिकार आपने उनको दिये हैं। उसमें हम विश्वास करते हैं। पहले वित्त मन्त्री महोदय ने यहां घोषणा की थी कि जो जमीन खेती योग्य है उसको आवास में बदला जायेगा लेकिन उस जमीन पर १०/१२ रुपया प्रति गज के हिसाब से आप लेते हैं। समय समय पर और सवाल आ जाते हैं। विधान सभा के सत्र में हमारे मंत्रीमहोदय ने कुछ उच्चकोटि की घोषणाएं की है, वे घोषणाएं मात्र रह जाती हैं। इसको कार्यान्वित नहीं किया जाता है। क्या आप राजस्थान को बोम्बे, उत्तर प्रदेश से जोड़ सकते हैं। (घंटी) हमारा यह प्रांत पिछड़ा हुआ प्रांत हैं। इस प्रदेश में महगाई पर आप कन्ट्रोल नहीं करते हैं। जनता को स्वच्छ खाना नहीं मिलता तीनसौ, पांच सौ कमाने वाले अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते फिर कैसे वे मकान बना सकते हैं। अगर आप जनता की सहायता करना चाहते हैं, फ्लेट बना कर उनको देने चाहिये। जोधपुर, अजमेर, जयपुर में जितनी भी यू. आई. टीज हैं उनने अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करली है और उनकी वो मालिक बन गई हैं। जयपुर में जिनको यू. आई. टी की दुकानें दी गई है वे आज उसके मालिक बन गये हैं जबकि अजमेर में आज भी किरायेदार हैं। एक ही राज्य सरकार की भिन्न भिन्न नीति है। एक ही राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था है। इस पर हमको शंका होती है। कांग्रेस अपना जयपुर में पैर जमाने के लिए बाजारों की दुकानें ही ऐलाट कर रही हैं, यह आपकी जयपुर में नीति है। फिर अजमेर ने कौनसा

(श्री भगवानदास शास्त्री)

पाप किया है वहां से सदा के लिये श्रापके किरायेदार रहे श्रौर किरायेदार दुकान छोड़ता है तो श्रापको ड्योढ़ा किराया मिलता है। खाली करते ही नगरपालिका पजेशन ले लेती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि श्रापको कोई भी बोर्ड सफल नहीं हुश्रा है। इसलिए इस बिल में मुझे बू श्राती है। यह सफल होने वाला नहीं है। सिर्फ श्रापको केन्द्रीय सरकार से पैसा लेना है जैसे श्रकाल के नाम पर भारत सरकार से सहायता ली श्रौर जनता को राहत मिली पर क्या राहत श्रापने श्रकाल में पहुँचाई वैसे ही राहत श्राप इस बोर्ड के द्वारा जनता को पहुँचाने वाले हैं। यह बात कहता हुश्रा मैं श्रपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री भीखाभाई।

श्री विजयसिंह : एक ही मिनिट बोलना चाहता हूं, सभापति महोदय;

श्री सभापति : श्राडर माननीय सदस्य।

श्री भीखा भाई।

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय…

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक ही निवेदन है। श्रगर हाउसिंग है। श्रगर हाउसिंग स्कीम को लागू करना है तो इसको शहरों में लागू कीजिये नहीं श्रौर गांवों में हाउसिंग स्कीम को लागू करें श्रौर सब में मारबल लगावें। इससे गांव गांव रोशन हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री भीखा भाई।

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मन्त्री): सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के बारे में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में माननीय सदस्यों के विचारों से मैं लाभान्वित होकर मैं श्रपना जवाब इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ।

जहां तक यह सवाल है सभापति महोदय, श्रौर लगातार जैसा कि मैंने पहले बताया था इस बात का चिन्तन चल रहा है देश के श्रन्दर, जो हाउसिंग की कमियां है, हाउसिंग की शोर्टेज है, उसको पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड का निर्माण किया जाये। राज्य सरकारों को भारत सरकार ने इस प्रकार का श्रादेश दिया था श्रौर उसके साथ साथ जो बंगलोर, नई दिल्ली में कांफ्रेंस हुई थी उसमें इस बात को ही लिया गया था। यहां पर इस बात की जो चर्चा हुई कि जो हाउसिंग बोर्ड बनाया जा रहा है उसके क्या उद्देश्य होंगे ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक इसके उद्देश्य का सवाल है। स्टेटमेंट श्राये श्राब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में, उसके श्रन्दर यह साफ तौर से कहा गया है–वीकर सेक्सन के लिए जो गरीब तबका है उसको हाउसिंग बोर्ड के जरिये फायदा होगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सेक्शन २६ है उसके श्रन्दर सविस्तार इस बात के लिए प्राविजन किया है श्रौर कहा गया है कि श्रनेक प्रकार की योजनाश्रों को यह जो हाउसिंग बोर्ड है श्रपने हाथ में लेगा। इस प्रकार की योजनाश्रों में एक हाउस श्रकोमोडेशन स्कीम है, एक रिबिल्डिंग स्कीम है, एक हाउसिंग या रिहेबिलिटेशन स्कीम है, एक सीटी, टाउन श्रौर विलेज एक्सपेंसान स्कीम है, स्ट्रीट स्कीम, लेण्ड डवलपमेंट स्कीम, जनरल इम्प्रुवमेंट स्कीम, श्ररबन

(श्री भीखाभाई)

रिन्यूअल स्कीम इन्कुलीडिंग सलम क्लीयिरन्स, सलम इम्प्रुवमेन्ट स्कीम और सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम है । इस प्रकार जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनके कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी । यह जो बात यहां पर कही गई है कि यु. आई. टी. म्युनिसिपेलिटिज, पंचायत और पंचायत समितियों के कार्य क्षेत्र के अन्दर इस बोर्ड के गठन से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, काम में ओवर लेपिंग होगा । यह बात सही नहीं है । मैं यहां तक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का कार्य अभी तक जो नगरपालिकाएं कर रही है , यु. आई. टीज. मंडी कमेटीज अथवा और कोई संस्थाएं कर रही हैं चाहे वे स्वायत्त शासन संस्थाएं हो, उसके काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं लागू होगी । इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वे प्लाट्स को डवलप करके उसको वितरित करने का काम करती है, सड़क निर्माण का काम करती है या अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं जुटाने की प्रयत्न कर रही हैं परन्तु गृह निर्माण का कार्य अभी तक कोई एजेन्सी नहीं कर रही है । जहां जहां यू. आई. टीज है उन्होंने प्लाट्स के आवंटन के अलावा उप नगर बनाने की कोशिश जरूर की है । परन्तु यह अलग बात है । लेकिन सभापति महोदय, आज जो भी चर्चा हो रही है वह एक सीमित चर्चा है । यह इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि गृह निर्माण के लिए एक योजना बनाने बोर्ड है, उस पर यह चर्चा हो । इस बोर्ड को बनाया जाये और किस तरह से यह कार्य करे यह पूरी की पूरी बातें एक्ट के अन्दर लिखी हुई है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह जो हाउसिंग बोर्ड होगा वह नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों के कार्य को अवरुद्ध करेगा, मैं इसके विपरीत यह बात कहना चाहता हूँ ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या नगरपालिका पंचायतें क्या ये इकाई नहीं हो सकतीं ये काम नहीं करा सकती ? क्या आप इनको मार्फत कराइये ।

श्री भीखाभाई : जहां जहां न्यू लेण्ड होगी, ट्रस्ट की लेण्ड होगी म्युनिसिपेलिटी की होगी या मण्डी कमिटी की लेण्ड होगी, उसको हाउसिंग बोर्ड को लेना पड़ेगा । उसके साथ में उसको कम्पनसेशन देना पड़ेगा । इसी प्रकार म्युनिसिपेलिटी के पास या मण्डी कमिटी के पास यु० आइ० टी० के पास एक्सेस लेण्ड है, इम्प्रूवमेण्ट बोर्डस के पास पैसा नहीं है वे ले नहीं सकते उस पर गृह निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सीमित साधन हैं उसमें हाउसिंग बोर्ड मदद करेगा । वह उनकी सहमति से मकान बनाने का काम हाथ में लेगा । अगर उनकी सहमति नहीं हुई तो वह राज्य सरकार के सामने मामला जायगा इस प्रकार का प्रावधान इसमें दिया गया है । इस पर यह कहना कि नगरपालिकाओं लोकल अथोरिटीज का काम रुक जायगा मैं इस बात से इन्कार करता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मंत्रिमंडल भी काम नहीं करवा सकेगा क्या ?

श्री भीखाभाई : अपने सीमित साधनों से वह काम नहीं कर सकते उस हालत में बोर्ड उनको सहयोग देगा ।

(श्री भीखाभाई)

अब रहा सवाल गरीब लोगों के लिये मकान बनवाने का जैसा कि अलवर से आने माननीय सदस्य ने कहा था २५० रुपये से कम आमदनी वाले के लिये मकान बनवाये-जाने चाहिये। जहां तक मकान बनाने का संबन्ध है इस एक्ट के अन्दर जिस प्रकार का प्रोवीजन रखा गया है हायर परचेज सिस्टम, रेण्टल बेसिस पर मकान दिये जायेंगे ये सब बातें रूल्स में प्रोवाइड कर दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : असल आत्मा आपने रूल में रख दी है।

श्री भीखाभाई : स्कीम्स जो इन्क्लूड की गई है वह सेक्शन २६ में बतायी गई है। उसके सब क्लाज को देखने से पता चलेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को ही लो इनकम वालों को ही फायदा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कुछ धीरे धीरे बोलिये ताकि हमें समझ में आजाय।

श्री भीखाभाई : जो हाउसिंग बोर्ड बना येंगे वह मकानात के डिजाइन तैयार करवायेंगे उसी के अनुसार वे मकान बनेंगे। इसमें लखपति करोड़पत का कहां सवाल रहा ? लखपति करोड़पति तो अपने डिजाइन के अनुसार मकान बनवायेगा। पैसे वाला हजार ७०० गज में अपनी मरजी के अनुसार मकान बनवायगा। यहां पर तो जिस प्रकार का थिंकिंग आज देश में चल रहा है उसके अनुसार में निवेदन करना चाहता हूं यह भय आपका निराधार है कि इस बोर्ड के अन्तर्गत लखपति करोड़-पतियों के लिये मकान बनवाये जायेंगे यह आपका भय है जो निराधार है।

इसके अलावा यह भी कहा गया जहां तक बोर्ड के कम्पोजीशन का सवाल है, बोर्ड के गठन का सवाल है, इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढाया जाना चाहिये। इसलिये इस पर मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस बोर्ड का गठन जिस आधार पर किया गया हैं, इस बिजीनेस बोर्ड का काम ठीक नहीं हुआ। मैं यह मानता हूं कि ज्यादा आदमी होने से अच्छा काम नहीं होता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आपका अनुभव है क्या ?

श्री जयनारायण सालोदिया : तो आपका यह मंत्रिमंडल जो ४० सदस्यों का है क्या आपके कथननुसार इतना बड़ा मंत्रि-मंडल अच्छा काम नहीं कर सकता ? इसको क्यों नहीं कम करते ?

एक मा० सदस्य : पहले पहल भीखा-भाई का ही नम्बर आयगा। क्या आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : नोन आफिशियल्स की मेजोरिटी होनी चाहिये यह आप सिद्धांत रूप से मानते हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : सिद्धांततः मैं मानता हूं। सभापति महोदय, इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा आज भी पांच सदस्य नोन आफिशियल्स हैं।

श्री पी० के चौधरी : पांच कहां है ?

Page No 119

श्री भीखाभाई : इसमें है।

श्री पी० के० चौधरी : सेक्शन बतलाइये ?

श्री रोशनलाल शर्मा : चार के पांच कैसे हो गये क्या आप बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की मेजोरिटी रख रहे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, आदिमजाति के लोगों के लिये भी आवास की व्यवस्था यह करेगा इसलिये आप शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के भी किसी सदस्य को रखेंगे। आपने इसमें उनको रखने का प्रावधान रखा है क्या। आप अनुसूचित जाति के सदस्य को रखेंगे क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय मंत्री महोदय, वह बयान दे रहे हैं कि नोन आफिशियल्स की संख्या ५ है। आप वह क्लाज पढ़ कर सुना दें। जिस क्लाज में यह व्यवस्था है वह में आपको पढ़कर सुना देता हूं।

"four non-official members, appointed by the Government, one of whow shall te the Chairman of the Rajasthan Cooperative Housing Finance Society or a Director nominated by the Society, if the Chairman of the Rajasthan Housing Board is also the Chairman of the Soceity."

श्री भीखाभाई : इस मामले के बारे में जब क्लाज बाई क्लाज डिसकस करेंगे उस समय समझ लेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह सिद्धांत का प्रश्न है नोन आफिशियल्स को ज्यादा रखने की बात आप मानते हैं ?

श्री सभापति : जिस वक्त क्लाज बाई विचार हो उस समय यह प्रश्न आप उठा लीजिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : सिद्धांत रूप में क्लाज आप मानते है या नहीं सिद्धांत तो आप स्वीकार करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदय ने नोन आफिशियल्स की जो संख्या पांच बतायी है वह कहां लिखा हुआ है। आप इस तरह से सदन को गुमराह न करें यह उचित नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : फाइव नोन ऑफिशियल मेम्बर आप रखना चाहे तो सेक्रेटरी गवर्नमेण्ट प्लानिंग डिपार्टमेण्ट को आप हटा दीजिये चीफ टाउन प्लानर को रहने दीजिये। फिर सेक्रेटरी टाउन प्लानर की क्या जरूरत है ?

श्री सभापति : क्लाज बाई क्लाज पर यह आप रख सकते हैं।

श्री भीखाभाई : सेक्सन ५ के (डॉ०) को देखिये सरकार द्वारा नियुक्त चार गैर सरकारी सदस्य जिनमें से एक राजस्थान सहकारी आवासन वित्त संस्था का अध्यक्ष या उस संस्था द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई निदेशक होगा यदि आवासन बोर्ड का अध्यक्ष संस्था का भी अध्यक्ष है।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें चेयरमैन इन्क्लूडेड है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदय पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लें।

श्री रोशन लाल : मेजोरिटी नान आफिशियल की होनी चाहिये, यह सिद्धान्त मानते हैं या नहीं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आप सिद्धान्त में यह भी मानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति···

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

माननीय भीखा भाई में अर्ज कर रहा हूँ अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और आप उनका प्रतिनिधित्व करते हो यह तो बड़े शर्म की बात हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधितत्व न हो।

(श्री यशवन्त सिंह नाहर, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री देवी दत्त गाड़िया व श्री रोशनलाल के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन सिंह : व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मदन सिंह : व्यवस्था का यह सवाल है कि पहले माननीय भैरोसिंह जी ने फरमाया जिन मंत्रियों को खुद को पता नहीं बिल में क्या चीज है, कानून का कोई ज्ञान नहीं है वे क्या जवाब दे सकेंगे ?

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितने आफिशियल मेम्बर है, कितने नान आफिशियल मेम्बर है, आपको यह ही पता नहीं है।

श्री भीखा भाई : कुल मिलाकर ५ सदस्य··· (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : समझ में नहीं आया क्या कह रहे है ?

श्री भीखा भाई : पांच गैर सरकारी सदस्य है···

श्री जयनारायण सालोदिया : अब बढ़ा रहे हो क्या ?

श्री सभापति : आप सुनिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुन लिया और पढ़ लिया हमने तो।

श्री मदन सिंह : कितनी बुरी व्यवस्था है कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पहले आप बतायें, पांच कहां से होते हैं। किस प्रकार माननीय मंत्री महोदय इन्टर प्रिटेशन करते हैं।

श्री भीखा भाई : अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड ८–१० अन्य राज्यों में बन चुके हैं। आवास का काम अधिक से अधिक हाथ में लिया जाय इस दृष्टि से राजस्थान ने भी इसकी तरफ कदम बढ़ाया है, क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में आवास की समस्या बड़ी भारी समस्या है जिसमें राजस्थान की समस्या तो और भी ज्यादा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोर

Page No 121

(श्री भीखाभाई)

दिया कि हिन्दुस्तान के अन्दर काफी मकानों की कमी है, मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूँ । मैंने सबसे पहले भाषण के शुरूआत में कहा है कि मकनों की हमारे यहां बहुत समस्या है···

श्री पी. के. चौधरी : पाइन्ट आफ इनफरमेशन सर ।

आपका जो ड्राफ्टिंग है वह डिफेक्टिव है—

The Board sball consist of a Chairman appointed by the State Government and of the following other members, namely—

उसमें चार आदमी का नाम दिया है— four non-official members, appointed by the Government one of whom shall be the Chairman of the Raj. Cooperative Housing Finance Society or a Director nomated by the Societ.

श्री सभपति : You are dealing with the clause.

श्री भीखा भाई ।

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय में यह निवेदन करना चाहता हूँ आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में इस प्रकार के हाउसिंग बोर्ड का निर्माण हो चुका है । भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है । हमने १२ करोड़ की योजना भारत सरकार के समाने प्रेषित की है । हम चाहते हैं भारत सरकार से राजस्थान को अधिक से अधिक शेयर मिल सके हाउसिंग की जो समस्या है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । हिन्दुस्तान भर में इस प्रकार के वकिंग ग्रुप बने हुये हैं, उसके देखने से पता लगता है कि हाउसिंग की कमी इस देश में है और वह बहुत ज्यादा है । बहुत से लोग आज भी फुटपाथों पर पड़े हुये हैं···

श्री पी. के. चौधरी : पाइन्ट आफ इनफरमेशन सर ।

इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि चेयरमैंन नॉन आफिसियल होगा—

Chairman can be a nominted Govt. servant also.

There is no bar. They can appoint a Govt. official, Chairman can be c Collector. There is no bar.

इसमें नहीं हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जिस समय क्लाज पर विचार हो तब आप जानकारी ले सकते हैं ।

श्री भीखा भाई :··· (अश्रव्य) रिटिन बात से भी अन रिटिन का महत्व ज्यादा होता है क्या ? हाऊसिंग देश की बड़ी भारी समस्या है । अरबन हाऊसिंग की शार्टेज है, जिनके हाऊसेज को रिप्लेसमेंट करना है उनकी भी बड़ी भारी समस्या है । आने वाले दो-चार सालों में चतुर्थ योजना के अन्दर कुल मिलाकर १५४ लाख हाऊसेज अरबन सेक्टर में कम हैं उसी तरह रूरल सेक्टर के अन्दर हाऊसेज की शार्टेज है ७१८ लाख है और उस पर जो ऐग्जिसटिंग हाऊस है उसमें

(श्री भीखाभाई)

११ लाख के रिप्लेसमेंट की बात है। उसके अलावा चतुर्थ योजना के अन्तर्गत और आने वाले हैं और वह ७५ लाख के करीब है। कुल मिलाकर ८०४ लाख हाउसेज होंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर खास तौर से राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की एक्टिविटि कम है, उस पर विचार करने के लिये हाऊसिंग बोर्ड के अध्यादेश को जारी करना पड़ा था। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा इस विधेयक को शीघ्राति-शीघ्र पास करके जो राजस्थान को लाभ होने वाला है, उससे वंचित नहीं रखा जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवास बोर्ड विधेयक, १९७० को जनमत जानने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव आया है, उसको स्वीकार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या प्रस्ताव है ?

श्री सभापति : जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। यह स्वीकार किया जाय।

(शोर गुल, अश्रव्य)

मेरा ख्याल है ना पक्ष जीता है।

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता है। कई माननीय सदस्य हमारी तरफ वोट देने वाले हैं।

श्री सभापति : मेरा ख्याल है ना पक्ष जीता है।

(शोर गुल, व्यवधान)

मैं फिर पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७० को जनमत जानने हेतु जो संशोधन आया है, उसको स्वीकार किया जाय।

मेरा मानना है ना पक्ष जीता।

(पुनः शोरगुल, व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों की आवाज में हां पक्ष जीता है)

(मत विभाजन घंटी)

श्री सभापति : मैं पुनः प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७० को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(हां पक्ष जीता)

(ना पक्ष जीता)

विरोधी पक्ष : हां पक्ष जीता।

सरकारी पक्ष : ना पक्ष जीता।

श्री सभापति : मेरा ख्याल है कि ना पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका अन्दाजा गलत है। अन्तर आत्मा को आप सभापति जी नहीं जानते हैं।

(मत विभाजन घंटी)

श्री सभापति : हां पक्ष वाले हां लाबी में जायें और ना पक्ष वाले ना लाबी में जायें।

(समय ४–४१)

राजस्थान विधान सभा

विभाजन सूची

हां पक्ष के माननीय सदस्य

(................................प्रस्ताव/संकल्प/संशोधन)

दिनांक ६-४-७०

क्र. सं.	सदस्य का नाम	क्र. सं.	सदस्य का नाम
१.	श्री आइदानसिंह	१३.	श्री बालसिंह सोठा
२.	श्री कृष्णकुमार गोयल	१४.	श्री भगवानदास इसरदास शास्त्री
३.	प्रो० श्री केदारनाथ	१५.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
४.	महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा	१६.	कैप्टेन ठाकुर श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़)
५.	डा० श्री गंगासहाय	१७.	श्री मनोहरसिंह मेहता
६.	श्री चुन्नीलाल जेलिया (खडार)	१८.	श्री मेघराज
७.	श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)	१९.	श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
८.	श्री जुझारसिंह	२०.	श्री रामानन्द अग्रवाल
९.	श्री डूंगाराम राजोरिया	२१.	श्री रूपसिंह राजवी
१०.	श्री नाथूदास	२२.	श्री लाभचन्द बैद
११.	श्री नाथूलाल करील	२३.	ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
१२.	श्री पृथ्वीसिंह	२४.	श्री हरजीराम बुरड़क

राजस्थान विधान सभा

विभाजन सूची

नां पक्ष के माननीय सदस्य

(.............................प्रस्ताव/संकल्प/संशोधन)

दिनांक.............................

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्र.सं.	सदस्य का नाम
१.	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)	१८.	श्री परसराम मदेरणा
२.	श्री कल्याणमल	१९.	श्री पी० के० चौधरी
३.	श्री कालूराम मेघवाल	२०.	श्री पुखराज कालानी
४.	श्री कालूराम आर्य	२१.	श्री पृथ्वीराज पटेल
५.	श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)	२२.	श्री प्रद्युम्न सिंह
६.	श्री गिरधारीलाल व्यास	२३.	श्रीमती प्रभा मिश्रा
७.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत	२४.	श्री बरकतुल्ला खां
८.	श्री जगन्नाथ	२५.	श्री बिरधी चन्द्र जैन
९.	श्री जयनारायण (लसाड़िया)	२६.	श्री बिशम्भरनाथ जोशी
१०.	श्री दीपचन्द छंगाणी	२७.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
११.	श्री दुर्जनसिंह	२८.	श्री बृज प्रकाश गोयल
१२.	श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)	२९.	श्री भीखाभाई
१३.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा	३०.	श्री भूरालाल
१४.	श्री दौलतराम (देसूरी)	३१.	श्रीमती मदन कौर
१५.	राव श्री धीरसिंह	३२.	चौधरी श्री मनफूलसिंह
१६.	श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)	३३.	श्री महेन्द्रकुमार
१७.	राव श्री नारायणसिंह मसूदा	३४.	श्री माधोसिंह

क्र. सं.	सदस्य का नाम	क्र. सं.	सदस्य का नाम
३५.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	४६.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
३६.	श्री मोहम्मद उस्मान	४७.	श्री विद्यासागर
३७.	श्री यशवंतसिंह नाहर	४८.	श्री शिवनाथ सिंह
३८.	श्री शीशराम ओला	४९.	श्री शीशराम पूनिया
३९.	श्री रणजीतसिंह	५०.	श्री श्रीराम रावत
४०.	श्री रतनलाल रोत	५१.	मास्टर श्री समर्थलाल
४१.	श्री रामकिशोर व्यास	५२.	श्री सहदेव शर्मा
४२.	श्री रामकुमार (सपोटरा)	५३.	श्री हंसराज आर्य
४३.	श्री. रामचरण	५४.	श्री हरलाल मीणा
४४.	श्री रामप्रसाद लड्ढा	५५.	श्री हरिदेव जोशी
४५.	श्री रोशनलाल	५६.	श्री हीरालाल देवपुरा

(४.५१. पर माननीय सदस्य लाबीज से बाहर आये)

श्री सभापति : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है······

श्री मदनसिंह : ओन ए पाइंट आफ आर्डर······

श्री सभापति : No point of order when the chair is on legs.

विभाजन का परिणाम इस प्रकार से है······

"हां" पक्ष २४ ।
"ना" पक्ष ५६ ।
ना पक्ष जीता ।

श्री मदनसिंह : यह परिणाम गलत है ।

श्री सभापति : संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, वहां पर जो गिनती हुई है वह गलत हुई है और अवैधानिक हुई है । जब आपके द्वारा क्लोज कर दिया गया था और हाउस क्लोज था तो गिनती के बीच में माननीय श्री शोभारामजी घुस गये तो उधर क्या मालूम कितने घुसे होंगे । यह मैं कहता हूं कि गिनती ठीक ढंग से नहीं हुई है······

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह : नो. नो, आप आर्डर समझें पहले । इसको समझने की कोशिश करें थोड़ी । यहां पर आपने पुलिस किसलिए लगा रखी है । क्लोज करने के बाद, आपके आदेशों के बाद कोई सदस्य रूम मे

(श्री मदनसिंह)

कहीं आ सकता है और न अपना नाम दे सकता है। यह सारी गिनती हो गई थी उसके बाद में……

श्री सभापति : आपका पाइंट आफ आर्डर समझ लिया गया। आप स्थान ग्रहण करें।

कई माननीय सदस्य : व्यवस्था क्या है ?

श्री मदनसिंह : आयन्दा हम भी आयेंगे डोअर तोड़कर। इज इट करेक्ट ? क्या आपका यह डिसीजन करेक्ट है ?

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री मदनसिंह : मेरी व्यवस्था के बारे में क्या है ? क्या यह तरीका है कि वोटिंग हो तब माननीय सदस्य आते जाते रहें। इसके सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : वे लावी में नहीं गये थे।

श्री मदनसिंह : आप वोट देने आये थे।

श्री शोभाराम : मैने और दौलतरामजी सारण ने वोट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिह : हमारी लाबी में धमकाने के लिए जरूर चले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या हम यह समझें कि ये दोनों इस रिजोल्यूशन में न्यूटरल हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री शोभाराम : वोट ही नहीं दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वोट नहीं देने का मतलब है न्यूटरल हैं।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय ने वोट नहीं दिया और ऐसे १० आ गये और वोट दे चुके है तो इसका क्या मतलब। मैं सिद्धान्त की बात चाहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज आपकी व्यवस्था का जो प्रश्न आपने उठाया है वह यह है कि श्री शोभारामजी लाबीज का डोअर बन्द होने के बाद आये और उन्होंने मतदान किया।

श्री भैरोंसिह : मतदान किया नहीं, आये तो हैं।

श्री सभापति : श्री शोभारामजी आये लेकिन मतदान नहीं किया और इनके अलावा और कोई नहीं आया। आपका जो पाइंट आफ आर्डर है वह रूल आउट कर दिया जाता है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, क्या आना उचित है ? जब डोअर्स बन्द हो जायें तो बाहर रहना चाहिए। तब तो आपकी यह व्यवस्था ही गलत है।

श्री मदनसिंह : इसको लाइटली न लें।

श्री सभापति : ले लिया आपकी व्यवस्था को।

श्री मदनसिंह : एक सदस्य, हो सकता है कि आपने वोट नहीं दिया लेकिन ऐसे १०-१२ आ गये हों हमारे यहां।

श्री सभापति : कोई नहीं आया ।

श्री मदनसिंह : सिद्धान्त की बात करना चाहता हूं······

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह : यह गलत है कि कोई सदस्य आ जाय ।

श्री सभापति : विभाजन बिल्कुल ठीक है । गिनती ठीक हुई है यह देखने की जिम्मेदारी आसन की है । इसमें कोई अव्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १६७० को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : "हा" पक्ष , जीता ।

श्री मदनसिंह : आपने एलान ही नहीं किया ।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से "ना" पक्ष जीता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका यह अनुमान है ।

श्री सभापति : "ना" पक्ष जीता । संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १६७० को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर बोलेंगे, साहब, विचारार्थ लिया जाय उससे पहले ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस विधेयक के बारे में सदन में इस पर और ज्यादा विचार किया जा सके और कई अमेंडमेंट्स अगर मूव नहीं हुये हैं तो उसके लिए वह समय मिल सकेगा, ऐसी अधिकांश सदस्यों की इच्छा है । उसको देखते हुए इस बिल को फरदर कन्सीडिरेशन को डेफर कर दिया जाय, और आगे फिर इस पर डेट फिक्स अप कर दी जाय ।

(५. म. प.)

श्री दौलतराम सारण : भीखा भाई, देखा । कैसा तमाचा मारा है ?

श्री सभापति : सदन की अनुमति से बिल को डेफर किया जाता है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय,···

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इस बिल को कल ले लिया जाये ।

एक माननीय सदस्य : आज ही ले लें ।

श्री विजयसिंह : तब तो रात के १२ बजे तक बैठाना पड़ेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, यह जो दूसरा बिल है, यद्यपि सुप्रिम कोर्ट से जजमेंट के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आधार पर रखा गया है। लेकिन इस बिल से सम्बन्धित कई समस्याएं हैं, जिस पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई है। मैं चाहूंगा इस बिल पर चर्चा हो। बहरहाल उन पर भी हम को बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए इसको कल ले लिया जाए। कल भी मौका मिलेगा।

राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, १६७०

श्री सभापति : राजस्थान सर्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १६७० ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप भी तो कुछ पूछिये।

श्री सभापति : निम्नांकित माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखने की सूचना दी है :—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : (अनुपस्थित)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : (अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य : (अनुपस्थित)

श्री हरजी राम बुरड़क : (अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह जा बिल सरकार की ओर से पेश किया जा रहा है, यद्यपि इसका सम्बन्ध पंजाब हाईकोर्ट···

एक माननीय सदस्य : पंजाब एक्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुप्रिम कोर्ट का है, परन्तु जो अपना है उस पर भी लागू होता है। सरकारी बिल्डिंग पर यह बिल··

(५.०३ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में जो यह अमेंडमेंट पेश होने जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में मकान किराया बेदखली का कानून आज भी हमारा मौजूद है।

एक माननीय सदस्य : यह वह नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह गवर्नमेंट बिल्डिंग के सम्बन्ध में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एक अलग बिल है।

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)।

श्री कल्याण मल : (अनुपस्थित)।

श्री देवीदत्त गाडिया : (अनुपस्थित)।

श्री नन्दलाल : (अनुपस्थित)।

श्री भगवानदास शास्त्री : (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक १९७०, विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि (विराम)

एक माननीय सदस्य : खण्ड का अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का संशोधन (विराम) माननीय मुख्यमन्त्री (विराम) खण्ड २ कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड २ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

खण्ड–३

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि खण्ड ३ का संशोधन कर दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकुलेट कर दिया गया है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विद्यमान खण्ड ३ के स्थान पर निम्नांकित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय।

"3. Savings—Notwith standing the expiry of the Rajasthan Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupanis) (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 8 of 1969), anything done or action taken under the prineipal/Act as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act as amended by this Act as if this Act had come into force on the 18th day of Nov. 1969"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया।

खण्ड ३ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया।

प्रश्न यह है कि क्लाज १ पर सशोधन।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (क) वर्तमान खण्ड, उपखण्ड (१) संख्यांकित किया जाय। (ख) पुन: संख्यांकित उप-खण्ड (१) के पश्चात् निम्नांकित उप-खण्ड (२) जोड़ा जाय :-

" (2) It shall be deemed to have come into force on the twenty sixth day of February, 1970."

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १ पर प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधिता खण्ड स्वीकार किया जाए ? प्रियेम्बल इत्यादि।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

कई माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही कल······

श्री अध्यक्ष : सदन की ऐसी सहमति है कि कुछ और बैठ जाय ताकि तीसरा बिल और ले लें ? (विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् ५ बज कर १० मिनिट पर मंगलवार दि० ७-४-७० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ५६० की सूची)

राजस्व विभाग के अभिकरण से किये गये कार्य

तहसील राजगढ़

१.	नोरंगपुरा	१२६	३५१८-००
२.	ठिमाऊ	१६४	३२१७-६०
३.	न्यांगल छोटी	१९७	५०००-००
४.	लदाऊ	१७९	४४९६-३५
५.	लाखलान छोटी	१६६	२२७२-८५
६.	सुलखनियां	१०२	१७७८-७५
७.	विजयपुरा	२०४	४६६०-२५
८.	इन्दासर	२११	४९९५-००
९.	विरमीखालसा	१६१	४९९५-२५
१०.	सुरतपुरा	१८७	२२७५-०५
११.	थिरपाली छोटी	१९८	३६७७-७५
१२.	चांदगोठी	२०३	३३४४-३०
१३.	वीड राजगढ़	३९१८	४२९३-७५
१४.	हांसिया बास	३७१५	४९१७-००
१५.	गुवालीसर	७४	७८-४५
१६.	गोठा छोटी	१४७०	४८१८-००
१७.	बास भमरोड	१०५४	६४४३-१३

सार्वजनिक विभाग के अभिकरण से किये गये कार्य

क्र. सं.	सड़क का नाम	केम्प का स्थान	श्रमिक संख्या	कुल खर्च	किया गया कार्य
१.	राजगढ़ दूदवाखेरा रोड़	राजगढ़ कुवेरी	३४४०	—	अर्थ वर्क १४ मील
		डोकया केम्प	१६३५	—	कनसोलीडेशन ५½ मील
		गेगोर कुवेरी	६५४०	—	कलेक्शन ऑफ धांधला
		मंडी कुवेरी एण्ड साईट	६०००	—	६ मील एट साईट
		रतनपुरा कुवेरी	६६००	—	कलेक्शन ऑफ कुवेरी
		हुडवल केम्प	४८००	३६,०६,४५५-९७	
			२९३१५		
२.	हमीरवास रामपुरा रोड	हमीरवास केम्प	३१५०	—	अर्थ वर्क १० मील
		कालरी कुवेरी	७३५०	—	कलेक्शन ऑफ धांधला
		हेन्डो कुवेरी	२०३०	—	एट साइट । मील कलेक्शन
		ब्यावर केम्प	१००००	२५,२१,२६१-५२	ऑफ कुवेरी ४ मील
३.	राजगढ़ बछेरा रोड़	हमीरवास केम्प	४९५०		अर्थ वर्क २० मील
		चैनपुरा	५८००	८४७९१९-००	कलेक्शन ऑफ कुवेरी ४ मील
			१०७५०		कलेक्शन ऑफ साइट ४ मील
४.	सिधमुख सिवानी रोड़	सिधमुख	९३००		अर्थ वर्क ६ कुवेरी
		रामसरा तल	५५३०	८१५०७४-२६	२ मील साइट ६ मील कुवेरी
			१४८३०		३ मील

५.	बीरासर मानरेला रोड़	जैंतपुरा	३०००		अर्थ वर्क कलेक्शन
		जामू और खारिया	५१००		एड साईट ६ मील कुवेरी
		ब्राह्मणों का बास	६६००		४ मील
		बैरासर	३२५०		
		नेसल	२१००		
		राबूरी कुवेरी	६६००	४२३६२१४-६६	
			४५५५०		
६.	राजगढ़ बिहाई रोड़	रूसाबारी	२२६६७१-०१		अर्थ वर्क २ मील
७.	कान्सट्रेक्शन ऑफ ढूंडना चैनपुरा रोड़		३१६१६-६६		नाट नोन
			१२२६०६१६-७१		

———

Page No 134

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ५४४ की सूची)

EXPENDITURE UPTO 1/70 **Head office Accouunt**

S.No.	Name of the District	T.A. & D.A. including the training	Preparation & Printing of voter lists	Transporat:-on
1.	Ajmer	1.698/-	23,063/-	-
2.	Alwar	2,283/-	41,846/-	540/-
3.	Banswara	1,356/-	13,400/-	-
4.	Barmer	743/-	24,121/-	-
5.	Bharatpur	1,630/-	39,666/-	627/-
6.	Bilwara	1,840/-	30,713/-	-
7.	Bundi	2,128/-	11,623/-	-
8.	Bikaner	491/-	11,207/-	-
9.	Chittorgarh	4,525/-	26,703/-	1,726/-
10.	Churu	1,110/-	19.128/-	1,170/-
11.	Dungarpur	2,157/-	14,092/-	429/-
12.	Sri Ganganagar	853/-	35,226/-	-
13.	Jaipur	3,523/-	56,631/-	-
14.	Jaisalmer	800/-	6,163/-	-
15.	Jalore	555/-	20,205/-	-
16.	Jhalawar	854/-	17,255/-	-
17.	Jhunjhunu	1,803/-	27,625/-	75/-
18.	Jodhpur	400/-	24,300/-	-
19.	Kotah	2,375/-	27,045/-	-
20.	Nagaur	537/-	35,560/-	91/-
21.	Pali	1,132/-	29,078/-	-
22.	Sawai Madhopur	1,366/-	34,110/-	325/-
23.	Sikar	502/-	35,501/-	859/-
24.	Sirohi	755/-	15,973/-	260/-
25.	Tonk	2,464/-	19,438/-	51/-
26.	Udaipur	1,641/-	55,865/-	-
		40,221/-	6,93,567/-	6,361/-

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ की सूची)

बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को दी गई राशि ।

क्रम सं०	वर्ष	(सत्र)	राशि
१.	सत्र १६६३-६४	अप्रेल ६३ से मार्च, ६४	२७२४४.१५
२.	सत्र १६६४-६५	अक्टूबर ६४ से	१०२६४.५४
	सत्र १६६५-६६	सितम्बर, ६५	१२५००.००
३.	सत्र १६६६-६७		२४७३४.०६
		कुल	७४,७७२,७७

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ की सूची)

टोंक जिले में सन् १६६६ में टूटे तालाबों की सूची

क्रम संख्या	कार्यों के नाम	तहसील	स्वीकृत राशि
१.	हथोना बांध का पुर्नस्थापन	टोंक	८–३० लाख
२.	बराना बांध का पुर्नस्थापन	,,	०–३० ,,
३.	सोयला बांध का पुर्नस्थापन	,,	०–३० ,,
४.	सयादार बांध का पुर्नस्थापन	,,	०–१० ,,
५.	बोर खण्डी खुर्द बांध	,,	०–१० ,,
६.	बोर खण्डी खुर्द कला	,,	०–५० ,,
७.	मिराना खुर्द कला	,,	०–१५ ,,
८.	दूदी सागर	अलीगढ़	०–३० ,,
६.	मोठडा बांध	,,	०–१० ,,
१०.	मलबा बांध तथा नहरे	,,	०–५० ,,
११.	गलवनिया बांध एवं नहरे	,,	०–१५ ,,
१२.	बनेहडा	,,	०–१५ ,,
१३.	रामपुरा	टोडारायसिंह	०–१५ ,,
१४.	इस्लामपुरा	,,	०–०६ ,,
१५.	रतमाडा	,,	०–१० ,,
१६.	गनेतीसागर	,,	०–४५ ,,
१७.	रिम्होलिया रामपुरा	,,	०–१५ ,,
१८.	हिन्डोलिया	मालपुरा	०–०३ ,,
१६.	सिन्धोलिया	,,	०–०७ ,,
२०.	रामसागर भोरला	,,	०–०८ ,,
२१.	गवालिया	,,	०–१७ ,
२२.	रामसागर लाम्बा हरीसिंह	,,	०–१५ ,,
२३.	हाएा	टोडारायसिंह	०–१० ,,
२४.	माशी नहरे	निवाई	०–०५ ,,
२५.	रबेरती बांध नहरे	अलीगढ	०–५० ,
			५–०० लाख

Page No 137

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न सं० ५७२ की सूची)

श्री गोपीराम गोयल, अधिशासी अभियन्ता से दि० २३-१०-६९ से ४-२-७० तक लिये जाने वाले किराये का विस्तृत विवरण

अवधि	किराये की दर	रकम
२३-१०-६९ से २२-११-६९	दर रु० ७०/-प्रति भाडा	कुल किराया रु० ६००-८५
२३-११-६९ से २२-१२-६९	दर रु० १४३/-प्रति भाडा (स्टेन्डर्ड किराया)	
२३-१२-६९ से ४-२-७०	दर रु० २८६/-प्रति भाडा (स्टेन्डर्ड रेन्ट का दुगना)	

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न सं० ५७३ की सूची)

सन् ६८-६९ में लघु सिंचाई कार्यों पर व्यय

क्रम सं०	नाम जिला	व्यय सन् ६८-६९ (लाख रुपये में)
१.	कोटा	२.६३
२.	बून्दी	३.३१
३.	जोधपुर	०.७३
४.	नागौर	०.३६
५.	पाली	१४.३६
६.	सवाई माधोपुर	२.०३
७.	जयपुर	०.०६
८.	अलवर	०.०६
९.	सीकर	२,३७
१०.	जैसलमेर	०.१७
११.	सिरोही	२.४६
१२.	अजमेर	७.१०
१३.	उदयपुर	१४.५२
१४.	भीलवाड़ा	२२.७०
१५.	चित्तौड़गढ़	१०.९८
१६.	बांसवाड़ा	२.२५
१७.	डूंगरपुर	१४.३३
		१००.४२
१८.	चम्बल (लिफ्ट योजनायें)	०,२५
		१००.६७
	ऐड प्रोडेटा	१४.९७
	योग	११५.६४

कृषि उन लघु सिंचाई योजनाओं को जो सन् १९६८-६९ में जिला बून्दी में प्रगति दर थे तथा उनकी अनुमानित लागत।

क्र० सं०	ग्राम योजना	तहसील	अनुमानित लागत (लाखों में)	व्यय ३/६८ तक	व्यय सन् ६८-६९ (लाखों में)
१	२	३	४	५	६
१.	घनसोली प्रोजेक्ट	नैनवा	७.१३	२.९७	१.७७
२.	गंगा सागर देह	,,	०.९०	०.५५	०.३२
३.	भटवाड़ी	,,	५.४१	६.५०	०.७४
४.	विजयगढ़	हिण्डोली	८.६३ फैमिन	०.०३	०.४७
५.	मेंढ़ की बावड़ी	,,	६.४७	६.४४	०.०१
				योग	३.३१

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न सं० ५७७ की सूची)

पंचायत समिति केकड़ी की ग्राम पंचायत आन्हेडा के सरपंच
श्री संतोष कुमार के कार्यकाल में हुए आडिट व
निरीक्षण का विवरण

पंचायत सहायक द्वारा	विकास अधिकारी द्वारा	अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण दिनांक
४/५–११–६१	१–६–६५	१९६०–६१	१–२–६२
२९/३०–१०–६३		१९६१–६२	२–८–६२
		१९६२–६३	२१/२२–११–६३
		१९६३–६४	१२–१२–६४
		१९६४–६५ (विशेष जांच)	४–६–६५ से ७–६–६५ तक ।

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ की सूची)

सूची (क)

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति की तारीख	कार्य आरम्भ होने की तारीख	१५ अगस्त १९६९ तक का खर्चा
१.	रिषभदेव कल्याणपुर सड़क	१७-११-६९	१-१-६९	३,०३,६२९)
२.	शेरवाड़ा सोम रोड़	२- २-६९	१६-२-६९	८,९२,३४५)
३.	खेरवाड़ा रानी छानी रोड़	२- २-६९	१६-२-६९	२,०४,४३०)
४.	खेरवाड़ा मांजरी रोड़	२- २-६९	१६-२-६९	२,४४,८१२)
५.	रीखभदेव सागवाड़ा रोड़	१९- ३-६९	२७-३-६९	२,५४,१९७)
६.	रीखभदेव बलवा रोड़	१९- ३-६९	२७-३-६९	१,०४,३७७)
७.	खेरवाड़ा कल्याणपुर रोड़	१९- ३-६९	२८-३-६९	३,५७,५९०)

सूची 'ख'

क्र० सं०	नाम सड़क	तारीख पेमेन्ट
१.	ऋषबदेव कल्याणपुर रोड़	१ से ७, २१ से २५ व ३०, ३१ जनवरी १२ से १८ फरवरी, २६-२ से ४-३, १७-४ से २२-४, १७-४ से २४-४ १५-५ से २०-५, २७-५ से ३१-५, ३-६ से १३-६, १८-७ से १८-७, १४-८ से १६-८, २६-८ से १-६, १०-५ से २०-५,
२.	खेरवाड़ा सोम रोड़	१-३ से ७-३, १८-४ से २४-४, ३०-४ ६-५ से १३-५, २३-५ से ३१-५, ६-६ से १५-६, २-४ से ७-४, १०-५ से २०-५, १-५ से १०-५, ३१-५ से १०-६,१४-६ से २०-६, १४-७ से २४-७, १०-८ से १२-८, १६-८ से २०-८, २३-८ से २६-८
३.	खेरवाड़ा रानीछोड़ रोड़	२-४ से ७-४, १०-५ से २०-५, १-५ से १०-५, ३१-५ से १८-६, १४-६ से २०-६, १४-७ से २४-७, १८-८ से १२-३ से १६-८ से २०-८, २३-८ से २८-८
४.	खेरवाड़ा मांजरी रोड़	२-४ से ७-४, १०-५ से २०-५ व ३१-५ से १०-६ व १४-६ से २४-६ व १४-७ से २४-७ व १८-८ से १२-८ व १६ से २०-६ व ३-८ से २८-६
५.	रीखबदेव सागवाड़ा रोड़	१७-४ से २४-४ व २८-४ से २०-४ व ३-५ से ८-५ व १५-५ से २०-५ व २७-५ से ३१-५ व ८-६ से १३-६ व १२-७ से १८-७ व १४-८ से १६-८से२६-८ १-६,
६.	रीखबदेव बलवा रोड़	१७-४ से २४-४ व २६-४ से ३०-४ व ३-५ से ८-५ व ११-५ से १७-५ व ८-६ से १३-८ व १२-७ से १८-७ व १४-८ से १६-८ तथा २६-८ से १-६,
७.	खेरवाड़ा कल्याणपुर रोड़	१२-७ से १८-७ व १४-८ से १६-८ व २६-८ से १-६ व२-४ से ७-४ व १-५ से १०-५ व ३१-५ से १०-६ व १४-६ से २०-६ व १४-७ से २४-७ व १०-८ से १२-८ व १६-८ से २०-८ तथा २२-८ से २८-८,

सूची 'ग'

क्र० सं०	नाम सड़क	अधिदर्शक का नाम	रकम बकाया
१.	रीखबदेव कल्याणपुर रोड़	श्री किशनसिंह भटनागर	५४–६५
		श्री भंवरलाल मून्दड़ा	५२–१०
		श्री रमेशचन्द्र	७६–३८
		श्री हरिनारायण शर्मा	१११–९०
			२९४–१३
२.	खेरवाड़ा सोभ रोड़	श्री रामचन्द्र खराडी	३३–००
		श्री भंवर लाल मून्दड़ा	४३२–६१
		श्री शिवप्रसाद गर्ग	५८७–७४
			१०७३–३५
३.	खेरवाड़ा रानीछानी रोड़	श्री भंवरलाल मून्दड़ा	९७–३०
		श्री राजेशकुमार छीपा	१०७–३७
			२०४–६७
४.	खेरवाड़ा जांजरी रोड़	श्री भंवरलाल मून्दड़ा	१५५–६२
		श्री राजेशकुमार छीपा	६२–२५
			२१८–९७
५.	रीखभदेव सागबाड़ा रोड़	श्री रमेशचन्द्र	९८–२५
		श्री हरिनारायण शर्मा	८३–२५
			१८१–५०
६.	रीखबदेव बतया रोड़	श्री रमेशचन्द्र	८५–००
		श्री हरिनारायण शर्मा	३०१–६२
			४६६–६२
७.	खेरवाड़ा कल्याणपुर रोड़	श्री भंवर लाल मून्दड़ा	३६९–७४
		श्री हरीनारायण शर्मा	४४३–६२
			८१३–३६
		कुलिया टोटल रकम	३२५१–७९

———

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक ६ अप्रैल, १६७०

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२	अन्तिम से ३	रिवाइन रिक्लेमेशन	रेवीन रिक्लेमेशन
३	६	इन्टेसिन्टी	इन्टेन्सिटी
४	१५	शनै: प्रगति	शनैः शनैः प्रगति
४	अन्तिम से ५	को करने	को हल करने
६	१	श्री विशम्बरनाथ जोशी	(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
६	१६	बाधों	बान्धों
७	६	कमदर बिल्कुल नहीं आ सकेगी	कम दूर बिल्कुल नहीं आ सकेगा
८	१५	श्री रामप्रसाद लड्डा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
१४	४	चकित्सा मंत्री	चिकित्सा मंत्री
२४	७	अक्छी	अच्छी
२५	७	केसेज बनाये	केसेज के बनाये
२७	१६	(श्री मती प्रभा मिश्रा)	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
२७	अन्तिम से ४	वन	बन
३४	५	सरपच	सरपंच
३५	३	उनले	उनसे
४१	२	सत्र	सत्र
४३	११	अधिकांस	अधिकांश

१	२	३	४
४३	१२	रेफरीजेटर	रेफ्रिजिरेटर
४६	४	में	है
६३	८	सवक्षण	सर्वेक्षण
६४	७	काश्तकारी	काश्तकारों
,,	१६	५७७. श्री देवीलाल बुरासिया :	५७७. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)
६५	१७	५७८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— श्री प्रेमसिह सिंववी (छबड़ा)	५७८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) श्री प्रेमसिह सिघवी (छबड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—
७६	अन्तिम से ७	मानवीय	माननीय
७७	७	स्थगनत	स्थगन
८५	शीर्षक	स्था. प्र. पर अ. व्यवस्था	स्थ. प्र. पर अ. व्यवस्था
,,	अन्तिम से ६	श्री भैरोंसिह (किशनपोल) :	श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर)
९६	अन्तिम से ११	फंससा	फंसला
१०६	अन्तिम से ६	दिया	देगी
११०	अन्तिम से ४	नवीलजीन	नोवलजीन
१११	अन्तिम	गांधी जयती	गांधी जयंती
१२५	१७	पहल	पहले
१२९	१९	जिप्रोडाइज होगा	ज्योपार्डाइज करना होगा
१३१	अन्तिम	tabie	table
१३२	४	Vature	nature
१४१	अन्तिम से ६	श्र्	श्र
,,	अन्तिम से ६	ताई	ताईद

१	२	३	४
१५६	अन्तिम से ४	फड्स	फंड्स
१७६	१०	टीनेन्यी	टीनेन्सी
२०१	८	२८ पसेन्ट	२८ पर्सेन्ट
,,	१४	द ।	दिया
२०५	शीर्षक	राडस्थान	राजस्थान
२१६	१८	दृष्टिटान्त	दृष्टान्त
२१९	२	स्वयत्त	स्वायत्त
२३३	अन्तिम से १३	टार्ग्रेट	टार्गेट
२२५	अन्तिम से ४	आना	लाना
२३१	अन्तिम से ३	सद्र	सदा
२३२	१४	नई दिली	नई दिल्ली
२३३	२ व ३	सलम	स्लम
२३५	अन्तिम से ८	करोड़पत	करोड़पति
२३६	१८	कथननुसार	कथनानुसार
२३८	१	क्लाज बाई	क्लाज बाई क्लाज
२४१	५	मकनों	मकानों
,,	अन्तिम से १३	Nomated by the Societ	Naminated by the Society
,,	अन्तिम से ३	समाने	सामने
२४२	१२	Nominted	Naminated
२५४	अन्तिम से ४	वंठाना	वैंठना
२५७	अन्तिम से १३	में	मैं
२५८	अन्तिम से ४	संशोधिता	संशोधित
२५९	१	में	मैं